# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
# मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

**बिहार सरकार**

**2025 का प्रतिवेदन संख्या-03**

# विषय सूची


| विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|
| | कंडिका | पृष्ठ संख्या/ अभ्युक्तियां |
| प्राक्कथन | | v |
| विहंगावलोकन | | vii |
| **अध्याय-I** | | |
| **प्रस्तावना** | | |
| इस प्रतिवेदन के बारे में | 1.1 | 1 |
| लेखापरीक्षिती रूपरेखा | 1.2 | 1 |
| लेखापरीक्षा के लिए अधिदेश | 1.3 | 2 |
| राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति | 1.4 | 5 |
| **अध्याय-II** | | |
| **विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| **कृषि विभाग** | | |
| कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन | 2 | 7 |
| **अध्याय-III** | | |
| **विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| **योजना एवं विकास विभाग** | | |
| मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन | 3 | 47 |
| **परिशिष्ट** | | |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ संख्या/ अभ्युक्तियां |
| 1.1 | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं | 1.3.2 | 71 |
| 1.2 | निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के प्रकार | 1.3.2 | 72 |
| 1.3 | मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एसएससीए से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति | 1.3.4 | 73 |
| 1.4 | लेखापरीक्षा सौंपने और स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत /जारी करने की स्थिति | 1.4 | 74 |
| 2.1 | महत्वपूर्ण अभिलेखों/डाटा का गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण | 2.5.1 | 75 |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ संख्या/ अभ्युक्तियां |
| 2.2 | कृषि समन्वयक द्वारा अनुमोदित प्रभावित क्षेत्र में भूमि/ फसल के प्रकार का उल्लेख न करना | 2.5.1 | 76 |
| 2.3 (ए) | एसडीआरएफ मानदंडों से अधिक कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान (वर्षा आधारित श्रेणी के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए) | 2.8.1 | 77 |
| 2.3 (बी) | एसडीआरएफ मानदंडों से अधिक कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान (दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए) | 2.8.1 | 78 |
| 2.4 | कृषि इनपुट सब्सिडी के अधिक भुगतान का विवरण (₹ 1,000/ ₹ 2,000 के न्यूनतम भुगतान के अलावा अन्य मामले) | 2.8.2 (i) | 79 |
| 2.5 | सब्सिडी के कम भुगतान का विवरण ( ₹ 1,000/ ₹ 2,000 के न्यूनतम भुगतान के अलावा अन्य मामले) | 2.8.2(ii) | 80 |
| 2.6 | सब्सिडी के कम भुगतान का विवरण (दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सिंचित भूमि के लिए ₹ 1,000 के न्यूनतम भुगतान के मामले) | 2.8.2(ii) | 81 |
| 2.7 | सब्सिडी के अनियमित भुगतान का विवरण (दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाले किसानों को न्यूनतम ₹ 1,000/ ₹ 2,000 के भुगतान के मामले) | 2.8.2(iii) | 82 |
| 2.8 | बिना बोई भूमि के लिए सब्सिडी के अधिक भुगतान का विवरण | 2.8.4 | 83 |
| 2.9 | सब्सिडी के अस्वीकार्य भुगतान का विवरण | 2.8.5 | 84 |
| 2.10 | अनिवार्य जानकारी अपलोड किए बिना सब्सिडी के भुगतान का विवरण | 2.8.11 | 85 |
| 2.11 | कृषि इनपुट सब्सिडी आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी का विवरण | 2.9.1 | 87 |
| 2.12 | कुल भूमि जोत से अधिक प्रभावित भूमि के आवेदन का विवरण | 2.9.2 | 88 |
| 2.13 | आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसानों के आवेदनों की प्राप्ति का विवरण | 2.9.3 | 89 |
| 2.14 | डाटाबेस में रिक्त छोड़े गए महत्वपूर्ण फील्ड का विवरण | 2.9.4 | 90 |
| 2.15 (ए ) | बिना कोई कारण बताए कृषि समन्वयक स्तर पर आवेदनों के अस्वीकृति का विवरण | 2.9.6 | 94 |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कंडिका | पृष्ठ संख्या/ अभ्युक्तियां |
| 2.15 (बी ) | बिना कोई कारण बताए कृषि समन्वयक स्तर पर दावा की राशि में कटौती का विवरण | 2.9.6 | 95 |
| 2.16 | विफल भुगतानों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता का अभाव | 2.9.11 | 97 |
| 2.17 | बैंक स्तर पर भुगतान में देरी का विवरण | 2.9.12 | 98 |
| 2.18 | अव्ययित धनराशि का सरकारी खाते में अभ्यर्पण/जमा करने में विलंब का विवरण | 2.10.2 | 99 |
| 3.1 | बीएलएडीए के तहत वर्ष-वार प्राप्त आबंटन एवं विमुक्त निधि | 3.6 | 101 |
| 3.2 (ए) | एमकेवीवाई दिशा-निर्देशों और इनमें संशोधन के अनुसार अनुज्ञेय कार्यों की सूची | 3.7.2 | 102 |
| 3.2 (बी) | गैर-अनुज्ञेय कार्यों के निष्पादन का विवरण | 3.7.2 | 105 |
| 3.3 | कार्यों के विभाजन का विवरण | 3.9.1 | 106 |
| 3.4 | एलएईओ, औरंगाबाद में कार्यों के विभाजन को दर्शाने वाली विवरणी | 3.9.1 | 109 |
| 3.5 | सामुदायिक भवनों के निर्माण में निष्क्रिय व्यय | 3.9.2 (i) | 111 |
| 3.6 | पुस्तकालय भवनों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय | 3.9.2 (ii) | 115 |

## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2023 में समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में कृषि तथा योजना एवं विकास विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जो 2022-23 की अवधि के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सीमित नमूना-जांच पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

# विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए इस प्रतिवेदन में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं (एसएससीए) के परिणाम शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है।

## विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### 2 कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत कृषि इनपुट सब्सिडी, राज्य कृषि विभाग द्वारा किसानों को डीबीटी मोड से वितरित की जाती है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़/अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि तथा सूखा/अल्प वर्षा के कारण उनकी फसलों को हुई क्षति से तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आपदा प्रभावित प्रखंडों/जिलों की पहचान त्रुटिपूर्ण थी। कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान चिन्हित जिलों/प्रखंडों से बाहर भी किया गया। कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि डाटाबेस से समुचित रूप से एकीकृत नहीं था, जिसके कारण लाभार्थियों एवं प्रभावित भूमि की पहचान में कठिनाई हुई। लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन भी अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में वास्तविक लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं हो सका। योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित विशिष्ट कमियाँ पाई गई:

- खरीफ मौसम 2019 में घटित आपदा के लिए, उन 10 जिलों में भी ₹ 21.48 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया, जिन्हें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था और उन 14 जिलों के आवेदकों को भी ₹ 4.03 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया जो उन चिन्हित जिलों में शामिल नहीं थे, जहाँ कम वर्षा के कारण भूमि बिना बोए हुए रह गई थी।

  ***(कंडिकाएँ 2.6.1.1 एवं 2.6.1.2)***

- रबी एवं खरीफ मौसम 2019 और 2020 के लिए कृषि विभाग ने एक क्षेत्र में फसल क्षति के लिए ₹ 151.92 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जो चिह्नित फसल क्षति क्षेत्र से 1.34 लाख हेक्टेयर ज्यादा थी।

  ***(कंडिका 2.6.2)***

- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) मानकों के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार "अनुदेश" (कृषि इनपुट सब्सिडी के प्रसंस्करण एवं भुगतान हेतु जारी निर्देश) में सहायता की दरों का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण, आवेदकों को ₹ 3.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

  ***(कंडिका 2.8.1)***

- आवेदनों के प्रसंस्करण करने/स्वीकृति देते समय कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस में व्यावसायिक नियमों के गैर/ अनुचित मैपिंग तथा "अनुदेश" के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण, 15.53 लाख मामलों में ₹ 56.14 करोड़ का अधिक/कम/अनियमित भुगतान किया गया।

  ***(कंडिका 2.8.2)***

- फसल क्षति क्षेत्र के 33 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से कम होने के बावजूद 2019-22 के दौरान, सभी नमूना-जाँचित जिलों में 6,81,617 मामलों में ₹ 159.28 करोड़ की सब्सिडी का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

  ***(कंडिका 2.8.5)***

- संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा लाभार्थियों के दावों का सत्यापन किए बिना 6,994 किसानों (2019, 2020, 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ और मई 2021 में यास तूफान) को ₹ 1.77 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया। 2018-22 के दौरान, प्रभावित भू-खण्ड/भूमि की पहचान सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य खेसरा विवरण भरे बिना ही किसानों को ₹ 62.36 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया।

***(कंडिकाएँ 2.8.7 और 2.8.11)***

- "अनुदेश" के प्रावधानों का उल्लंघन कर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) एवं अपर समाहर्ता (एडीएम) ने 40,666 मामलों में देय सब्सिडी राशि में ₹ 17.33 करोड़ की अनियमित रूप से कमी की तथा 7,562 मामलों में ₹ 2.23 करोड़ की अनियमित रूप से वृद्धि की।

***(कंडिका 2.9.5)***

- संबंधित कृषि समन्वयकों ने बिना कोई कारण बताए ₹ 901.70 करोड़ की सब्सिडी के दावे के 7,18,982 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया और 19,73,782 आवेदनों के संबंध में सब्सिडी की राशि साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र को 20.22 लाख हेक्टेयर हेतु ₹ 2,572.24 करोड़ से घटाकर 6.31 लाख हेक्टेयर हेतु ₹ 808.01 करोड़ कर दिया।

***(कंडिका 2.9.6)***

- 2018-22 के दौरान 6,04,700 आवेदकों को ₹ 184.74 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान विफल रहा, क्योंकि विभाग ने चिन्हित लाभार्थियों के बैंक खाते से आधार मैपिंग/सीडिंग और वित्तीय पते का सत्यापन सुनिश्चित किए बिना सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया कर दी।

***(कंडिका 2.9.8)***

- नमूना-जांचित जिलों में 7,27,530 मामलों में ₹ 308.01 करोड़ की सब्सिडी के भुगतान में 608 दिनों तक की काफी देरी हुई।

***(कंडिका 2.9.12)***

- आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, ने कृषि विभाग द्वारा किए गए फसल क्षति के आकलन के आधार पर इसे कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राशि उपलब्ध करायी। तथापि 2018-2022 के दौरान उपलब्ध कुल ₹ 5,324.92 करोड़ में से केवल 62 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया तथा शेष 38 प्रतिशत (₹ 2,040.09 करोड़) को सरकारी खाते में अभ्यर्पित/जमा कर दिया गया।

***(कंडिका 2.10.1)***

***अनुशंसाएं :***

***कृषि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :***

- ***कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों का अनुपालन किया जाए और सहायता दरों/ लाभार्थियों की श्रेणी में किसी भी भिन्नता के विषय को आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष उठाया जाए।***
- ***सिस्टम में उचित नियंत्रणों सहित व्यवसायिक नियमों (अनुदेश एवं निर्देशों) की समुचित मैपिंग सुनिश्चित हो तथा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए।***

## 3 मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई) का कार्यान्वयन बिहार में वर्ष 2011-12 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट विभिन्न कार्यों का निष्पादन राज्य के निर्वाचित/मनोनीत विधान सभा सदस्यों (विधायक) एवं विधान परिषद सदस्यों (विधान पार्षद) की अनुशंसाओं पर किया जाता है। नीचे इंगित कुछ विशिष्ट कमियों से यह स्पष्ट होता है कि योजना के कार्यान्वयन में और सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके:

- सभी 13 नमूना-जांचित प्रमंडलों में, कुल उपलब्ध निधि का 28 से 59 प्रतिशत तक उपयोग में नहीं लाया गया, जिसके परिणामस्वरुप उनके पर्सनल लेजर अकाउंट में अव्ययित शेष राशि पड़ी रही । ***(कंडिका 3.6)***

- एमकेवीवाई अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु अनिवार्य होने के बावजूद बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (बीएलएडीए) द्वारा कोई मॉडल डिजाइन और प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। ***(कंडिका 3.7.1)***

- नौ चयनित जिलों के जिला योजना पदाधिकारी (डीपीओ) द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 158 कार्य, जिनकी लागत ₹ 10.83 करोड़ थी, स्वीकृत किए गए, जबकि ये कार्य योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं थे। ***(कंडिका 3.7.2)***

- डीपीओ, बांका द्वारा ₹ 12.30 करोड़ की राशि के नौ कार्य अनियमित रूप से स्वीकृत किए गए, जो उनकी प्राधिकरण सीमा से परे थे। ***(कंडिका 3.8.1)***

- योजना दिशानिर्देशों एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर 10 चयनित जिलों में से छ: जिलों में पुस्तकों की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति, की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक (₹ 10.43 लाख) और अनियमित (₹ 68.17 लाख) व्यय हुआ। ***(कंडिका 3.8.3)***

- नौ चयनित जिलों में, जुलाई 2018 से दिसंबर 2022 के दौरान ₹ 10.25 करोड़ के 29 कार्यों को, 64 कार्यों में विभाजित किया गया, ताकि उन्हें डीपीओ की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अधीन रखा जा सके अथवा ई-निविदा एवं समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित करने की आवश्यकता से बचा जा सके। ***(कंडिका 3.9.1)***

- पाँच जिलों में, ₹ 2.13 करोड़ के व्यय से निर्मित 28 सामुदायिक भवन अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाए गए, क्योंकि इनमें से 27 सामुदायिक भवन निजी व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे तथा शेष एक कार्य अपूर्ण था। ***(कंडिका 3.9.2)***

- छ: जिलों में, 2018-23 के दौरान निर्मित 11 पुस्तकालय भवन या तो निजी व्यक्तियों के कब्जे में थे या आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसे पुस्तकें, पुस्तक-शेल्फ, डेस्क आदि के अभाव में अनुपयोगी पड़े थे। ***(कंडिका 3.9.2)***

- वर्ष 2018-23 के दौरान तीन कार्य प्रमंडलों में 22 निविदादाताओं को एक समय में तीन से अधिक कार्य अथवा ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य के कार्य आवंटित किए, जो बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। ये कार्य, जिनकी लागत ₹ 8.42 करोड़ थी, मुख्यतः पीसीसी सड़क, ईंट सोलिंग, सामुदायिक भवन, घाट, चबूतरा आदि से संबंधित थे।

***(कंडिका 3.9.3)***

- दो जिलों (मधेपुरा एवं अररिया) के 24 कॉलेजों में ₹ 1.96 करोड़ मूल्य के तकनीकी/प्रायोगिक उपकरण सरकारी निर्देशों (मार्च 2020) के बावजूद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से क्रय नहीं किए गए। साथ ही, क्रय किए गए उपकरण अनुपयोगी/ खराब स्थिति में पाए गए तथा अधिकांश आपूरित उपकरण दो शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी खोले बिना भंडार में ही रखे थे।

***(कंडिका 3.10)***

- पांच चयनित जिलों में पूर्ण किए गए 13,444 कार्यों को एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों को उनके पूर्ण होने के एक से पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी हस्तांतरित नहीं किया गया। शेष पाँच जिलों में पूर्ण किए गए 8,018 कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई।

***(कंडिका 3.11)***

- चयनित 10 जिलों में वर्ष 2018-23 के दौरान 21,462 कार्य पूर्ण किए गए। तथापि, एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा संबंधित डीपीओ को आवश्यक पूर्णता प्रमाण पत्र सौपें नहीं गए तथा संबंधित डीपीओ द्वारा भी उन्हें प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

***(कंडिका 3.12.4)***

- यद्यपि वांछित था, किसी भी चयनित डीपीओ कार्यालय में पूर्ण एवं जारी कार्यों की सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई तथा योजना अंतर्गत कार्यों की स्थिति को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु जिला-वार वेबसाइट का निर्माण भी नहीं किया गया।

***(कंडिका 3.12.6)***

***अनुशंसाएं :***

- ***बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा कार्यों के मानक डिज़ाइन एवं प्राक्कलन तैयार किए जाएँ, ताकि बनायी जा रही परिसंपत्तियां मानकीकृत गुणवत्ता की हों और वांछित लाभार्थियों द्वारा उपयोग की जा सकें।***
- ***योजना अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव के लिए योजना एवं विकास विभाग द्वारा इन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।***

# अध्याय-I

# प्रस्तावना

# अध्याय-I

# प्रस्तावना

## 1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन बिहार सरकार के चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से पाए गए मामलों से संबंधित हैं।

प्रतिवेदन के इस खंड का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधान मंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का योगदान बेहतर शासन के लिए कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा संगठनो के प्रबंधन को उन्नत करने हेतु नीतियों एवं निर्देशों को निर्गत करने में है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय, राज्य के व्यय और निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया एवं उसमें की गई सुधारात्मक कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्याय II और III, वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अवलोकनों को प्रस्तुत करता है।

## 1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

मार्च 2023 तक, बिहार सरकार में 44 विभाग थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 3,01,686.46 करोड़ के कुल बजट के सापेक्ष राज्य ने कुल ₹ 2,35,176.84 करोड़ का व्यय किया।

2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के लेखापरीक्षा अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख विभागों में व्यय का विवरण **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.1: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक वार्षिक व्यय वाले विभागों में व्यय की प्रवृत्ति**

***(₹ करोड़ में )***

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षा विभाग | 27,400.85 | 26,084.00 | 26,813.75 | 34,101.88 | 42,095.78 |
| 2 | ग्रामीण विकास विभाग | 12,779.00 | 9,692.46 | 9,314.16 | 14,015.03 | 18,412.91 |
| 3 | ऊर्जा विभाग | 12,117.90 | 9,107.45 | 8,911.62 | 10,506.45 | 16,207.98 |
| 4 | गृह विभाग | 8,730.79 | 9,508.75 | 9,611.79 | 10,802.45 | 11,811.93 |
| 5 | पंचायती राज विभाग | 8,408.50 | 8,734.75 | 8,402.40 | 8,178.85 | 8,661.18 |
| 6 | स्वास्थ्य विभाग | 7,478.28 | 7,813.04 | 9,166.17 | 11,712.31 | 12,013.95 |
| 7 | पथ निर्माण विभाग | 6,485.23 | 2,776.07 | 4,894.40 | 5,625.87 | 8,126.33 |
| 8 | समाज कल्याण विभाग | 6,346.52 | 7,376.09 | 8,794.70 | 8,995.84 | 11,192.66 |
| 9 | ग्रामीण कार्य विभाग | 3,955.79 | 3,549.02 | 5,199.65 | 5,990.09 | 9,478.96 |
| 10 | जल संसाधन विभाग | 3,849.02 | 1,812.41 | 2,770.48 | 4,296.12 | 3,336.19 |
| 11 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 3,300.02 | 3,144.53 | 5,640.39 | 6,941.43 | 6,546.06 |
| 12 | भवन निर्माण विभाग | 3,233.94 | 1,783.35 | 1,572.05 | 3,729.50 | 3,645.98 |
| 13 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 2,685.14 | 2,342.29 | 5,378.24 | 2,661.81 | 2,142.95 |
| 14 | योजना एवं विकास विभाग | 1,928.32 | 1,372.43 | 1,220.94 | 1,899.21 | 1,843.53 |
| 15 | कृषि विभाग | 1,869.48 | 2,152.49 | 1,498.54 | 1,927.94 | 2,571.44 |

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | सहकारिता विभाग | 1,797.56 | 593.29 | 1,070.49 | 876.79 | 1,015.01 |
| 17 | आपदा प्रबंधन विभाग | 1,642.28 | 3,621.18 | 6,741.95 | 3,895.42 | 3,119.10 |
| 18 | वित्त विभाग | 1,503.72 | 1,645.53 | 866.03 | 978.71 | 3,095.96 |
| 19 | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 1,215.25 | 1,416.80 | 413.42 | 2,852.95 | 1,634.54 |
| 20 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 1,112.23 | 706.24 | 728.05 | 914.88 | 1,384.47 |
| 21 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 1,022.92 | 1,121.26 | 1,270.24 | 1,456.48 | 1,628.09 |
| 22 | विधि विभाग | 769.68 | 768.04 | 809.63 | 848.17 | 1,057.12 |
| 23 | उद्योग विभाग | 631.52 | 435.26 | 464.6 | 1,560.80 | 3,330.76 |
| 24 | सामान्य प्रशासन विभाग | 507.19 | 532.83 | 567.29 | 567.85 | 1,074.58 |
| 25 | अन्य | 39,546.56 | 41,552.40 | 45,794.43 | 48,865.38 | 59,749.38 |
| | कुल | 1,60,317.69 | 1,49,641.96 | 1,67,915.41 | 1,94,202.21 | 235,176.84 |

*(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखा)*

## 1.3 लेखापरीक्षा के लिए अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971, से लिए जाते है। सीएजी राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत करता है। सीएजी अन्य निकायों की भी लेखापरीक्षा करता है, जो डीपीसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधानसभा वाले प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत, दोनों) की लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृत करती है। इसके अलावा, सीएजी उन निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा करता है जिनकी लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2), 19(3) और 20(1) के अंतर्गत सौंपी जाती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए नियम और कार्यप्रणाली सीएजी द्वारा जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 और लेखापरीक्षा मानकों में निर्धारित है।

### 1.3.1 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है जिसमें इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों और कार्यान्वयन इकाइयों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन इकाइयों के व्यय की रूपरेखा, धोखा, गबन, हानि, अनियमितता, मीडिया रिपोर्ट इत्यादि के पूर्व के उदाहरणों के साथ-साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद इकाइयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते है। प्राप्त जवाबों के आधार पर, लेखापरीक्षा अवलोकनों का या तो निपटारा कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रारूप कंडिकाओं के रूप में आगे संसाधित किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तैयार किये जाते हैं और मुद्दों का चयन ऊपर बताये गए सादृश्य के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए सामग्री को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा दिए गए औपचारिक जवाबों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

### 1.3.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, संव्यवहारों की नमूना-जाँच के माध्यम से सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है जिसकी प्रति संबंधित विभागों को भी दी जाती है । नियम के तहत सामान्य महत्व के मामले, जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ठीक किया गया है या जो सीधे तौर पर सरकार के वित्त से संबंधित नहीं होते, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जाते हैं। लेखापरीक्षित इकाइयों से प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है।

जब भी जवाब प्राप्त होते है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

2022-23 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, के कार्यालय द्वारा राज्य के 36 विभागों के 17 स्वायत्त निकायों सहित कुल 752 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई।

गंभीर अनियमितताओं को नियमित रूप से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में भी लाया गया था।

39 विभागों से संबंधित 4,441 डीडीओ को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों (मार्च 2023 तक) की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि 5,715 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल ₹ 8,05,308.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली 46,752 कंडिकाएं, 31 मार्च 2024 तक लंबित रही थी, जैसा कि **तालिका 1.2** में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं और अनियमितताओं के प्रकार के अवधिवार विश्लेषण क्रमशः ***परिशिष्ट-1.1*** और ***परिशिष्ट-1.2*** में विस्तृत हैं।

**तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं**

| क्रम संख्या | अवधि | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनो की संख्या (प्रतिशत) | लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत) | शामिल राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 वर्ष से कम | 371 (6.49) | 4,511 (9.65) | 67,395.72 |
| 2 | 1 से 3 वर्षों तक | 426 (7.46) | 4,699 (10.05) | 3,04,369.11 |
| 3 | 3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक | 410 (7.17) | 4,465 (9.55) | 1,16,202.64 |
| 4 | 5 वर्षों से अधिक | 4,508 (78.88) | 33,077 (70.75) | 3,17,340.88 |
| | **कुल** | **5,715** | **46,752** | **8,05,308.35** |

**तालिका 1.2** से यह देखा जा सकता है कि विभागीय अधिकारियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित अवलोकनों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिसने जवाबदेही पर प्रभाव डाला।

***अनुशंसा 1: सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों का समय पर एवं उचित जवाब सुनिश्चित करने के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।***

### 1.3.3 सरकार को प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं की संसूचना

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन साथ ही साथ आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों, जिनका चयनित विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर प्रभाव पड़ता है, को प्रतिवेदित किया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विशेष कार्यक्रमों/ योजनाओं की लेखापरीक्षा करने और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित अनुशंसा प्रदान करना था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020, के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)/ प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप लेखापरीक्षा और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में भी लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसी कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रधान महालेखाकार कार्यालय से प्रारूप एसएससीए/प्रारूप कंडिकाओं पर चर्चा करने की भी सलाह दी गई थी।

### 1.3.4 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान सरकार तथा लेखापरीक्षिती इकाइयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि उक्त अधिनियम के तहत उनके कर्तव्यों के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार है, के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसें सुसंगत हो। इसके अलावा, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020, का नियम 19 (6) निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी को एक निर्दिष्ट समय के भीतर डाटा, सूचना तथा दस्तावेजों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किये गए अनुरोधों का अनुपालन करना होगा।

इन प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के मामले थे। यद्यपि इस तरह के मामले प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए गए थे, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्तन एक समान रूप से तेज एवं प्रभावी नहीं था।

वर्ष 2022-23 के लिए इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं। बारम्बार प्रयासों के बावजूद, लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए कई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराये गए थे। 31 लेखापरीक्षित इकाइयों में से, 18 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगें गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया। इन दो एसएससीए में कुल 452 लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किये गए और 54 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के मामले में जवाब प्राप्त नही हुआ। इसके अलावा, 145 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त हुए, जैसा ***परिशिष्ट-1.3*** में विस्तृत रूप में बताया गया है।

***अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश की कवायद को परिसीमित करता है तथा इसका परिणाम राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा जवाबदेही का क्षरण, साथ ही धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छुपाना हो सकता है।***

***अनुशंसा 2: राज्य सरकार को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।***

### 1.3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

वित्त विभाग, बिहार सरकार, की निर्देश पुस्तिका (1998) के अनुसार, विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी अपेक्षित थी। उन्हें राज्य विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर उनके द्वारा की गई या किये जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था। 31 मार्च 2024 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति **तालिका 1.3** में दी गई है।

**तालिका 1.3 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष | 31 मार्च 2024 तक लंबित एटीएन (कंडिकाओं की संख्या) | राशि (₹ करोड़ में) | राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि | एटीएन प्राप्ति की नियत तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 1 | 3.47 | 23/03/2021 | 23/05/2021 |
| 2018-19 | 2 | 481.47 | 29/07/2021 | 29/09/2021 |
| 2019-20 | 4 | 28.13 | 30/03/2022 | 30/05/2022 |
| 2020-21 | 8 | 906.21 | 16/12/2022 | 16/02/2023 |
| 2021-22 | प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया | | | |
| **कुल** | **15** | **1,419.28** | | |

**तालिका 1.3** लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाती है।

### 1.3.6 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं की नमूना-जाँच के दौरान देखी गई वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचना के तहत संबंधित प्राधिकारियों को पुष्टि एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 44 मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 29.90 करोड़ की राशि की वसूली को दर्शाया गया और विभागों द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि, विभाग ने सात मामलों में मात्र ₹ 1.27 करोड़ की ही वसूली की थी।

## 1.4 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में 12 स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी, जिसमें से पांच एबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा सौपनें का नवीकरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा सौपनें, लेखापरीक्षा को लेखा प्रदान करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन और विधानमंडल में इनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट-1.4*** में विस्तृत रूप में बताई गई है।

# अध्याय-II
# कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन

# अध्याय-II
# विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

## कृषि विभाग

## 2. कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन

***आपदाओं से प्रभावित प्रखंडों/जिलों की पहचान त्रुटिपूर्ण थी। कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान चिन्हित जिलों/प्रखंडों से बाहर भी किया गया। प्रभावित भूमि और लाभार्थियों की पहचान में मैनुअल प्रक्रियाएं अपनाई गई क्योंकि कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि डाटाबेस के साथ समुचित रूप से एकीकृत नहीं था, जिससे लाभार्थियों और प्रभावित भूमि की पहचान में कठिनाई हुई। इसके अतिरिक्त, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस में उचित सत्यापन एवं इनपुट नियंत्रण का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित, अधिक, कम, अमान्य और दोहरे भुगतान हुए, साथ ही अनेक आवेदनों को बिना किसी स्पष्ट तर्कसंगत कारण के अस्वीकार कर दिया गया। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन हेतु मैप नहीं की गयी थी, जिसके कारण कृषि इनपुट सब्सिडी के प्रसंस्करण और वितरण में विलंब हुआ। लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन अपर्याप्त था, जिसके कारण बड़ी संख्या में वास्तविक लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं हो सका।***

***योजना के वित्तीय प्रबंधन में भी कमियां थीं, जिनमें समय से पहले निधि निकासी, अप्रयुक्त निधियों का अवरोधन, निधियों का विलम्ब से अभ्यर्पण तथा ब्याज को सरकारी खाते में नही जमा करना शामिल था।***

### 2.1 प्रस्तावना

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना[1] के अंतर्गत बिहार राज्य के किसानों को उनकी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़/अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, तथा सूखा/अल्प वर्षा से हुए नुकसान से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सब्सिडी वितरित की जाती है। यह सब्सिडी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के दिशा-निर्देशों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार (आपदा प्रबंधन प्रभाग) और बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) द्वारा जारी सहायता के मानकों के अनुसार दी जाती है। सब्सिडी का भुगतान बिहार सरकार के कृषि विभाग (विभाग) द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

किसी भी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर, विभाग प्रभावित क्षेत्र और फसल क्षति की सीमा का आकलन करता है। विभाग के आकलन प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित ज़िले एवं उनके अंतर्गत प्रखंडों को प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है और राज्य कार्यकारी समिति[2] (एसईसी) की स्वीकृति के बाद, आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) द्वारा विभाग को एसडीआरएफ/राज्य संसाधनों[3] से धनराशि जारी की जाती है। इसके उपरांत, कृषि विभाग क्रियान्वयन अनुदेश (अनुदेश) जारी करता है, जिसमें आवेदन आमंत्रण, विभाग द्वारा उनके प्रसंस्करण तथा आवेदकों को सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया एवं तौर-तरीकों से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल होते हैं। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विभाग

---

[1] *राज्य सरकार के अभिलेखों में इसका उल्लेख कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के रूप में किया गया है। यद्यपि राज्य ने इसे योजना के रूप में अधिसूचित नहीं किया है।*

[2] *एसडीआरएफ के दिशा-निर्देशों के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित यह समिति एसडीआरएफ से सहायता/सब्सिडी के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था है।*

[3] *निर्दिष्ट आपदाओं के लिए, राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ सहायता मानदंडों के तहत निर्धारित सीमा और दरों से अधिक व्यय की गई राशि का वहन एसडीआरएफ से नहीं, बल्कि राज्य संसाधनों से किया जाना था।*

द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का दावा करने हेतु डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है। प्रभावित भूमि/लाभार्थियों के दावों का सत्यापन पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक (एसी) द्वारा किया जाता है। आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित कर, संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) को अनुशंसा सहित प्रेषित किया जाता है। डीएओ आगे आवेदनों की जांच करते हैं और अपर समाहर्ता (एडीएम) द्वारा उचित सत्यापन के बाद अंतिम भुगतान की स्वीकृति देकर उसे विभाग को भेजा जाता है। विभाग का डीबीटी प्रकोष्ठ लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी राशि प्रेषित करता है।

## 2.2 भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां

प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बिहार सरकार का कृषि विभाग, कृषि इनपुट सब्सिडी के क्रियान्वयन का संचालन करता है । निदेशक की अध्यक्षता में कृषि निदेशालय, राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी निकाय है। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक (एसी) तथा जिला स्तर पर अपर समाहर्ता (एडीएम) (राहत) या राहत प्रभारी अधिकारी (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) और जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) को लाभार्थियों/भूमि की पहचान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीबीटी प्रकोष्ठ के प्रभारी, एक नोडल अधिकारी (विभाग के मुख्यालय स्तर पर) को लाभार्थियों के बैंक खातों में कृषि इनपुट सब्सिडी की डीबीटी सुविधा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया **चार्ट 2.1** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 2.1**

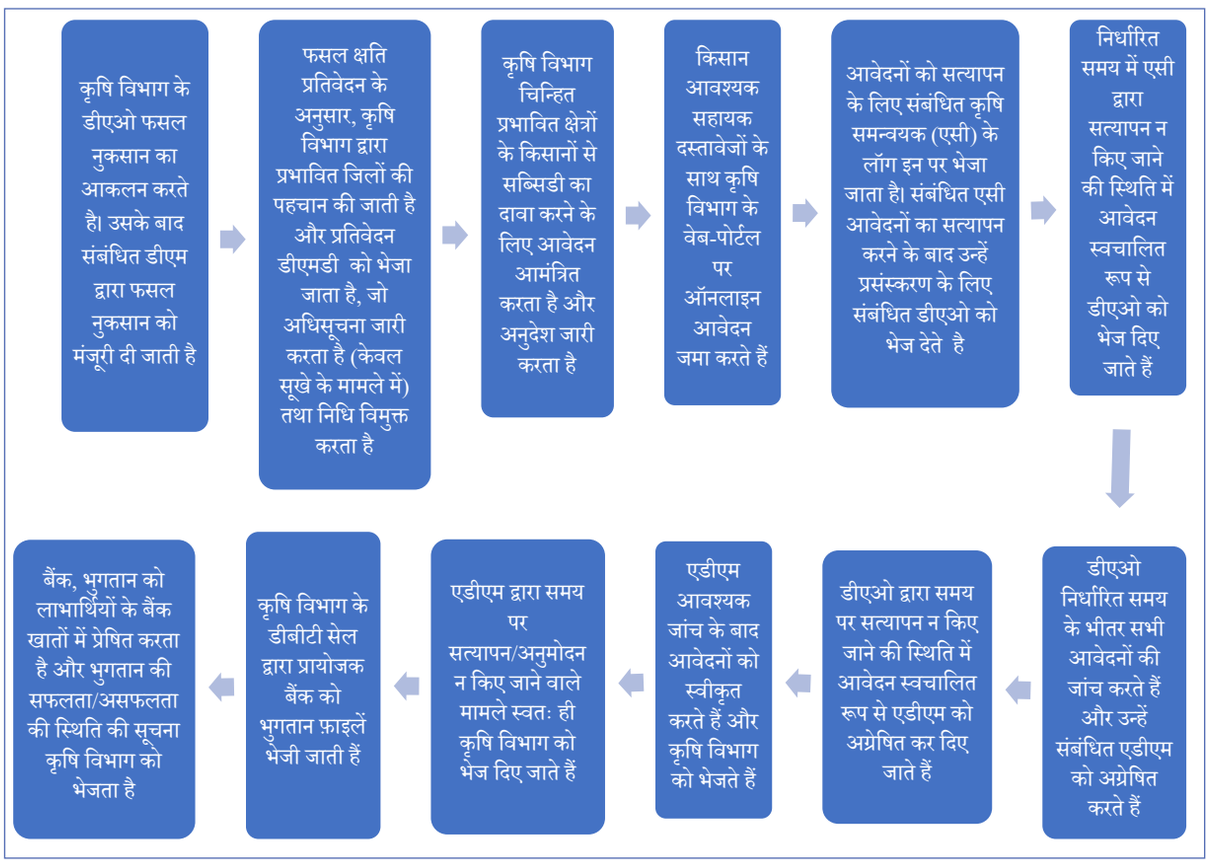


*(स्रोत: कृषि विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)*

## 2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का उद्देश्य इस तथ्य का आकलन करना था कि क्या:

- प्राकृतिक आपदा, प्रभावित ज़िले/प्रखंड तथा योजना के लाभार्थियों की पहचान निर्धारित मानकों के अनुसार की गई थी;
- निधियां पर्याप्त और ससमय उपलब्ध कराई गई तथा पात्र लाभार्थियों को देय सब्सिडी समय पर वितरित की गई; और
- योजना का अनुश्रवण एवं फीडबैक तंत्र उपलब्ध था तथा पर्याप्त, सक्षम और प्रभावी था।

## 2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु जारी अधिसूचनाएँ/संकल्प/परिपत्र तथा डीएमडी द्वारा सूखा एवं बाढ़ प्रबंधन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी);
- कृषि विभाग सहित इसके निदेशालय एवं डीबीटी सेल द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/क्रियान्वयन अनुदेश (अनुदेश);
- बिहार वित्तीय नियमावली (बीएफआर), 1950 (समय-समय पर संशोधित), बिहार कोषागार संहिता (बीटीसी), 2011 तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश/अधिसूचनाएँ;
- समय-समय पर जारी एसडीआरएफ के दिशा-निर्देश तथा अधिसूचनाएँ/परिपत्र; और
- बिहार सिंचाई नियमावली, 2003 ।

## 2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा सीमाएँ

वित्तीय वर्ष 2018-23 के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का एसएससीए अप्रैल से सितंबर 2023 के मध्य किया गया। सर्वोच्च स्तर पर, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग (डीबीटी प्रकोष्ठ सहित) के प्रधान सचिवों तथा कृषि निदेशालय के अभिलेखों/डाटा की जांच की गई। क्षेत्रीय स्तर पर, 10 जिला[4] कृषि कार्यालय (डीएओ)[5], 20 प्रखंड कृषि कार्यालयों[6] (प्रत्येक जिले में दो) तथा 41 पंचायतों (प्रत्येक प्रखंड में दो पंचायत और एक पंचायत जहां कृषि इनपुट सब्सिडी का कोई भुगतान नहीं हुआ) के अभिलेख/डाटा की नमूना-जाँच की गई। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, सब्सिडी वितरण पर कुल व्यय ₹ 3,284.87 करोड़ था। इनमें से, वित्तीय वर्ष 2018-23 के दौरान चयनित जिलों में किया गया व्यय ₹ 1,321.54 करोड़ (कुल का 40.23 प्रतिशत) था।

---

[4] *भागलपुर, दरभंगा, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सिवान और वैशाली।*

[5] *जिलों का चयन सभी जिलों को व्यय के आधार पर छः स्तरों में विभाजित कर आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नमूनाकरण विधि से किया गया।*

[6] *प्रखंडों और पंचायतों का चयन उन्हें भुगतान की गई सब्सिडी राशि के आधार पर किया गया।*

लेखापरीक्षा पद्धति में, अन्य बातों के अलावा अभिलेखों/संचिकाओं/डाटा की जांच, प्रश्नावली एवं प्रपत्र जारी कर जानकारी प्राप्त करना, तथा लेखापरीक्षित इकाइयों से प्राप्त डाटा/प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण शामिल था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमाणित करने एवं लाभार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु, नमूनाकरण विधि से चयनित 820 लाभार्थियों (प्रत्येक पंचायत से 20) का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया।

कृषि विभाग, बिहार सरकार, के संयुक्त सचिव के साथ दिनांक 19 अप्रैल 2023 को अंतर्गमन बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, 18 जुलाई 2024 को कृषि विभाग के निदेशक के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इस एसएससीए के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग की जहां भी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई उन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

### 2.5.1 विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में बाधाएं

- इस एसएससीए की बाधाओं में महत्वपूर्ण अभिलेखों/डाटा का न प्रस्तुत किया जाना या आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाना शामिल था ***(परिशिष्ट-2.1)***। इन अभिलेखों/जानकारियों की अनुपलब्धता के कारण, कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में अनुपालन-सम्बंधी मुद्दों की व्यापक रूप से जाँच नहीं की जा सकी। उदाहरण के लिए, विभाग द्वारा बैंकों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों या "अनुदेश" के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उठाए गए कदमों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग द्वारा जारी (वर्ष 2018-19 के लिए) निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के अभाव में, निधियों के अंतरण और उनके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जांच नहीं की जा सकी ***(संदर्भ: कंडिका 2.9.12)***।
- वर्ष 2018-22 के दौरान घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस (नमूना-जांचित जिलों) के विश्लेषण के दौरान पाया गया कि 24,601 किसानों ने एक से अधिक प्रकार की भूमि (वर्षा-आधारित/सिंचित) अथवा एक से अधिक प्रकार की फसल (बारहमासी/गैर-बारहमासी) के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। "अनुदेश" में विभिन्न प्रकार की भूमि और फसलों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई थीं। हालांकि, संबंधित कृषि समन्वयकों ने 9,472 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र को एक ही "फील्ड" के रूप में अनुमोदित/सिफारिश किया था। इस "फील्ड" में प्रभावित भूमि/फसल के प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था। भूमि/फसल के प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण, इन मामलों में, आवेदनों के प्रसंस्करण के दौरान कृषि समन्वयकों द्वारा लागू दरों का कोई पता लगाये बिना ₹ 11.15 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि का भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट-2.2)***।

इसलिए, सिस्टम में भूमि के प्रकार (सिंचित/वर्षा-आधारित) और फसल के प्रकार (बारहमासी/गैर-बारहमासी) से संबंधित जानकारी के अभाव में, इन मामलों में स्वीकृत सब्सिडी राशि का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका।

## 2.6 कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए आपदाओं, जिलों और प्रखंडों की पहचान

आपदाओं तथा ऐसे आपदाओं से प्रभावित जिलों और प्रखंडों का उचित पहचान, कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, डीएओ द्वारा (जिला स्तर पर) की गई प्रभावित फसल/भूमि आकलन के आधार पर की जाती है और कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है। वर्ष 2018-23 के दौरान, कृषि विभाग द्वारा चिन्हित जिलों, प्रखंडों और आपदाओं तथा कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए जारी भुगतान को **तालिका 2.1** में विस्तार से दर्शाया गया है।

**तालिका 2.1: कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के भुगतान के लिए चिन्हित जिले, प्रखंड एवं आपदाएँ**

| क्रम सं. | वित्तीय वर्ष | आपदा (मौसम और वर्ष) | प्रभावित जिलों की संख्या | प्रभावित प्रखंडों की संख्या | भुगतान किये गये किसानों की संख्या (लाख में) | भुगतान की गई सब्सिडी की राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-19 | सूखा (खरीफ 2018) | 25[7] | 280 | 13.36 | 904.77 |
| 2. | 2019-20 | ओलावृष्टि/तूफान/असमय वर्षा (रबी, फरवरी 2020) | 11[8] | अनु०[9] | 1.86 | 54.76 |
| 3. | | ओलावृष्टि/तूफान/असमय अत्यधिक वर्षा (रबी, मार्च 2020) | 23[10] | अनु० | 10.33 | 363.73 |
| 4. | | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2019) | 32[11] | अनु० | 14.38 | 625.04 |
| 5. | 2020-21 | ओलावृष्टि/ तूफान/ असमय अत्यधिक वर्षा (रबी, अप्रैल 2020) | 19[12] | 148 | 5.09 | 129.20 |
| 6. | | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2020) | 17[13] | 206 | 14.61 | 616.01 |
| 7. | 2021-22 | यास तूफ़ान (रबी, मई 2021) | 16[14] | 95 | 3.43 | 77.32 |
| 8. | | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2021) | 30[15] | 265 | 12.48 | 514.04 |
| 9. | 2022-23 | सूखा (खरीफ 2022) | 11[16] | 96 | अनु० | 0 |

*(स्रोत: कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा उपलब्ध सूचना), अनु०: अनुपलब्ध*

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा आपदाओं तथा जिलों/प्रखंडों के अनियमित/गलत पहचान के कारण भुगतान के मामले पाए गए, जिसके फलस्वरूप कृषि इनपुट सब्सिडी का अनियमित/अस्वीकार्य भुगतान हुआ जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

---

7 *पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालंदा, सहरसा, सीतामढी और लखीसराय।*

8 *पटना, बक्सर, गया, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और भागलपुर।*

9 *जानकारी उपलब्ध नहीं थी।*

10 *पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बांका, मधेपुरा और किशनगंज।*

11 *अररिया, अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढी, सुपौल, भभुआ, गया, सारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, वैशाली, शेखपुरा और मधेपुरा।*

12 *गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया।*

13 *मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, शिवहर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, दरभंगा, वैशाली, सीतामढी और गोपालगंज।*

14 *पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिम चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार।*

15 *पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार।*

16 *जहानाबाद, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नालंदा, बांका और भागलपुर।*

### 2.6.1 गैर चिन्हित जिलों/प्रखंडों में कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान

कृषि विभाग द्वारा तैयार किए गए फसल क्षति आकलन प्रतिवेदन की तुलना, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस से करने पर यह पाया गया कि ₹ 26.27 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान उन लाभार्थियों को किया गया, जो ऐसे जिलों/प्रखंडों से संबंधित थे जिन्हें आपदा से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था। इससे संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

#### 2.6.1.1 गैर चिन्हित जिलों/प्रखंडों में बाढ़ के लिए सब्सिडी का भुगतान

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2019 के खरीफ मौसम के लिए कृषि विभाग ने (अक्टूबर 2019) 32 जिलों को बाढ़ प्रभावित के रूप में चिह्नित किया था। हालांकि, उसी फसल मौसम के लिए, डीएमडी ने 30 अक्टूबर 2019 के अपने संकल्प में 26 जिलों को बाढ़ से प्रभावित घोषित किया ।

विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न जिलों की पहचान किए जाने के कारण सब्सिडी के भुगतान में विसंगतियां उत्पन्न हुई, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

लेखापरीक्षा में डीएमडी द्वारा जारी संकल्प में उल्लिखित जिलों, कृषि विभाग द्वारा चिन्हित जिलों और वास्तव में कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किए गए जिलों की तुलना करने पर पाया कि कुल 32 जिलों के आवेदकों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया। था। इन 32 जिलों में से: (i) 30 जिले कृषि विभाग द्वारा चिह्नित किए गए थे (ii) 22 जिले डीएमडी द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए थे (iii) 22 जिले दोनों विभागों की सूची में विद्यमान थे (iv) आठ जिले केवल कृषि विभाग की सूची में थे और (v) दो जिले (जमुई और सिवान) न तो कृषि विभाग द्वारा और न ही डीएमडी द्वारा चिन्हित किये गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ₹ 21.48 करोड़ की सब्सिडी उन 10 जिलों[17] में दी गई, जिन्हें डीएमडी (इस उद्देश्य के लिए नोडल विभाग) द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था। इन 10 जिलों में जमुई और सिवान भी शामिल थे जिन्हें न तो कृषि विभाग और न ही डीएमडी द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। इसके बावजूद इन दो जिलों के लाभार्थियों को ₹ 1.88 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया।

- अभिलेखों की जांच में आगे यह भी पाया गया कि 2019 के खरीफ मौसम में बाढ़ के लिए ₹ 399.48 करोड़ की सब्सिडी 267[18] प्रखंडों के लाभार्थियों को दी गई। इन 267 प्रखंडों में से 41 प्रखंड ऐसे थे जिन्हें कृषि विभाग द्वारा इस फसल मौसम में बाढ़ प्रभावित के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था। अतः इन 41 प्रखंडों के 614 आवेदकों को ₹ 0.44 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी राशि का किया गया भुगतान अनियमित था।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में बताया कि वर्ष 2021-22 से चिन्हित जिलों/प्रखंडों को सिस्टम में मान्य/लॉक कर दिया गया है, जो पहले नहीं किया जाता था। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

---

[17] *औरंगाबाद, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, मधेपुरा, सारण, शेखपुरा, सिवान और वैशाली। चार (दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और सुपौल) जिलों में कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया, जबकि इन्हें डीएमडी द्वारा बाढ़ प्रभावित के रूप में मान्यता दी गई थी।*

[18] *भुगतान 226 चिन्हित प्रखंडों (242 में से) तथा 41 गैर चिन्हित प्रखंडों में किया गया।*

### 2.6.1.2 गैर चिन्हित जिलों/प्रखंडों में बुआई नहीं होने वाली भूमि के लिए सब्सिडी का भुगतान

डीएमडी द्वारा अक्टूबर 2019 में बाढ़/अल्पवर्षा से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु निधियों के आबंटन के लिए जारी संकल्प के अनुसार, बुआई नहीं होने वाली भूमि के लिए अनुदान का भुगतान राज्य संसाधनों से किया जाना था। 2019 के खरीफ मौसम के दौरान, कृषि विभाग ने 16 जिलों की पहचान की, जहां अल्पवर्षा के कारण भूमि पर बुआई नहीं हो सकी।

- हालांकि, कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 16 जिलों के बजाय, खरीफ 2019 मौसम में बुआई नहीं होने वाली भूमि के लिए ₹ 225.56 करोड़ की सब्सिडी 29 जिलों[19] में वितरित की गई। इसमें से ₹ 4.03 करोड़ की सब्सिडी उन 14 जिलों[20] के आवेदकों को दी गई, जो उन चिन्हित जिलों में शामिल नहीं थे, जहां भूमि पर बुआई नहीं हो सकी थी। इससे इन 14 जिलों में ₹ 4.03 करोड़ का अनियमित कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान हुआ।
- मुजफ्फरपुर जिले के फसल क्षति आकलन प्रतिवेदन की जांच और कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2019 के खरीफ मौसम में बुआई नहीं होने वाली भूमि के लिए ₹ 7.69 करोड़ की सब्सिडी जिले के 12 प्रखंडों में वितरित की गई। इन 12 प्रखंडों में से तीन प्रखंड[21] ऐसे थे जिन्हें डीएओ द्वारा बिना बुआई वाले प्रखंडों के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इन तीन प्रखंडों में ₹ 31.62 लाख की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान अनियमित रूप से लाभार्थियों को किया गया।

इन विसंगतियों ने ना केवल कृषि इनपुट सब्सिडी की वेब-एप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रण की कमी को दर्शाया, बल्कि उन अधिकारियों की लापरवाही को भी इंगित किया, जिन्होंने लाभार्थियों को भुगतान की स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.27 करोड़ का अनियमित भुगतान उन जिलों/प्रखंडों के आवेदकों को हुआ, जो आपदा से प्रभावित के रूप में चिह्नित नहीं किए गए थे।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि वर्ष 2021-22 से चिह्नित जिलों/प्रखंडों को सिस्टम में मान्य/लॉक किया गया है, जो प्रारंभ में नहीं किया गया था। आगे बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

### 2.6.2 चिह्नित (आकलित) फसल क्षति से अधिक सब्सिडी का भुगतान

कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए धनराशि का आबंटन कृषि विभाग द्वारा आकलित एवं प्रतिवेदित फसल क्षति के आधार पर डीएमडी द्वारा किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां प्रतिवेदित फसल क्षति क्षेत्र से अधिक का भुगतान किया गया, विभाग ने सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए (जून 2021)। इसके अतिरिक्त, 2020 के खरीफ मौसम के दौरान कृषि विभाग द्वारा फसल के क्षति के प्रतिवेदित क्षेत्र को कृषि इनपुट सब्सिडी के सॉफ्टवेयर में लॉक करने के निर्देश जारी किए गए थे, ताकि फसल क्षति के प्रतिवेदित क्षेत्र से अधिक के लिए सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जा सके/ संसाधित नहीं किया जा सके।

---

[19] *भुगतान 15 चिन्हित जिलों (कुल 16 में से) तथा 14 गैर चिन्हित जिलों में किया गया।*

[20] *अररिया, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढी और सिवान।*

[21] *बंदरा , बोचहा और मीनापुर ।*

- वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए विभाग की फसल क्षति के आकलन प्रतिवेदन की जांच पर लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान कृषि विभाग द्वारा फसल क्षति के क्षेत्र और किए गए भुगतान की तुलना करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि 18 जिलों[22] में विभाग ने 2020 और 2021 में बाढ़/ओलावृष्टि/अत्यधिक और असमय वर्षा[23] के कारण 3.26 लाख हेक्टेयर में फसल के क्षति के लिए ₹ 434.85 करोड़ की भुगतेय सब्सिडी का आकलन किया था। हालांकि, इस आकलन के सापेक्ष, विभाग ने 4.45 लाख हेक्टेयर में फसल की क्षति के लिए ₹ 573.51 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया। इस प्रकार, विभाग ने एक क्षेत्र में फसल क्षति के लिए ₹ 138.66 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया, जो फसल क्षति के चिह्नित क्षेत्र (आकलित) से 1.19 लाख हेक्टेयर ज्यादा था। इन चार आपदाओं के लिए किया गया अधिक भुगतान का पता विभाग द्वारा नहीं लगाया जा सका क्योंकि एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में क्षेत्र को लॉक नहीं किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बावजूद कि कृषि विभाग द्वारा जून 2021 में ₹ 29.71 करोड़ के अधिक भुगतान (2020 के खरीफ मौसम से संबंधित) के नियमितीकरण हेतु विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे, इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 29.71 करोड़ का अनधिकृत भुगतान हुआ।
- विभाग के आकलन प्रतिवेदन तथा 2019 के खरीफ मौसम के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी से संबंधित डाटा के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन जिलों[24] में विभाग ने उस मौसम में कम वर्षा के कारण बिना बोई गई 0.85 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए ₹ 57.47 करोड़ की सब्सिडी का आकलन किया था। तथापि, विभाग ने 1.00 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल क्षति के लिए आवेदकों को ₹ 70.73 करोड़ का सब्सिडी का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.26 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान ऐसे क्षेत्र के लिए किया गया जो चिह्नित (आकलित) क्षेत्र से 0.15 लाख हेक्टेयर अधिक था जिसका विभाग द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

चिह्नित क्षेत्र से 1.34 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में फसल क्षति के लिए ₹ 151.92 करोड़ की सब्सिडी के भुगतान ने स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों (डीएओ/एडीएम) द्वारा तत्परता की कमी और डीबीटी एप्लिकेशन में प्रसंस्करण नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाया, जिसके परिणामस्वरूप आकलित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान हुआ।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में जवाब दिया कि वर्ष 2021-22 से चिह्नित /प्रतिवेदित फसल क्षति क्षेत्र को सिस्टम में लॉक किया जा रहा है, जो प्रारंभ में नहीं किया गया था। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए मामलों की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

---

[22] *अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा,गया, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा,पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर,सारण और शिवहर।*

[23] *बाढ़: खरीफ 2019, ओलावृष्टि: फरवरी 2020, ओलावृष्टि: मार्च 2020 और ओलावृष्टि: अप्रैल 2020।*

[24] *गया, मुंगेर और शेखपुरा।*

## 2.7 कृषि इनपुट सब्सिडी आवेदनों की भूमि-स्वामित्व की सत्यापन प्रक्रिया का अभाव

कृषि इनपुट सब्सिडी आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु जारी अनुदेश के अनुसार, लाभार्थियों/प्रभावित भूमि की पहचान एवं सत्यापन का कार्य विभाग के कृषि समन्वयक (एसी) द्वारा ऑफ़लाइन मोड में किया जाना था।

विभाग में अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि कृषि इनपुट सब्सिडी का डाटाबेस, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि डाटाबेस के साथ एकीकृत नहीं था। इसके अभाव में, आवेदन डाटाबेस में अपलोड की गई किसानों की भूमि धारिता संबंधी जानकारी को सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान स्रोत डाटा से सत्यापित/प्रमाणित नहीं किया गया, जिससे किसान की पात्रता/अधिकारिता की पुष्टि नहीं हो सकी। यहाँ तक कि भूमि धारिता के ऑफ़लाइन सत्यापन की प्रक्रिया भी निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके कारण कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि का भुगतान अपात्र व्यक्तियों को किए जाने का जोखिम उत्पन्न हुआ, जैसा कि ***कंडिका 2.8.2 तथा 2.8.13*** में उल्लिखित है।

बिहार सिंचाई नियमावली, 2003, के नियम 3.2.2 के उप-नियम (ए) के अनुसार, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी सुनिश्चित सिंचाई योग्य क्षेत्र को अधिसूचित करेंगे, जिसे पिछले पांच वर्षों से लगातार सिंचाई का पानी मिल रहा है। उक्त नियम के उप-नियम (बी) में यह प्रावधान है कि इस प्रकार की घोषणा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा घोषणा में भू-स्वामी का नाम एवं खेसरा संख्या (राजस्व ग्राम में स्थित भूखंड की विशिष्ट पहचान संख्या) को अंकित किया जाएगा।

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटा एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि कृषि विभाग द्वारा जारी "अनुदेश" में क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जैसे कि एसी/डीएओ/एडीएम, द्वारा 'सुनिश्चित सिंचित भूमि' के सत्यापन का उल्लेख नहीं किया गया। ₹ 1,193.53 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान 24.30 लाख ऐसे आवेदकों को किया हुआ पाया गया जिन्होंने फसल क्षति के कारण 'सुनिश्चित सिंचित भूमि' श्रेणी के अंतर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन किया था। इस श्रेणी की भूमि वर्ष 2018 से 2022 के बीच 10 नमूना-जांचित जिलों में घटित सभी आठ आपदाओं से प्रभावित हुई थी। "अनुदेश" में सत्यापन से संबंधित दिशा-निर्देशों के अभाव में क्षेत्रीय कर्मियों के विवेक के आधार पर आवेदनों के अनुचित प्रसंस्करण किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इन 24.30 लाख आवेदकों के मामलों में, संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई 'सुनिश्चित सिंचित भूमि' की सत्यापन प्रक्रिया का विवरण विभागीय डाटाबेस में भी दर्ज नहीं पाया गया।

***अनुशंसा 1: कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्रोत डाटाबेस के साथ एकीकरण करके आवेदकों के भूमि विवरण का अनिवार्य सत्यापन निर्धारित कर सकता है।***

## 2.8 नमूना-जांचित जिलों में कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान

वित्तीय वर्षों 2018-19 से 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित 10 जिलों में घटित आठ प्राकृतिक आपदाओं के लिए फसल क्षति के आकलन, प्राप्त आवेदनों और भुगतान की गई कृषि इनपुट सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

**तालिका 2.2: वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान की आपदाओं के लिए नमूना-जांचित जिलों में फसल क्षति का आकलन, किसानों द्वारा आवेदन और कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान (मई 2023 तक)**

***(₹ करोड़ में)***

| आपदा (मौसम ) | फसल क्षति का आकलन | | आवेदन | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) | राशि | किसानों की संख्या | क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) | राशि | किसानों की संख्या | क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) | राशि |
| सूखा (खरीफ 2018) | 3.82 | 465.10 | 6,49,092 | 6.95 | 871.54 | 5,21,542 | 2.95 | 369.07 |
| बाढ़/अत्यधिक वर्षा (2019 खरीफ) | 2.33 | 244.17 | 7,59,918 | 7.91 | 832.80 | 4,62,238 | 2.04 | 220.95 |
| ओलावृष्टि/तूफान/ असामयिक वर्षा फरवरी ( रबी 2020 ) | 0.11 | 14.90 | 3,74,879 | 4.05 | 532.61 | 72,859 | 0.19 | 25.58 |
| ओलावृष्टि/तूफान/ असामयिक अत्यधिक वर्षा ( रबी मार्च 2020 ) | 1.00 | 134.97 | 4,53,033 | 5.21 | 689.19 | 3,68,389 | 1.39 | 175.19 |
| ओलावृष्टि/तूफान/ असामयिक अत्यधिक वर्षा (रबी अप्रैल 2020) | 0.40 | 57.11 | 3,13,136 | 2.63 | 358.53 | 1,74,458 | 0.33 | 47.67 |
| बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ) 2020 ) | 2.93 | 391.61 | 7,06,964 | 6.70 | 882.89 | 5,81,276 | 1.87 | 253.05 |
| बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2021 ) | 2.46 | 330.93 | 7,85,879 | 8.38 | 1,082.25 | 5,05,795 | 1.55 | 207.10 |
| यास तूफ़ान ( रबी मई 2021 ) | 0.25 | 34.35 | 2,59,712 | 2.04 | 274.99 | 1,19,492 | 0.14 | 22.93 |
| **कुल** | **13.30** | **1,673.14** | **43,02,613** | **43.87** | **5,524.80** | **28,06,049** | **10.46** | **1,321.54** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया आकलन प्रतिवेदन और कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस)*

**तालिका 2.2** से यह देखा जा सकता है कि:

**(i)** नमूना-जांचित जिलों में फसल क्षति के लिए 43,02,613 आवेदकों द्वारा ₹ 5,524.80 करोड़ की सब्सिडी का दावा किया गया था। तथापि, इसके सापेक्ष केवल ₹ 1,321.54 करोड़ (24 प्रतिशत) की सब्सिडी 28,06,049 आवेदकों (65 प्रतिशत) को ही वितरित की गई। शेष आवेदन (35 प्रतिशत) या तो विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए अथवा सब्सिडी वितरण के दौरान भुगतान विफल हो गया ***(कंडिका 2.9.6, 2.9.7 तथा 2.9.8)***।

**(ii)** 13.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल फसल क्षति के आकलन के सापेक्ष, 43.87 लाख हेक्टेयर भूमि अर्थात आकलित फसल क्षति क्षेत्र से तीन गुना से अधिक के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। तथापि, सब्सिडी का भुगतान केवल 10.46 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र (आकलित फसल क्षति क्षेत्र का 79 *प्रतिशत*) के सापेक्ष किया गया।

नमूना-जांचित 10 जिलों में कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के डाटाबेस के विश्लेषण में यह पाया गया कि अधिक/कम भुगतान, अस्वीकार्य भुगतान तथा अनियमित भुगतान जैसी कई त्रुटियाँ थीं, जिसने स्वचालन, प्रमाणीकरण एवं इनपुट नियंत्रण की कमी को दर्शाया, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

### 2.8.1 एसडीआरएफ मानदंडों से अधिक कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 8 अप्रैल 2015 को पत्र के माध्यम से एसडीआरएफ से सहायता की मदों एवं मानदंडों को निर्धारित किया। इसके आधार पर, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदाओं के लिए एसडीआरएफ दरों को अधिसूचित किया (मई 2015), जो निम्नानुसार थी:

**दो हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए;**

(i) वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए ₹ 6,800 प्रति हेक्टेयर, बोए गए क्षेत्रों तक सीमित;

(ii) सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर ₹ 13,500, न्यूनतम सहायता ₹ 1000 से कम नहीं तथा बोए गए क्षेत्रों तक सीमित; तथा

(iii) सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर ₹ 18,000, न्यूनतम सहायता ₹ 2,000 से कम नहीं तथा बोए गए क्षेत्रों तक सीमित ।

**दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए ;**

(i) वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए ₹ 6,800 प्रति हेक्टेयर,बोई गई भूमि तक सीमित ;

(ii) सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों के लिए, प्रति हेक्टेयर ₹ 13,500, बोई गई भूमि तक सीमित; तथा

(iii) सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए ₹ 18,000 प्रति हेक्टेयर, बोई गई भूमि तक सीमित।

सहायता की ये दरें, प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा के अधीन, केवल उन मामलों में प्रदान की जानी थीं जहां फसल क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुई थी।

उपरोक्त अधिसूचित दरों के अनुसार, वर्षा आधारित श्रेणी तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमि जोत के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए न्यूनतम सहायता राशि लागू नहीं थी। ये दरें केवल एसडीआरएफ से कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए अनिवार्य थीं तथा राज्य सरकार इन दरों से अधिक सहायता राशि अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान कर सकती थी।

हालांकि, यह देखा गया कि कृषि विभाग ने "अनुदेश" (कृषि इनपुट सब्सिडी के प्रसंस्करण और भुगतान हेतु निर्देशों का संकलन) के माध्यम से सभी प्रकार के किसानों के लिए वर्षा आधारित/सिंचित भूमि के लिए ₹ 1,000 तथा बारहमासी फसलों के लिए ₹ 2,000 की न्यूनतम सहायता राशि निर्धारित की थी। इसके परिणामस्वरूप, प्रति किसान दो हेक्टेयर की भूमि की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सहायता राशि हेतु वर्षा आधारित क्षेत्रों को बाहर रखने की शर्तों का पालन नहीं किया गया। कृषि इनपुट सब्सिडी "अनुदेश" के ये निर्देश एसडीआरएफ के स्वीकृत मानदंडों के विपरीत थे, जो केवल दो हेक्टेयर से कम भूमि जोत वाले किसानों को, सुनिश्चित सिंचित श्रेणी में ₹ 1,000 की न्यूनतम भुगतान का प्रावधान करते थे। अतः, "अनुदेश" और एसडीआरएफ मानकों के बीच अंतर ने केवल सुनिश्चित सिंचित और बारहमासी श्रेणी के अंतर्गत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के बजाय सभी प्रकार के किसानों को न्यूनतम दरों पर सब्सिडी के भुगतान की अनुमति दी।

फसल मौसम 2019-20 से 2021-22 के दौरान घटित आपदाओं के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण में लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 नमूना-जांचित जिलों में 0.56 लाख मामलों में ₹ 5.65 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान प्रति किसान ₹ 1,000/₹ 2,000 की न्यूनतम दरों पर किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त एसडीआरएफ मानकों में उन मामलों में न्यूनतम दरों पर कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान निर्धारित नहीं किया गया जहां किसान के पास या तो किसी श्रेणी (वर्षा आधारित/सुनिश्चित सिंचित/ बारहमासी) के अंतर्गत दो हेक्टेयर से अधिक या वर्षा आधारित श्रेणी भूमि के अंतर्गत दो हेक्टेयर से कम भूमि थी। तथापि इन 0.56 लाख आवेदकों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान, उनकी भूमि की जोत के आकार एवं श्रेणी की परवाह किए बिना, कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे किए गए विश्लेषण में पाया गया कि आवेदकों द्वारा दी गई भूमि की जोत, एसी द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित वास्तविक फसल क्षति क्षेत्र तथा भूमि/फसल की श्रेणी, के विवरण के अनुसार ये किसान एसडीआरएफ मानकों के अनुसार केवल ₹ 1.91 करोड़ की सब्सिडी के पात्र थे।

इस प्रकार, एसडीआरएफ मानकों के तहत निर्धारित दरों के अनुरूप "अनुदेश" में सहायता की दरों का उल्लेख नहीं करने के कारण, आवेदकों को ₹ 3.74 करोड़ का अधिक राशि का भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट-2.3 (ए एवं बी))***।

***अनुशंसा 2: कृषि विभाग को कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान के संदर्भ में एसडीआरएफ मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा सहायता दरों /लाभार्थियों की श्रेणी में किसी भी प्रकार के भिन्नता के मामले को आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष उठाना चाहिए।***

### 2.8.2 कृषि इनपुट सब्सिडी का अधिक/कम/अनियमित भुगतान

"अनुदेश" में यह प्रावधान किया गया था कि आवेदक के आवेदन में उल्लिखित दावे की जांच एसी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर की जाएगी तथा दावा या तो स्वीकार किया जाएगा, या कारण सहित अस्वीकार किया जाएगा, या त्रुटि सुधार के बाद स्वीकार किया जाएगा और अपनी अनुशंसा सहित उसे डीएओ को अग्रसारित किया जाएगा। डीएओ को निर्धारित समयावधि के भीतर अपने लॉगिन में समस्त आवेदनों की जांच करना आवश्यक था और या तो कारण सहित अस्वीकृत करना था, या स्वीकृत कर और अपनी अनुशंसा सहित एडीएम, राहत/डीएम द्वारा नामित पदाधिकारी को उनके अनुमोदन हेतु अग्रसारित करना था। एडीएम, राहत/डीएम द्वारा नामित पदाधिकारी को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु कृषि विभाग को स्वीकृत/अनुमोदित आवेदनों को भेजना आवश्यक था। इस प्रकार डीएओ/एडीएम को सम्बंधित एसी द्वारा अंतिम रूप निर्धारित किए गए भुगतान को सुधारना/बदलना नहीं था, यद्यपि वे कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन को या तो स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते थे।

"अनुदेश" के अनुसार, कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान, फसल क्षति के क्षेत्र, प्रभावित भूमि की श्रेणी, प्रभावित फसल के प्रकार, लाभार्थी/प्रभावित भूमि के सत्यापन/परीक्षण तथा भुगतान के लिए निर्धारित दरों एवं शर्तों पर निर्भर करता है जैसा कि ***कंडिका 2.8.1*** में उल्लेखित है।

10 नमूना-जांचित जिलों में, वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में घटित आपदाओं के लिए, लेखापरीक्षा ने कृषि इनपुट सब्सिडी आवेदनों के प्रसंस्करण के दौरान "अनुदेश" के प्रावधानों के अनुपालन नही किए जाने के मामले पाए, जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी आदि का अधिक/कम/अनियमित भुगतान आदि हुआ।

#### (i) कृषि इनपुट सब्सिडी का अधिक भुगतान

उपर्युक्त "अनुदेश" में निहित प्रावधानों तथा कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण में यह पाया गया कि 10 नमूना-जांचित जिलों में 44,891 हेक्टेयर में होने वाली फसल क्षति के लिए सब्सिडी के लिए 44,185 आवेदन प्राप्त हुए। ये आवेदन वर्ष 2018 से 2022 के दौरान होने वाले आपदाओं से सम्बंधित थे। लाभार्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों तथा प्रभावित भूमि/लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया के आधार पर एसी द्वारा कुल 18,057 हेक्टेयर फसल क्षति क्षेत्र के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान की अनुशंसा की गई थी। यह भूमि क्षेत्र क्रमशः सिंचित, वर्षा आधारित एवं बारहमासी फसलों के अंतर्गत 4,258 हेक्टेयर, 13,794 हेक्टेयर एवं पांच हेक्टेयर थी। सिंचित/वर्षा आधारित भूमि तथा बारहमासी फसल के लिए लागू दरों के अनुसार, इन मामलों में केवल ₹ 15.14 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी देय थी। तथापि, संबंधित डीएओ/ एडीएम द्वारा देय सहायता राशि में संशोधन कर लाभार्थियों को भुगतान की

स्वीकृति दी गई। इसके कारण ₹ 27.63 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान लाभार्थियों को किया गया, जिससे लाभार्थियों को ₹ 12.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट-2.4)*** ।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में उल्लिखित 820 लाभार्थियों से संबंधित भूमि जानकारी (खेसरा, खाता[25], थाना नंबर[26], आवेदन किया गया रकबा या क्षेत्र आदि) को उक्त डाटाबेस में उनके द्वारा अपलोड किए गए भूमि दस्तावेजों (किराये की रसीदें/जमाबंदी[27]/भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) आदि) से पुनः सत्यापित किया। यह पाया गया कि नौ नमूना-जांचित जिलों (कैमूर को छोड़कर) में 56 लाभार्थियों ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 74.67 हेक्टेयर भूमि पर फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन किया था, परंतु उनके दावों के समर्थन में केवल 18.61 हेक्टेयर भूमि के दस्तावेज ही सिस्टम में अपलोड किए गए थे। भूमि की प्रकृति एवं आकार के आधार पर उन्हें केवल ₹ 2.51 लाख की कृषि इनपुट सब्सिडी देय थी। यद्यपि, सिस्टम में पर्याप्त भूमि अभिलेखों की मौजूदगी के बिना उन्हें 41.40 हेक्टेयर भूमि के लिए ₹ 5.37 लाख की सब्सिडी का भुगतान किया गया जो भुगतान का अनुमोदन देने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रर्याप्त सतर्कता के अभाव को दर्शाता है। इससे इन 56 लाभार्थियों को ₹ 2.86 लाख की कृषि इनपुट सब्सिडी का अधिक भुगतान हुआ।

### (ii) कृषि इनपुट सब्सिडी का कम भुगतान

"अनुदेश" में निहित उपर्युक्त प्रावधानों तथा वर्ष 2018-22 की अवधि में घटित आपदाओं (10 नमूना-जांचित ज़िलों में) से संबंधित कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण के आलोक में यह पाया गया कि सब्सिडी के लिए कुल 14.74 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो कि 15.98 लाख हेक्टेयर भूमि पर हुई क्षति से संबंधित थे। प्रभावित भूमि/लाभार्थियों के सत्यापन एवं लाभार्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर, संबंधित एसी द्वारा कुल 7.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसित किया, जिसमें क्रमशः 6.31 लाख हेक्टेयर सिंचित, 0.98 लाख हेक्टेयर वर्षा आधारित तथा 0.03 लाख हेक्टेयर बारहमासी फसल क्षेत्र शामिल थे। सिंचित/वर्षा-आधारित भूमि एवं बारहमासी फसलों के लिए लागू दरों के अनुसार, 14.74 लाख लाभार्थियों को ₹ 923.39 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी देय थी। तथापि, इसके सापेक्ष, डीएओ/एडीएम स्तर पर कम अनुदान की स्वीकृति के उपरांत केवल ₹ 883.65 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को ₹ 39.73 करोड़ का कम भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट-2.5)***।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018-22 के दौरान लाभार्थियों के साथ-साथ घटित आपदाओं के लिए 10 नमूना-जांचित ज़िलों में 7,276 हेक्टेयर में फसल क्षति के लिए प्राप्त 8,586 आवेदनों से संबंधित कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए भूमि/लाभार्थियों के साथ-साथ दस्तावेज़ों का सत्यापन किया गया। प्रभावित भूमि/लाभार्थियों एवं अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के सत्यापन के आधार पर, संबंधित एसी द्वारा सिंचित भूमि श्रेणी के अंतर्गत 1,542 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसित किया गया। सिंचित भूमि के लिए लागू दरों के अनुसार इन 8,586 मामलों में ₹ 2.08 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी (₹ 13,500 प्रति हेक्टेयर की दर से) देय थी। तथापि, संबंधित डीएओ /एडीएम ने इन मामलों में सहायता राशि को ₹ 1,000 प्रति आवेदक संशोधित कर दिया। फलस्वरूप, इन 8,586 मामलों में केवल ₹ 0.86 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया, जिससे लाभार्थियों को ₹ 1.22 करोड़ ***(परिशिष्ट–2.6)*** का कम भुगतान हुआ ।

---

[25] *एक खाता संख्या जो एक परिवार को आवंटित किया जाता है और उसके सभी सदस्यों की कुल भूमि दर्शाता है।*

[26] *राजस्व ग्राम संख्या।*

[27] *भूमिधारियों का भूमि अभिलेख खाता।*

### (iii) कृषि इनपुट सब्सिडी का अनियमित भुगतान

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस की जांच ने दर्शाया कि वर्ष 2018-22 के दौरान आपदाओं के लिए 10 में से नौ नमूना-जांचित जिलों (रोहतास को छोड़कर) में 28,264 हेक्टेयर में फसल क्षति के लिए 26,661 आवेदन प्राप्त हुए। इन 26,661 आवेदनों के संबंध में, संबंधित एसी ने सत्यापन प्रक्रिया और लाभार्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर सब्सिडी भुगतान के लिए शून्य क्षेत्र को अनुशंसित किया। इसके बावजूद, संबंधित डीएओ /एडीएम की स्वीकृति के पश्चात ₹ 2.69 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी अनियमित रूप से आवेदकों को भुगतान की गई ***(परिशिष्ट-2.7)*** ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 15.53 लाख मामलों में अधिक/कम/अनियमित भुगतानों ने दर्शाया कि आवेदनों का प्रसंस्करण करने/अनुमोदन देते समय, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस में व्यावसायिक नियमों के गैर/अनुचित मैपिंग तथा आवेदन के प्रसंस्करण/अनुमोदन के दौरान संबंधित डीएओ/एडीएम द्वारा "अनुदेश" के प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया जिसके कारण ₹ 56.14 करोड़ की समग्र कृषि इनपुट सब्सिडी का अनियमित/कम/अतिरिक्त भुगतान हुआ।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के तथ्यों/डाटा की जांच के बाद जवाब भेजा जाएगा। ।

## 2.8.3 कृषि इनपुट सब्सिडी का दोहरा भुगतान

"अनुदेश" के अनुसार, किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय उनकी कुल प्रभावित भूमि का उल्लेख करना आवश्यक था, ताकि एक मौसम में सामान आपदा के लिए सब्सिडी का दोहरा भुगतान रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रायोजक बैंकों को अपने सिस्टम में डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करने एवं उन्हें हटाने हेतु डि-डुप्लीकेशन सुविधा से युक्त करने का निर्देश दिया था।

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि तीन जिलों में 61 लाभार्थियों को खरीफ मौसम 2018 में घटित सूखे और 2020 के खरीफ मौसम में घटित बाढ़ के लिए दो बार सब्सिडी का भुगतान किया गया। एक ही मौसम में किसी आपदा के लिए किसी लाभार्थी को दोहरा भुगतान यह दर्शाता है कि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी साथ ही साथ प्रणाली, कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु डुप्लीकेट आवेदनों का पता नहीं लगा सकी। इसके फलस्वरूप ₹ 3.60 लाख की अधिक राशि का भुगतान किया गया, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

**तालिका 2.3: कृषि इनपुट सब्सिडी के दोहरे भुगतान के मामले**

| क्र. सं. | आपदा का नाम (मौसम) | जिला | मामलों की संख्या | शामिल लाभार्थियों की संख्या | भुगतान की राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सूखा (खरीफ 2018) | मुजफ्फरपुर | 44 | 22 | 2.06 |
| 2. | | वैशाली | 68 | 34 | 1.14 |
| 3. | | कैमूर | 08 | 04 | 0.15 |
| 4. | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2020 ) | मुजफ्फरपुर | 02 | 01 | 0.25 |
| **कुल** | | | **122** | **61** | **3.60** |

*(स्रोत: बिहार सरकार के कृषि विभाग की डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा )*

उपरोक्त मामलों में दोहरे भुगतान निम्न प्रकार के थे: (क) एक ही आवेदक/एक ही आवेदन पर दो बार भुगतान, तथा: (ख) एक ही आवेदक, विभिन्न आवेदन, एक ही भूमि के लिए दो बार भुगतान।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान जवाब दिया (जुलाई 2024) कि भुगतान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किए गए थे। तथापि, विभाग ने इस संबंध में जारी ऐसे निर्देशों की प्रति के रूप में कोई पुष्टिकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उन मामलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया, जिनमें एक ही मौसम के लिए आवेदन दो बार अपलोड किया गया था।

### 2.8.4 बिना बोई गई भूमि के लिए सब्सिडी का अधिक/अस्वीकार्य भुगतान

वर्ष 2019 और 2021 के खरीफ मौसम के दौरान आई बाढ़ के लिए "अनुदेश" के अनुसार, अत्यधिक या कम बारिश और बाढ़ के कारण बिना बोई रह गई भूमि के सापेक्ष कृषि इनपुट सब्सिडी देय था। बिना बोई गई भूमि के लिए सब्सिडी का भुगतान ₹ 6,800 प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाना था। इसके अलावा, इन आपदाओं के कारण बिना बोई गई रहने वाली भूमि के लिए न्यूनतम राशि यानी ₹ 1,000/₹ 2,000 स्वीकार्य नहीं थी। यह सब्सिडी राज्य के संसाधनों से देय थी।

➢ ***बिना बोई गई भूमि के लिए सब्सिडी का अधिक भुगतान***

उपरोक्त दो आपदाओं से संबंधित डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि सात[28] नमूना-जांचित जिलों में, वर्ष 2019 और 2021 के खरीफ मौसम के लिए 3,089 हेक्टेयर बिना बोई गई भूमि के लिए 48,658 मामलों में (46,484 मामलों में ₹ 1,000/₹ 2,000 के न्यूनतम भुगतान सहित) ₹ 6.05 करोड़ का भुगतान किया गया था। उनके वास्तविक फसल क्षति क्षेत्र के अनुसार, केवल ₹ 2.10 करोड़ (₹ 6,800 प्रति हेक्टेयर की दर से) देय था। हालांकि, लाभार्थियों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान (न्यूनतम भुगतान सहित) सिस्टम में आवेदनों को प्रसंस्करण करते समय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अलग-अलग दरों पर किया गया। इस प्रकार, "बिना बोई गई " भूमि के लिए निर्धारित दरों से भिन्न, कृषि विभाग द्वारा 46,484 मामलों में ₹ 1,000/₹ 2,000 के न्यूनतम भुगतान सहित सहायता की गलत दरों के लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट-2.8)***।

➢ ***बिना बोई गई भूमि के लिए सब्सिडी का अस्वीकार्य भुगतान***

यह भी पाया गया कि कृषि विभाग द्वारा 2018 के खरीफ मौसम के लिए बिना बोई गई भूमि के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान की कोई दर निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा, भारत सरकार के एसडीआरएफ मानदंडों के तहत बिना बोई गई भूमि के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान भी स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, नवादा जिले में सब्सिडी के भुगतान के लिए आवेदनों का प्रसंस्करण करते समय, सिंचित और वर्षा आधारित भूमि के लिए लागू क्रमशः ₹ 13,500 और ₹ 6,800 प्रति हेक्टेयर की एसडीआरएफ दरों को बिना बोई गई भूमि के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु उपयोग एवं लागू किया गया। इसलिए, 2018-20 की अवधि के दौरान नवादा जिले के दो प्रखंडों (पकड़ी-बरावन और काशीचक) में 6,805 हेक्टेयर बिना बोई गई भूमि के लिए 8,148 मामलों में ₹ 8.18 करोड़ के अस्वीकार्य कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के तथ्यों/डाटा की जांच के बाद जवाब भेजा जाएगा।

[28] *भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, सिवान और वैशाली।*

### 2.8.5 निर्धारित सीमा से कम फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी का अस्वीकार्य भुगतान

कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए सहायता के एसडीआरएफ मानदंडों और डीएमडी द्वारा मई 2015 में जारी पत्र के अनुसार, कृषि इनपुट सब्सिडी केवल तभी देय थी जब फसल क्षति क्षेत्र 33 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसके अलावा, "अनुदेश" के अनुसार, संबंधित कृषि समन्वयकों को स्थल सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि: (i) आवेदक ने फसल बोई है (ii) बाढ़/अत्यधिक बारिश के कारण फसल क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र में हुई है और (iii) फसल को बहाल नहीं किया जा सका। इसके अलावा, एसी को प्रभावित भूखंडों पर किसानों की तस्वीरें लेने और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित था।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 10 नमूना-जांचित जिलों में 6,81,617 मामलों में, एकल भूखंडों (खेसरा) में फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। ये आवेदन 7.11 लाख हेक्टेयर के प्रभावित फसल क्षति क्षेत्र और 8.33 लाख हेक्टेयर के कुल खेती क्षेत्र से संबंधित थे। हालांकि, संबंधित एसी ने भूमि स्थलों के सत्यापन के बाद 1.13 लाख हेक्टेयर में फसल-क्षति की सिफारिश की और तदनुसार डीएओ /एडीएम द्वारा ₹ 159.28 करोड़ के कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान के लिए अनुमोदित किया गया।

इन मामलों में कुल खेती के क्षेत्र (8.33 लाख हेक्टेयर) की तुलना संबंधित एसी द्वारा अनुशंसित फसल क्षति क्षेत्र (1.13 लाख हेक्टेयर) के साथ करने पर, यह देखा गया कि सभी 6,81,617 मामलों में फसल क्षति क्षेत्र 33 प्रतिशत से कम था। इसलिए, इन आवेदकों को किया गया ₹ 159.28 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मामले में फसल-क्षति क्षेत्र 33 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से कम था। हालांकि, संबंधित एसी के स्तर पर उचित तत्परता की कमी और वेब एप्लिकेशन में 33 प्रतिशत फसल क्षति क्षेत्र के पात्रता मानदंडों की मैपिंग के अभाव के कारण, इन आवेदकों को ₹ 159.28 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया गया था ***(परिशिष्ट-2.9)***।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में जवाब दिया कि भुगतान संबंधित एसी द्वारा प्रभावित भूमि/ भूखंड के वास्तविक सत्यापन के आधार पर किया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि संबंधित एसी, डीएओ और एडीएम ने आवेदनों का सत्यापन करते और अनुमोदन देते समय 33 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड की अनदेखी की।

### 2.8.6 आवेदनों की अस्वीकृति या अस्वीकृति के लिए दर्ज कारणों के बावजूद सब्सिडी का भुगतान

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस से पता चला कि छः नमूना-जांचित जिलों[29] में, वर्ष 2019 के खरीफ मौसम के दौरान बाढ़ के लिए 2,094 आवेदकों को अनियमित रूप से ₹ 1.43 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि हालांकि इन मामलों में, "एसी स्थिति[30]" से पता चला कि मामलों को एसी (पंचायत) स्तर पर खारिज कर दिया गया था और डीएओ /एडीएम द्वारा कोई राशि अनुमोदित नहीं पाई गई थी, लाभार्थियों को ₹ 1.43 करोड़ का भुगतान जारी किया गया था।

---

[29] *भागलपुर, दरभंगा , मधुबनी , मुजफ्फरपुर , नवादा और पूर्णिया।*

[30] *इस फिल्ड में आवेदन की स्थिति अर्थात स्वीकृति या अस्वीकृति का उल्लेख किया जाता है।*

वर्ष 2018-22 की अवधि के लिए इन छः जिलों में कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस की आगे की जांच से पता चला कि 1,179 मामलों में, एसी/डीएओ/एडीएम स्तर पर निर्दिष्ट[31] क्षेत्रों में नकारात्मक टिप्पणियां[32] थीं जो आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार थीं। हालांकि, आवेदनों को ₹ 32.71 लाख के कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान की स्वीकृति के साथ अगले स्तर पर भेज दिया गया था। इस प्रकार, भुगतान को मंजूरी देने की संबंधित एसी/डीएओ/एडीएम की कार्रवाई उपरोक्त टिप्पणी मद में कारणों/प्रविष्टियों के अनुरूप नहीं थी। इन मामलों का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

**तालिका 2.4: अस्वीकृत मामले तथा अस्वीकृत किए जाने योग्य मामलों में भुगतान**

| जिला | अस्वीकृत लेकिन भुगतान किये गये आवेदनों के मामले | | आवेदनों के अस्वीकरण के लिए दर्ज टिप्पणियां लेकिन किये गये भुगतान के मामले | |
|---|---|---|---|---|
| | आवेदनों की संख्या | राशि का भुगतान (₹ लाख में) | आवेदनों की संख्या | राशि का भुगतान (₹ लाख में) |
| भागलपुर | 635 | 40.85 | 156 | 4.66 |
| दरभंगा | 230 | 12.76 | 137 | 2.87 |
| मधुबनी | 77 | 4.46 | 478 | 11.55 |
| मुजफ्फरपुर | 397 | 22.45 | 90 | 2.42 |
| नवादा | 752 | 62.14 | 153 | 7.77 |
| पूर्णिया | 03 | 0.28 | 165 | 3.44 |
| **कुल** | **2,094** | **142.94** | **1,179** | **32.71** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा)*

उपरोक्त विसंगतियां इन मामलों में प्रणाली में उचित नियंत्रण और प्रत्येक स्तर पर जांच में कमियों को इंगित करती हैं।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में जवाब दिया कि ये अस्वीकृत मामले हैं जिन पर पुनर्विचार किया गया था। विभाग का जवाब "अनुदेश" के अनुसार नहीं था और इन मामलों पर पुनर्विचार करने का कोई स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया था।

### 2.8.7 एसी द्वारा आवेदनों के सत्यापन के बिना कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान

प्रत्येक आपदा हेतु कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए जारी 'अनुदेश' में यह पता लगाने के लिए कि किसानों द्वारा अपलोड की गई विभिन्न जानकारी/दस्तावेज़ तथा दावा की गई फसल क्षति का क्षेत्र सही है, लाभार्थियों के आवेदनों का संबंधित एसी द्वारा सत्यापन के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया गया था। निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसी स्तर पर आवेदनों के सत्यापन/स्वीकृति न होने की स्थिति में, ये स्वतः अगले स्तर पर अग्रसारित हो जाने थे। 'अनुदेश' में यह भी उपबंधित था कि ऐसे सभी अप्रमाणित आवेदनों जिनका भुगतान कर दिया गया हो, भुगतान के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उत्तरदायी एसी/डीएओ/एडीएम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वितरित सब्सिडी की राशि भी संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल की जाएगी।

---

[31] *एसी स्तर पर 33 मामलों में "एसी टिप्पणियां (आवेदन से संबंधित किसी भी टिप्पणी का उल्लेख करने के लिए उपयोग की जाती हैं)" और 582 मामलों में "एसी अस्वीकार कारण" कॉलम में, डीएओ स्तर पर 509 मामलों में "डीएओ टिप्पणियां" कॉलम में और एडीएम स्तर पर 55 मामलों में "एडीएम टिप्पणियां" कॉलम में।*

[32] *जमीन विवरण में त्रुटि, व्यक्तिगत विवरण में त्रुटि, गलत आवेदन, रसीद गलत है, भूमि रसीद अपलोड नहीं की गई, आवेदक की जमीन पर कोई क्षति नहीं है, आवेदक खेती नहीं करते हैं, जमीन विवरण और दस्तावेज़ में अंतर, आवेदक का स्वयं प्रमाणित दस्तावेज़ गलत है, आवेदक गाँव में नहीं रहता है, एसी द्वारा गलत सत्यापन, भूमि रसीद पुरानी है, अपलोड किया गया एसी का हलफ़नामा स्वीकार्य नहीं है और अपलोड किया गया फोटो आवेदक से संबंधित नहीं है आदि।*

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि चार आपदाओं (खरीफ 2019, 2020, 2021 में बाढ़ और मई 2021 में यास तूफ़ान) के मामलों में, संबंधित एसी ने छः नमूना-जांचित जिलों[33] में 6,994 आवेदनों का सत्यापन नहीं किया था। डाटाबेस के "एसी कार्रवाई तिथि" मद रिक्त रह गए थे, एसी द्वारा किए गए किसी भी भौतिक/दस्तावेजी सत्यापन का कोई विवरण भी अपलोड नहीं किया गया था। इसलिए, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस में "एसी स्थिति" कॉलम यह प्रदर्शित नहीं करता था कि आवेदनों को एसी द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया था। ये आवेदन स्वतः अगले स्तर पर अग्रसारित तथा डीएओ और एडीएम स्तर पर ₹ 1.77 करोड़ के भुगतान के लिए अनुमोदित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, डाटाबेस के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान के 15 दिनों के बाद इन मामलों का सत्यापन नहीं किया गया तथा एसी की कोई अनुशंसा नहीं थी, यद्यपि उक्त 'अनुदेश' के अनुसार अपेक्षित था।

इस प्रकार, संबंधित एसी द्वारा लाभार्थियों के दावों की सत्यता के सत्यापन के बिना 6,994 किसानों को ₹ 1.77 करोड़ का कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान विभाग ने जवाब दिया कि ये एसी स्तर से आवेदनों के स्वतः अग्रेषण के मामले हैं। हालांकि, उन्होंने "अनुदेश" के प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों को भुगतान के 15 दिनों के भीतर इन मामलों की जांच/सत्यापन के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

### 2.8.8 एक ही भूमि पर एक परिवार के दो या अधिक सदस्यों को सब्सिडी का भुगतान

2021 के खरीफ मौसम के दौरान बाढ़ के लिए जारी किए गए "अनुदेश" के अनुसार, एक परिवार से जमीन के एक खंड के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाना था। परिवार के विभाजन के मामलों में, यदि वे एक ही भूमि/फसल के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो अलग-अलग आवेदनों को स्वीकार किया जा सकता हैं।

खरीफ 2021 बाढ़ के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस की जांच करने पर, यह पाया गया कि 131 मामलों में (मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों की चार पंचायतों[34] में), एक ही परिवार के दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही भूमि के लिए ₹ 8.97 लाख की सब्सिडी का भुगतान किया गया था, क्योंकि आवेदकों के खेसरा/खाता संख्या और थाना संख्या एक ही थी। इस प्रकार, एक ही परिवार से संबंधित इन किसानों को एक मौसम के दौरान एक ही जमीन के सापेक्ष भुगतान किया गया। संबंधित एसी/डीएओ/एडीएम, साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, उनके आवेदनों को संसाधित करने और स्वीकृत करने के समय इस विसंगति का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को ₹ 8.97 लाख की सब्सिडी का अनियमित भुगतान हुआ।

### 2.8.9 आवेदित फसल क्षति क्षेत्र से अधिक के लिए भुगतान

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि नमूना-जांचित नौ जिलों (भागलपुर को छोड़कर) के 61 मामलों में, 34.10 हेक्टेयर फसल क्षति के लिए सब्सिडी का भुगतान किया गया था, यद्यपि आवेदन किया गया क्षेत्र केवल 24.23 हेक्टेयर[35] था। इस प्रकार, एसी द्वारा 9.87 हेक्टेयर फसल क्षति का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और परिणामस्वरूप ₹ 3.12 लाख की देय राशि के बजाय ₹ 4.63 लाख का भुगतान किया गया।

---

[33] *भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली।*

[34] *भगवानपुर रत्ती (वैशाली), चांद केवारी, धरपहरी और धनौर (मुजफ्फरपुर)।*

[35] *2018-22 के दौरान घटित आपदाओं के लिए।*

34 मामलों में, स्वीकृत फसल-क्षति क्षेत्र संबंधित किसान की कुल भूमि से अधिक था (10 मामले सहित, जिनमें प्रभावित क्षेत्र को बढ़ाने के कारणों का उल्लेख किया गया था लेकिन स्वीकृत क्षेत्र डाटाबेस में दिखाए गए किसान की कुल भूमि से अधिक था)।

सब्सिडी राशि की स्वीकृति देते समय एसी द्वारा या डीएओ/एडीएम द्वारा इन अनियमितताओं का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप 61 लाभार्थियों को ₹ 1.51 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जो सत्यापन प्रक्रिया में कमियों को उजागर करता है। इस अनियमित भुगतान ने एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में आवश्यक सत्यापन/नियंत्रण की अनुपस्थिति को भी इंगित किया।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान विभाग ने कहा कि तथ्यों/डाटा की जांच के बाद जवाब भेजा जाएगा।

### 2.8.10 अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार के बाद अनियमित भुगतान

खरीफ मौसम 2019 के दौरान बाढ़ के लिए जारी "अनुदेश" में, कृषि विभाग द्वारा खारिज किए गए दावा आवेदन पर पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, अभिलेखों की जांच और डाटाबेस के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए 9,782 आवेदन विभाग द्वारा खारिज कर दिए गए थे। एसी/डीएओ/एडीएम स्तर[36] पर उनकी अस्वीकृति के बावजूद, इन आवेदनों पर भुगतान के लिए विचार किया गया और ₹ 5.41 करोड़ (जनवरी 2022) के भुगतान के लिए बैंक को भेज दिया गया। ये आवेदन 6 नवंबर 2019 और 10 दिसंबर 2019 के बीच प्रस्तुत किए गए थे और एसी/डीएओ/एडीएम द्वारा 11 दिसंबर 2019 और 20 अप्रैल 2020 के बीच खारिज कर दिए गए थे। हालांकि, ₹ 5.07 करोड़ राशि का भुगतान कृषि इनपुट सब्सिडी आवेदकों को उनके खारिज किए गए आवेदनों पर पुनर्विचार के बाद किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन 9,075 आवेदनों को ₹ 5.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

अतः "अनुदेश" में ऐसे प्रावधनों के बिना आपदा के लगभग दो वर्ष बाद अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार कर कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में जवाब दिया कि इन मामलों में कुछ लाभार्थियों से अनुचित अस्वीकृति की शिकायतें प्राप्त होने और इस संबंध में दिए गए निर्देशों के बाद भुगतान किया गया था। हालांकि, विभाग का जवाब किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं था।

### 2.8.11 अनिवार्य जानकारी अपलोड किए बिना सब्सिडी का भुगतान

अनुदेश' के अनुसार सभी श्रेणी के किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन अपलोड करते समय खेसरा संख्या का विवरण भरना आवश्यक था। प्रभावित भू-खण्ड/भूमि की पहचान स्थापित करने हेतु इस सूचना को अनिवार्य रूप से भरा जाना था।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच घटित आपदाओं से संबंधित कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण में यह पाया गया कि 10 नमूना-जांचित जिलों में 1,60,411 किसानों[37] ने या तो 'खेसरा संख्या' शून्य दर्ज करायी थी या संबंधित प्रविष्टि खाली छोड़ दी थी। इन मामलों में, 52,781.78 हेक्टेयर फसल क्षति हेतु किसानों को कुल ₹ 62.36 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, कुल ₹ 62.36 करोड़ का भुगतान किसानों को 'खेसरा' विवरण भरे बिना किया गया, जो डाटाबेस में सत्यापन एवं इनपुट नियंत्रण की कमी का परिचायक है ***(परिशिष्ट-2.10)***।

---

[36] *एसी (8,693 मामले), डीएओ (622 मामले), एडीएम (450 मामले) द्वारा अस्वीकृत तथा 17 मामले विफल रहे।*

[37] *भूधारी - 1,21,126 (₹ 48.09 करोड़) , वास्तविक खेतिहर - 36,040 (₹ 12.90 करोड़) और भूधारी + वास्तविक खेतिहर - 3,245 (₹ 1.38 करोड़)।*

10 नमूना-जांचित जिलों के आवेदन डाटाबेस में अंकित खेसरा संख्या से संबंधित जानकारी का चयनित लाभार्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के साथ सत्यापन करने के दौरान, 88 मामलों[38] में, जिनमें ₹ 5.39 लाख का भुगतान किया गया था, यह पाया गया कि खेसरा संख्या या तो अंकित नहीं थी या उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों जैसे किराया रसीद/जमाबंदी/एलपीसी से मेल नहीं खाती थी। इस प्रकार ₹ 5.39 लाख का भुगतान अनिवार्य जानकारी का सत्यापन किए बिना ही कर दिया गया, जो कि आवेदन के सत्यापन/प्रसंस्करण के दौरान एसी की ओर से उचित तत्परता के अभाव को दर्शाता है।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के तथ्यों/डाटा की जांच के बाद जवाब भेजा जाएगा।

### 2.8.12 आवश्यक फोटो अपलोड किए बिना सब्सिडी का भुगतान

तीन आपदाओं[39] से संबंधित "अनुदेश" के अनुसार, संबंधित एसी को प्रभावित भूमि पर खड़े किसान की तस्वीर लेने और सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इसे अपलोड करने की आवश्यकता थी। वर्ष 2018-22 के दौरान घटित उपरोक्त तीन आपदाओं के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण पर, यह पाया गया कि सात नमूना-जांचित[40] जिलों में, 1,263 मामलों में किसान की तस्वीर के बजाय, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की तस्वीरें एसी द्वारा ली गई/अपलोड की गई और एसी के टिप्पणी कॉलम में उल्लेख किया गया था । इन मामलों को खारिज करने के बजाय, मामलों को स्वीकार कर लिया गया, डीएओ /एडीएम स्तरों पर अनुमोदित होने के बाद अगले स्तरों पर भेज दिया गया और इन मामलों में ₹ 55.71 लाख का भुगतान किया गया।

सात नमूना-जांचित जिलों[41] में उपर्युक्त तीन आपदाओं के मामलों में चयनित 820 लाभार्थियों द्वारा अपलोड की गई फोटोग्राफों के पुष्टि/सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि: (i) ₹ 0.93 लाख के भुगतान से जुड़े 18 मामलों में, किसानों के परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों/सम्बन्धियों की तस्वीर अपलोड की गई थी (ii) ₹ 0.65 लाख का भुगतान से जुड़े 15 मामलों में, तस्वीर आपदा प्रभावित भूमि पर नहीं ली गई थी और (iii) कैमूर ज़िले में, एक ही तस्वीर (2018 के खरीफ़ मौसम के सूखे के लिए) चार अलग-अलग लाभार्थियों के सापेक्ष उपयोग की गई थी, जिसमें ₹ 0.14 लाख का भुगतान किया गया।

### 2.8.13 आवश्यक भूमि दस्तावेज अपलोड किए बिना सब्सिडी का भुगतान

"अनुदेश" के अनुसार, किसानों को वेब एप्लिकेशन पर अपना आवेदन अपलोड करते समय, भूमि-लगान रसीद/एलपीसी/जमाबंदी तथा संबंधित एसी/किसान सलाहकार तथा एक वार्ड सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र जैसे भूमि दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष 2018-19 से 2021-22 की आपदाओं (10 नमूना-जांचित जिलों में) के डाटाबेस में उल्लिखित भूमि विवरण को चयनित लाभार्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों से सत्यापित किया

---

[38] *भूधारी - 78 (₹ 4.52 लाख) , वास्तविक खेतिहर -09 (₹ 0.73 लाख) और भूधारी + वास्तविक खेतिहर - 01 (₹ 0.14 लाख).*

[39] *सूखा ( खरीफ मौसम 2018 ) , बाढ़ ( खरीफ मौसम 2019 और 2021 ) ।*

[40] *भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया और वैशाली।*

[41] *दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, सिवान और वैशाली।*

गया। यह पाया गया कि 312[42] मामलों में उनके द्वारा अपलोड की गई किराये की रसीद/जमाबंदी/एलपीसी या स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र मान्य नहीं[43] होने के बावजूद ₹ 17.60[44] लाख का भुगतान किया गया।

अतः ₹ 17.60 लाख का भुगतान अनिवार्य/प्रासंगिक दस्तावेजों के समुचित सत्यापन/जांच बिना कर दिया गया, जो आवेदन को स्वीकृत करते समय उचित तत्परता के अभाव को दर्शाता है।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विचार करते हुए तथ्यों/डाटा की जांच के बाद उत्तर प्रेषित किया जाएगा।

***अनुशंसा 3: कृषि विभाग सिस्टम में उचित नियंत्रणों सहित व्यावसायिक नियमों (अनुदेश एवं निर्देशों) की समुचित मैपिंग तथा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जाना सुनिश्चित कर सकता है।***

## 2.9 कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस में पाई गई अन्य कमियाँ

कृषि इनपुट सब्सिडी के विश्लेषण के दौरान अनुपालन और नियंत्रण के मुद्दों में कई कमियां देखी गई, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है:

### 2.9.1 कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण /अस्वीकृति में विलंब

***एसी /डीएओ/एडीएम स्तर पर आवेदन के प्रसंस्करण में देरी***

कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु प्रत्येक आपदा के लिए जारी "अनुदेश" में लाभार्थियों के आवेदनों के सत्यापन तथा एसी, डीएओ और एडीएम स्तर पर अनुमोदन के लिए समय-सीमा[45] निर्धारित की गई थी। उपरोक्त किसी भी स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों के अनुमोदन नहीं होने के मामलों में, आवेदनों को अगले स्तर पर प्रसंस्करण हेतु स्वतः अग्रसारित होना था। इसके अतिरिक्त, डीबीटी मोड को अपनाने के उपरांत, आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर सब्सिडी के भुगतान तक की कुल समय-सीमा 30 दिन निर्धारित की गई थी।

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण के दौरान नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान आवेदन के निष्पादन में प्रत्येक स्तर पर अत्यधिक विलंब देखा गया। कुल 28,06,049 सफल आवेदनों में से, आवेदनों के प्रसंस्करण में क्रमशः एसी, डीएओ और एडीएम स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के सन्दर्भ में एक से 108 दिनों (14.07 लाख मामले), एक से 68 दिनों (3.97 लाख मामले) तथा एक से 28 दिनों (1.24 लाख मामले) तक का विलंब पाया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.11*** में दर्शाया गया है।

---

[42] *स्वयं - 221, वास्तविक खेतिहर - 78 एवं स्वयं + वास्तविक खेतिहर - 13*

[43] *पिता/पति के नाम सहित नाम का मेल न होना (186), अप्रासंगिक/पुरानी अवधि के दस्तावेज (03), गैर-निर्धारित अप्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करना (04), निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित न किए गए दस्तावेज (91), अस्पष्ट दस्तावेजों को अपलोड करना (23) और दोनों श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड न करना (5)।*

[44] *स्वयं -₹ 12.77 लाख, वास्तविक खेतिहर - ₹ 3.85 लाख और स्वयं+वास्तविक खेतिहर - ₹ 0.98 लाख।*

[45] *सूखे (खरीफ 2018), बाढ़ (खरीफ 2019 और 2020) और यास तूफान (मई 2021) के लिए एसी समयसीमा 20 दिन थी। जबकि ओलावृष्टि (फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020) के लिए 10 दिन थी। इसके अलावा, सूखे (खरीफ 2018) के लिए डीएओ और एडीएम समयसीमा पांच दिन थी; बाढ़/सूखा (खरीफ 2019, 2020 और 2021) और यास तूफान (मई 2021) के लिए सात दिन थी। जबकि ओलावृष्टि (फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020) के लिए तीन दिन थी। इसी तरह, खरीफ 2021 के लिए एसी समयसीमा 27 दिन थी यदि आवेदनों की कुल संख्या एक लाख से कम थी और यदि आवेदनों की कुल संख्या एक लाख से अधिक थी तो 32 दिन थी।*

यह दर्शाता है कि एसी/डीएओ/एडीएम के स्तर पर देरी होने की स्थिति में आवेदनों को अगले स्तर पर स्वतः अग्रेषित नहीं किया जा रहा था। यह पाया गया कि "अनुदेश" में निर्धारित स्वत-अग्रेषण के बजाय, आवेदनों को अगले स्तर पर भेजने के लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जिसके कारण समय-सीमा का अनुपालन नहीं हुआ और प्रसंस्करण में देरी हुई। नतीजतन, यह देखा गया गया कि नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2018-19 से 2021-22[46] के दौरान घटित आपदाओं के लिए ₹ 855.07 करोड़ की सब्सिडी भुगतान से जुड़े 6,86,272[47] आवेदनों को उनके निष्पादन के लिए नियत/निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद संबंधित एसी द्वारा एक से 174 दिनों के बाद या संबंधित डीएओ द्वारा चार से 160 दिनों के बाद खारिज कर दिया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान विभाग ने जवाब दिया कि मामलों के स्वत-अग्रेषण की प्रणाली मौजूद थी। अगले स्तर के स्वत-अग्रेषण के मामलों को संबंधित एसी/डीएओ/एडीएम को उनके अनुरोध पर लॉग-इन में वापस भेज दिया गया, जिससे विलंब हुआ। यह उत्तर प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप की पुष्टि करता है, जो कि "अनुदेश" के प्रावधानों के विपरीत था।

***विभागीय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब***

- वर्ष 2018-22 के दौरान घटित आपदाओं से हुई फसल क्षति के कारण कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान हेतु निर्गत अनुदेश की जांच के दौरान यह देखा गया कि विभागीय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदनों की प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी भिन्नता थी। यह पाया गया कि 14.76 लाख मामलों में, विभागीय स्तर पर कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया में आठ से 489 दिन लगे ***(परिशिष्ट2.11)***।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि डीबीटी भुगतान के लिए निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा के सापेक्ष, कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदनों की प्रक्रिया और भुगतान में अत्यधिक विलंब हुआ, जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.5: सब्सिडी के भुगतान में देरी**

| क्रम सं. | आपदा (मौसम) | बिना देरी के भुगतान किये गये मामलों की संख्या | 30 दिनों तक की देरी से भुगतान किये गये मामलों की संख्या | 31 दिनों से 100 दिनों तक की देरी से भुगतान किये गये मामलों की संख्या | 100 दिनों से अधिक देरी से भुगतान किये गये मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2019) | 0 | 29,529 | 2,25,426 | 2,07,283 |
| 2. | ओलावृष्टि/तूफान/ असामयिक वर्षा (रबी फरवरी 2020) | 1,040 | 29,953 | 36,395 | 5,471 |
| 3. | ओलावृष्टि/तूफान/ असामयिक अत्यधिक वर्षा (रबी मार्च 2020) | 73,383 | 2,65,285 | 7,536 | 20,552 |
| 4. | ओलावृष्टि/तूफान/ असामयिक अत्यधिक वर्षा (रबी अप्रैल 2020) | 1,15,226 | 40,744 | 718 | 11,369 |
| 5 | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2020) | 1,10,239 | 2,76,135 | 1,13,597 | 81,305 |
| 6 | बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2021) | 1,88,724 | 15,425 | 15,607 | 2,34,969 |

[46] *फरवरी और मार्च 2020 की ओलावृष्टि को छोड़कर।*

[47] *एसी स्तर- 6,84,469 मामले ( ₹ 852.34 करोड़) और डीएओ स्तर -1,803 मामले (₹ 2.73 करोड़)।*

| क्रम सं. | आपदा (मौसम) | बिना देरी के भुगतान किये गये मामलों की संख्या | 30 दिनों तक की देरी से भुगतान किये गये मामलों की संख्या | 31 दिनों से 100 दिनों तक की देरी से भुगतान किये गये मामलों की संख्या | 100 दिनों से अधिक देरी से भुगतान किये गये मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | 0 | 39,685 | 77,429 | 2,378 |
| | **कुल** | **4,88,612** | **6,96,756** | **4,76,708** | **5,63,327** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा)*

**तालिका 2.5** से देखा जा सकता है कि 22.25 लाख (कुल) आवेदनों में से केवल 22 प्रतिशत (4.89 लाख) आवेदनों को ही निर्धारित अवधि में निष्पादित किया गया।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान जवाब दिया कि मुख्यालय स्तर पर भुगतान में देरी राशि की कमी के कारण हुई। विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष अधिशेष राशि अभ्यर्पित की गई थी, जैसा कि ***कंडिका 2.10.1*** में दर्शाया गया है।

### 2.9.2 आवेदकों की कुल भूमि से अधिक प्रभावित भूमि के लिए आवेदन स्वीकार करना

प्राकृतिक आपदाओं और फसल क्षति से प्रभावित कुल क्षेत्रफल, एक आवेदक के पास उपलब्ध कुल भूमि से अधिक नहीं हो सकता है। इस जोखिम को रोकने के लिए, जिसमें प्रभावित भूमि क्षेत्र के लिए सब्सिडी का दावा या भुगतान किया जाता है जो आवेदक की कुल भूमि से अधिक हो, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में उपयुक्त सत्यापन/इनपुट नियंत्रण शामिल किया जाना आवश्यक था।

10 नमूना-जांचित जिलों से सम्बंधित कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान घटित आठ आपदाओं में 2,140 आवेदकों ने 2,184.28 हेक्टेयर प्रभावित भूमि क्षेत्र के लिए सब्सिडी हेतु आवेदन किया। जबकि आवेदक के पास उपलब्ध कुल भूमि क्षेत्र (सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा दर्ज किये गए आवेदन के अनुसार) केवल 1,780.90 हेक्टेयर था, जो कि स्पष्ट रूप से उनके द्वारा आवेदन किए गए प्रभावित भूमि क्षेत्र से काफी कम था। इस प्रकार, आवेदकों ने अपनी कुल भूमि से 403.38 हेक्टेयर अधिक भूमि क्षेत्र ***(परिशिष्ट-2.12)*** के लिए सब्सिडी का आवेदन किया, जिसे सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में सत्यापन और इनपुट नियंत्रण की कमी का सूचक था।

### 2.9.3 आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसानों का पंजीकरण/आवेदन

विभिन्न आपदाओं के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण करने हेतु, विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करते समय, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। तदनुसार, इन अंतिम तिथियों को सिस्टम में इनपुट नियंत्रण के रूप में मैप किया जाना चाहिए, ताकि निर्धारित तिथि के बाद आवेदनों को स्वतः अस्वीकार किया जा सके।

- 10 नमूना-जांचित ज़िलों में वर्ष 2018-22 के दौरान घटित आपदाओं से संबंधित कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण से, यह ज्ञात हुआ कि 22.13 लाख आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपलोड किए गए थे। इन 22.13 लाख आवेदनों में से, नौ नमूना-जांचित ज़िलों (रोहतास को छोड़कर) में 15.94 लाख आवेदकों को ₹ 815.23 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान एसी/डीएओ/एडीएम स्तरों पर दी गई स्वीकृतियों के आधार पर किया गया। शेष आवेदनों को या तो अस्वीकार कर दिया गया या उनके सापेक्ष भुगतान विफल हुआ ***(परिशिष्ट-2.13)***। इन 15.94 लाख आवेदनों को निर्धारित अंतिम तिथि के एक से लेकर 112 दिनों के बाद अपलोड किया गया था।

- वर्ष 2018-22 के दौरान कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु जारी "अनुदेश" के अनुसार, किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक था। "अनुदेश" के अनुसार केवल वे ही कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते थे, जो डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत थे।

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस (2018-22) के विश्लेषण में यह पाया गया कि 10 नमूना-जांचित जिलों में, 77,808 मामलों में आवेदनों के जमा करने की तिथि, पोर्टल पर उनके पंजीकरण की तिथि से पहले की थी। इन दोनों तिथियों के बीच का अंतर एक दिन से लेकर 293 दिन तक था। इन 77,808 मामलों में ₹ 22.94 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी 46,278 आवेदकों को, उनके आवेदनों को एसी/डीएओ/एडीएम स्तरों पर स्वीकृति के बाद भुगतान की गई।

ऊपर वर्णित दोनों तथ्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में इनपुट नियंत्रणों की कमी साथ ही संबंधित प्रसंस्करण करने/स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की अपने-अपने सम्बंधित स्तरों पर ऐसी विसंगतियों का पता लगाने में असमर्थता का सूचक हैं।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में बताया कि डाटाबेस के तथ्यों/डाटा की जाँच के बाद जवाब भेजा जाएगा।

### 2.9.4 डाटाबेस में महत्वपूर्ण फ़ील्ड खाली छोड़ा जाना

नमूना-जांचित 10 ज़िलों में वर्ष 2018-22 के दौरान घटित आपदाओं से संबंधित कृषि इनपुट सब्सिडी डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि कई महत्वपूर्ण फ़ील्ड[48] या तो खाली छोड़ दिए गए थे अथवा 'शून्य' दर्ज किया गया था, जिससे सब्सिडी के समयबद्ध एवं सटीक प्रसंस्करण एवं भुगतान पर प्रभाव पड़ा। खेसरा नंबर, खाता नंबर तथा थाना नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में, यह संभावना है कि आवेदनों में दिए गए वास्तविक भूमि विवरण की उचित जाँच संबंधित एसी/डीएओ/एडीएम द्वारा नहीं की जा सकी। यह डाटा की अपूर्णता को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त "भेजने की तारीख[49]" और "कार्रवाई भेजने की तारीख" में आंकड़ो के अभाव में विभाग द्वारा भुगतान फ़ाइलों को संबंधित बैंक को भेजे जाने की तिथि और बैंक द्वारा इन फ़ाइलों को प्राप्त किए जाने की तिथि के बीच लगे समयावधि का विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। विवरण ***(परिशिष्ट-2.14)*** में दिया गया है।

### 2.9.5 डीएओ/एडीएम स्तर पर भुगतान राशि में परिवर्तन

अनुदेश के अनुसार डीएओ/एडीएम को संबंधित कृषि समन्यवक द्वारा अंतिम रूप दिए गए सब्सिडी भुगतान में सुधार/परिवर्तन नहीं करना था, हालांकि, वे आवेदन या तो स्वीकार या कारणों का उल्लेख करते हुए अस्वीकार कर सकते थे।

10 नमूना-जांचित जिलों में, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि 40,666 मामलों में (2018-22 के लिए), डीएओ और एडीएम ने अनियमित रूप से देय राशि में ₹ 17.33 करोड़ की कमी[50] की और 7,562 मामलों में अनियमित रूप से देय राशि में ₹ 2.23 करोड़ की वृद्धि[51] की, जो अनुदेश के

---

[48] *खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या, भेजने की तिथि, कार्रवाई की तिथि, द्वारा भेजें, एसी कार्रवाई की तिथि, एसी अस्वीकार करने का कारण, भूमि पथ (अपलोड की गई भूमि दस्तावेजों के लिए लिंक), लेन-देन की तिथि (लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतिम भुगतान की तिथि), एसी परिवर्तन का कारण (एसी द्वारा फसल-नुकसान वाले क्षेत्र में परिवर्तन का कारण), एसी आईपी पता और डीएओ आईपी पता आदि।*

[49] *भुगतान हेतु लाभार्थियों का विवरण बैंक को भेजने की तिथि ।*

[50] *एडीएम स्तर: ₹ 2.11 करोड़ (4,984 मामले); डीएओ स्तर: ₹ 15.22 करोड़ (35,682 मामले)।*

[51] *एडीएम स्तर: ₹ 1.65 लाख (24 मामले); डीएओ स्तर: ₹ 2.21 करोड़ (7,538 मामले)।*

प्रावधानों का उल्लंघन था। यह तथ्य कि ये बदलाव किए जाने संभव थे, डाटाबेस में व्यावसायिक नियमों और लागू प्रतिबंधों की गलत मैपिंग का सूचक था।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि अनुदेश के प्रावधान के अनुरूप सिस्टम का मैपिंग/संशोधन किया जाएगा।

### 2.9.6 आवेदनों के प्रसंस्करण के दौरान विशिष्ट कारणों का अभाव

कृषि विभाग द्वारा सभी आठ आपदाओं के लिए जारी अनुदेश में यह प्रावधान किया गया कि कृषि समन्यवक, निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन में दर्ज किसान के दावे का सत्यापन करेगा और कारण सहित दावे को या तो अस्वीकार कर देगा या आवश्यक सुधार के बाद उसे स्वीकार कर लेगा। डीएओ को निर्धारित अवधि के भीतर अपने लॉगिन में प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन करना अपेक्षित था और या तो कारण सहित दावों को खारिज करना था या स्वीकार करके इसके अनुमोदन हेतु एडीएम(राहत)/डीएम द्वारा नामित पदाधिकारी को प्रेषित करना था। एडीएम, (राहत)/डीएम द्वारा नामित पदाधिकारी को स्वीकृत/अनुमोदित आवेदनों को कृषि विभाग को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए भेजना आवश्यक था।

नमूना-जांचित जिलों के कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 1,616.98 करोड़ के दावे से जुड़े 12,64,119 आवेदन सक्षम अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये थे। ये आवेदन 12,98,907.69 हेक्टेयर फसल क्षति वाले क्षेत्र और वर्ष 2018-22 के दौरान हुई आपदाओं से संबंधित थे।

इस संदर्भ में, नमूना-जांचित जिलों में निम्नलिखित विसंगतियां/अनियमितताएं पाई गई:

- नमूना-जांचित जिलों में, लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ₹ 901.71 करोड़ के सब्सिडी दावों से संबंधित 7,18,982 आवेदनों को एसी के स्तर पर बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिया गया ***(परिशिष्ट-2.15 ए),*** जो प्रणाली में पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डालता है।
- इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 19,73,782 आवेदनों से संबंधित सब्सिडी दावों को एसी द्वारा बिना कोई कारण बताए 20.22 लाख हेक्टेयर से घटाकर 6.31 लाख हेक्टेयर तथा क्रमानुसार ₹ 2,572.24 करोड़ से घटाकर ₹ 808.01 करोड़ कर दिया गया ***(परिशिष्ट-2.15 बी)***।

डाटाबेस के विश्लेषण के आधार पर, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कुछ मामलों में आवेदनों को अस्पष्ट कारणों के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। 5,473 मामलों में, जिनमें ₹ 8.85 करोड़ के सब्सिडी के दावे शामिल थे, को गलत स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण एसी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि इन किसानों को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने "स्वयं" श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था, और उक्त घोषणा पत्र को केवल "वास्तविक खेतिहर[52]" श्रेणी के किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि 5,473 किसानों के आवेदनों की अस्वीकृति वैध कारणों पर आधारित नहीं थी और इससे उन्हें ₹ 8.85 करोड़ के सब्सिडी से वंचित होना पड़ा।

[52] *जो वास्तव में भूमि पर खेती करता है।*

बिना कोई कारण/ठोस कारण इतनी बड़ी संख्या में किसानों के आवेदनों की अस्वीकृति और सब्सिडी दावों में कमी ने "अनुदेश" के प्रावधानों के अनुपालन न होने, पारदर्शिता की कमी और डाटाबेस में व्यावसायिक नियमों के अनुचित मैपिंग को दर्शाया।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि प्रणाली को "अनुदेश" के प्रावधान के अनुसार मैप/सुधार किया जाएगा।

### 2.9.7 पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण आवेदनों की अस्वीकृति

कृषि विभाग द्वारा सभी आठ आपदाओं के लिए जारी "अनुदेश" में यह प्रावधान था कि किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, एक किसान के रूप में पंजीकृत किए जाने के पहले, आधार का प्रमाणीकरण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त "अनुदेश" के अनुसार केवल वे जो डीबीटी पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत थे, कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते थे।

नमूना-जांचित जिलों में कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस की जांच के आधार पर, यह भी पाया गया कि छ: आपदाओं[53] के मामले में ₹ 15.98 करोड़ के कृषि इनपुट सब्सिडी के 12,810 आवेदनों को एसी द्वारा "आधार विवरण में त्रुटि" के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यह इस तथ्य का सूचक था कि, यद्यपि डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया था, पोर्टल उन आवेदकों से सब्सिडी हेतु आवेदनो को स्वीकार कर रहा था जो बिना आधार प्रमाणीकरण के पंजीकृत थे। इस प्रकार, "अनुदेश" में निहित आधार प्रमाणीकरण संबंधी निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण 12,810 किसान ₹ 15.98 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी के लाभ से वंचित हो गए।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, विभाग ने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में किसानों के पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण नहीं किया गया था।

### 2.9.8 बैंक खातों के साथ आधार के लिंक न होने के कारण सब्सिडी भुगतान में विफलता

विभाग, "अनुदेश" के माध्यम से उपबंधित करता है कि, लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से, उनके आधार से विधिवत जुड़े बैंक खातों में किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाग के निर्देश (अप्रैल 2017) के अनुसार, सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आवेदकों के बैंक खातों से आधार की मैपिंग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था।

कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान 6,04,700 आवेदकों का ₹ 184.74 करोड़ का भुगतान विफल हो गया, क्योंकि विभाग ने पहचाने गए लाभार्थियों के लिए बैंक खाते से आधार मैपिंग/सीडिंग और वित्तीय पते (बैंक खाता और आधार) का सत्यापन सुनिश्चित किए बिना ही सब्सिडी के भुगतान को संसाधित किया।

विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि सभी 10 नमूना-जांचित जिलों में, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान 2,26,100 आवेदकों को ₹ 74.90 करोड़ का कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान विभिन्न कारणों जैसे आधार मैपिंग का अभाव, निष्क्रिय आधार, बंद खाते, खाता अवरुद्ध/फ्रीज़ आदि के कारण विफल हुआ। इनमें से, ₹ 62.04 करोड़ से जुड़े 1,88,994 मामले आधार मैपिंग न होने के कारण विफल हुए, जबकि ₹ 12.21 करोड़ से जुड़े 35,946 मामले निष्क्रिय और अमान्य आधार के कारण विफल हुए।

---

[53] *सूखा (खरीफ 2018), बाढ़ (खरीफ 2019 और 2020), ओलावृष्टि (अप्रैल 2020), बाढ़ (खरीफ 2021) और यास तूफ़ान (मई 2021)*

"निष्क्रिय और अमान्य आधार" के कारण भुगतान की विफलता पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अनुचित आधार प्रमाणीकरण को दर्शाता है, जबकि यह कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान के लिए एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, 2,24,940 किसान, ₹ 74.25 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी से वंचित रह गए।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि अनुदेश में प्रावधान के बावजूद शुरुआती वर्षों में पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण नहीं किया गया।

विभाग का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि यह मुद्दा पूरी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कायम रहा।

***अनुशंसा 4: विभाग सिस्टम में व्यावसायिक नियमों की उपयुक्त मैपिंग करते हुए अनुदेश के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।***

### 2.9.9 आवेदकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को सब्सिडी का भुगतान

कृषि विभाग द्वारा सभी आठ आपदाओं के लिए जारी किए गए "अनुदेश" के प्रावधान के अनुसार, आवेदकों को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, किसानों के लिए पंजीकरण की शर्तों के अनुसार, एक बैंक खाता संख्या का उपयोग केवल एक किसान द्वारा किया जाना था।

10 नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2018-22 के दौरान हुई आपदाओं के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 18,412 मामलों में ₹ 6.60 करोड़[54] की सब्सिडी का भुगतान आवेदकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खाते में किया गया। इन सभी मामलों में आवेदकों का नाम वास्तविक लाभार्थियों के नाम से पूरी तरह भिन्न था। इस प्रकार, लक्षित लाभार्थी ₹ 6.60 करोड़ की सब्सिडी राशि के लाभ से वंचित रह गए। यह भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियंत्रण की कमी को भी दर्शाता है।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में जवाब दिया कि मामले की जांच की जाएगी।

### 2.9.10 दो लाभार्थियों की सब्सिडी का एक ही बैंक खाते में भुगतान

पूर्व **कंडिका 2.9.9** में उल्लिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, एक बैंक खाता संख्या का उपयोग केवल एक किसान द्वारा किया जाना था। हालांकि, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण पर, यह पाया गया कि सात नमूना-जांचित जिलों (2018-19 से 2021-22) में, 154 आवेदकों को देय ₹ 7.54 लाख[55] की सब्सिडी केवल 77 बैंक खातों में ही भुगतान की गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि एक से अधिक लाभार्थियों की सब्सिडी का भुगतान उसी/एक ही बैंक खाते में किया गया था।

---

[54] *भागलपुर: ₹ 4.61 लाख (43 मामले); दरभंगा : ₹ 158.06 लाख (4,113 मामले); कैमूर : ₹ 13.07 लाख (244 मामले); मधुबनी : ₹ 89.16 लाख (2,403 मामले); मुजफ्फरपुर : ₹ 183.54 लाख (4,924 मामले); नवादा : ₹ 75.18 लाख (1,789 मामले); पूर्णिया : ₹ 64 .19 लाख (2,379 मामले), रोहतास : ₹ 0.58 लाख (12 मामले), सिवान : ₹ 22.07 लाख (676 मामले) और वैशाली : ₹ 49 .89 लाख (1,829 मामले)।*

[55] *भागलपुर: ₹ 0.86 लाख (18 मामले); दरभंगा : ₹ 0.28 लाख (8 मामले); मुजफ्फरपुर : ₹ 3.15 लाख (44 मामले); नवादा: ₹ 0 .30 लाख (6 मामले); पूर्णिया : ₹ 2.53 लाख (68 मामले), सिवान : ₹ 0.15 लाख (6 मामले) और वैशाली : ₹ 0.27 लाख (4 मामले)।*

चूंकि प्रत्येक लाभार्थी का बैंक खाता विशिष्ट होना चाहिए, इसलिए एक से अधिक आवेदकों की सब्सिडी का एक ही बैंक खाते में अंतरण, डाटाबेस में सत्यापन की कमी को दर्शाता है।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया।

### 2.9.11 विफल भुगतानों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता का अभाव

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि विफल भुगतानों के पुन: प्रसंस्करण के लिए "अनुदेश" में कोई निर्धारित आवधिकता और समयसीमा नहीं थी।

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि जिन मामलों में लाभार्थियों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान पहले या बाद के प्रयासों के दौरान विफल रहा था, भुगतानों को फिर से संसाधित कर बैंक को भेजा गया (दूसरी/तीसरी बार प्रयास करके)। हालांकि, किये गये पुन: प्रयासों की संख्या में कोई एकरूपता नहीं थी, क्योंकि पांच आपदाओं (अक्टूबर 2020-मार्च 2022 के दौरान) के मामले में पुनः भुगतान का प्रसंस्करण दो बार किया गया था, जबकि 2019 और 2021 के खरीफ मौसम के दौरान आई बाढ़ से संबंधित दो आपदाओं के मामले में तीसरा प्रयास किया गया था। इसके अलावा, पुन: प्रसंस्करण करने और बैंक को भुगतान भेजने के दो प्रयासों के बीच की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, 16 दिनों से 401 दिनों के बीच भिन्नता थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.16*** में विस्तृत है।

उपरोक्त तथ्य, इस बात को उजागर करती है कि भुगतान की प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं थी और विफल भुगतानों को दोबारा प्रसंस्करण करने की समयसीमा और आवृत्ति को लेकर विभाग की ओर से निर्देशों/दिशानिर्देशों के अभाव के कारण पारदर्शिता की कमी थी।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान विभाग ने जवाब दिया कि कोविड के कारण, एकरूपता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, हालांकि भविष्य के भुगतानों में भुगतान के दोबारा प्रसंस्करण करने में एकरूपता रखी जाएगी।

विभाग का उत्तर केवल आंशिक रूप से सही है, क्योंकि कोविड-पूर्व अवधि के दौरान भी एकरूपता का अभाव स्पष्ट था।

### 2.9.12 बैंक स्तर पर कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान में देरी के लिए निवारक उपाय का अभाव

अनुदेश के प्रावधान के अनुसार, बैंक को एफटीओ भेजने के बाद अगले दिन सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी।

हालांकि, विभाग और प्रायोजक बैंक (पीएनबी) के बीच किसी भी अभिलेखों/दस्तावेजों अथवा पत्राचार में इस प्रकार का कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं पाया गया। इसके अलावा, विभाग और बैंक/बैंकों के बीच किया गया कोई भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। एमओयू के अभाव में लेखापरीक्षा लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमों और शर्तों (यानी, एफटीओ के बाद अगले दिन) की जांच नहीं कर सका।

10 नमूना-जांचित जिलों के, कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22[56] के दौरान भुगतान के 22,84,507 सफल मामलों में से 7,27,530 मामलों में ₹ 308.01 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान करने में बैंक की ओर से अधिकतम 608 दिनों तक की अत्यधिक देरी हुई ***(परिशिष्ट-2.17)***, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर लाभ मिलने में बाधा उत्पन्न हुई। 10 दिन और उससे अधिक की देरी वाले मामले **तालिका 2.6** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.6: बैंक द्वारा भुगतान करने में 10 दिन या उससे अधिक की देरी वाले मामले**

| क्रम सं. | जिला | 10-99 दिनों की देरी | 100-199 दिनों की देरी | 200-299 दिनों की देरी | 300 दिनों से अधिक की देरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भागलपुर | 50,853 | 0 | 333 | 11,006 |
| 2. | दरभंगा | 72,164 | 0 | 109 | 8,856 |
| 3. | कैमूर | 1,128 | 0 | 0 | 584 |
| 4. | मधुबनी | 56,410 | 0 | 390 | 1,967 |
| 5. | मुजफ्फरपुर | 1,17,797 | 0 | 990 | 17,984 |
| 6. | नवादा | 58,300 | 0 | 748 | 13,676 |
| 7. | पूर्णिया | 21,015 | 1,844 | 268 | 6,944 |
| 8. | रोहतास | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 9. | सिवान | 42,909 | 0 | 57 | 216 |
| 10. | वैशाली | 63662 | 759 | 0 | 1,278 |
| **कुल** | | **4,84,238** | **2,603** | **2,895** | **62,768** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा)*

### 2.9.13 शिकायत निवारण तंत्र

अतिरिक्त निदेशक (मृदा), कृषि विभाग, की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि इनपुट सब्सिडी के दोहरे भुगतान के मामलों की जांच करने हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव को डीबीटी के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं पर किसानों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के निर्देश भी दिए थे (अप्रैल 2019)।

कृषि निदेशालय और कृषि इनपुट सब्सिडी के डीबीटी पोर्टल में अभिलेखों/सूचनाओं की जाँच करने पर पाया गया कि वेबसाइट/डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं था।

नमूना-जांचित 10 जिलों में, अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि छ: जिलों[57] में कृषि इनपुट सब्सिडी से संबंधित 242 ऑफ़लाइन शिकायत मामले प्राप्त हुए थे, और उन सभी को वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान निष्पादित दिखाया गया था। हालांकि, ऐसे निष्पादन या की गई सुधारात्मक कार्रवाई के विवरण दिखाने के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। शेष चार नमूना-जांचित जिलों में ऑफ़लाइन शिकायत निवारण के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

चूंकि डीबीटी प्लेटफॉर्म आवेदन प्रस्तुत करने और कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतानों के प्रसंस्करण करने के लिए एक ऑनलाइन समाधान प्रदान कर रहा था, इसलिए नागरिकों की शिकायतों को दूर करने और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए था।

---

[56] *सूखे (खरीफ 2018) से संबंधित डाटाबेस में लेनदेन की तारीख के लिए फ़ील्ड की अनुपस्थिति के कारण, 2018-19 के दौरान भुगतान में देरी का पता नहीं लगाया जा सका।*

[57] *दरभंगा (29 मामले), कैमूर (3 मामले), मधुबनी (69 मामले), मुजफ्फरपुर (123 मामले), नवादा (शून्य मामले) और रोहतास (18 मामले)।*

### 2.9.14 अनुश्रवण

अनुदेश के अनुसार, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम लंबित आवेदनों और योजना की साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से, कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त, प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ), प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ), अनुमंडल पदाधिकारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार (डीसीएलआर), जिला पदाधिकारी (डीएम) तथा संयुक्त निदेशक (संभाग[58]) को क्रमशः सात प्रतिशत, पांच प्रतिशत, पांच प्रतिशत, तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत मामलों की जांच करनी थी। कृषि विभाग के निदेशक (मुख्यालय स्तर पर) को समय-समय पर योजना का अनुश्रवण करना था।

लेखापरीक्षा पृच्छा (अगस्त-सितंबर 2023) के बावजूद, नमूना-जांचित जिलों के दो प्रमंडलीय आयुक्तों और 10 जिलाधिकारियों द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी की अनुश्रवण/निरीक्षण के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

अन्य अधिकारी जैसे बीएओ, बीडीओ, सीओ, डीसीएलआर आदि ने भी जानकारी की गैर-उपलब्धता और कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के ऑनलाइन मॉड्यूल की अप्राप्यता का हवाला देते हुए अनुश्रवण से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण से यह पता चला कि यद्यपि विभाग ने उपरोक्त अधिकारियों को ऑनलाइन अनुश्रवण का कार्य सौंपा था, इस उद्देश्य के लिए मॉड्यूल विकसित/ निगमित नहीं पाया गया। अतः, उन्हें सौंपा गया अनुश्रवण का कार्य अप्रभावी था।

आगे यह पाया गया कि "अनुदेश (2018-2021)" के अनुसार, डीएमडी द्वारा जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरों पर गठित अनुश्रवण-सह-सतर्कता समिति को प्रभावित क्षेत्रों में योजना की समीक्षा और अनुश्रवण करने तथा लाभार्थियों की सूची को अनुमोदित करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में डीएमडी द्वारा लेखापरीक्षा को कोई जानकारी नहीं दी गई, इस प्रकार यह तात्पर्य है कि अनुदेश में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

इन दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि लाभार्थियों को कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया का उचित रूप से अनुश्रवण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का ख़राब क्रियान्वयन हुआ। आगे यह भी देखा गया कि योजना के अनुश्रवण हेतु जारी "अनुदेश" में निहित अनुश्रवण के प्रावधानों में उन चरणों (चाहे एसी या डीएओ या एडीएम स्तर के बाद) के बारे में स्पष्टता का अभाव था जिस पर निर्धारित प्रतिशत मामलों की जांच ऐसे अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी तथा वह मोड जिसके माध्यम (चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन) से उन्हें जांचा जाएगा।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान विभाग ने स्वीकार किया कि इस प्रकार का मॉड्यूल सिस्टम में विकसित नहीं किया गया था। हालांकि, योजना का उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए इसे शीघ्र ही विकसित किया जाएगा।

## 2.10 वित्तीय प्रबंधन

### 2.10.1 निधियों का आबंटन और उपयोग

डीएमडी, बिहार सरकार, ने कृषि विभाग द्वारा कराए गए फसल क्षति के आकलन के आधार पर उसे कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई।

---

[58] *संभाग का नेतृत्व संयुक्त निदेशक द्वारा किया जाता है, जो पदानुक्रम में कृषि विभाग के निदेशालय के ठीक नीचे और जिला कृषि कार्यालय से ऊपर होता है।*

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22[59] के दौरान कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए डीएमडी द्वारा आवंटित धनराशि और विभाग द्वारा सब्सिडी के वितरण के लिए इसके सापेक्ष किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

**तालिका 2.7: डीएमडी द्वारा आवंटित और कृषि विभाग द्वारा व्यय की गई धनराशि**

***(₹ करोड़ में)***

| वित्तीय वर्ष | कृषि विभाग द्वारा फसल क्षति का आकलन | डीएमडी द्वारा किया गया आबंटन | कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित व्यय | अभ्यर्पण /जमा (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 1,429.30 | 1,430.00 | 904.77 | 525.23 (37) |
| 2019-20 | 832.47 | 773.89[60] | 679.80 | 94.09 (12) |
| 2020-21 | 1,675.45 | 1,649.41 | 1,108.90 | 540.51 (33) |
| 2021-22 | 1,470.24 | 1,471.62 | 591.36 | 880.26 (60) |
| **कुल** | **5,407.46** | **5,324.92** | **3,284.83** | **2,040.09 (38)** |

*(स्रोत: डीएमडी एवं कृषि विभाग, बिहार सरकार)*

**तालिका 2.7** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-22 के दौरान केवल 62 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया जा सका और शेष 38 प्रतिशत धनराशि को सरकार के खाते में अभ्यर्पित/जमा कर दिया गया। डीएमडी द्वारा धनराशि कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित फसल क्षति के आकलन के आधार पर उपलब्ध कराई गई थी, किंतु विभाग द्वारा इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग द्वारा फसल क्षति का अधिक आकलन और परिणामस्वरुप निधियों की बढ़ी हुए मांग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान बताया कि कई बार धनराशि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में आवंटित की गई, जिसे आहरित नहीं की जा सकी और व्यपगत हो गई । इसके अतिरिक्त, कृषि इनपुट सब्सिडी की वितरण प्रक्रिया में देरी के कारण अप्रयुक्त राशि की समय पर जमा करने के लिए बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों अथवा वित्त विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका।

### 2.10.2 अव्ययित धनराशि का सरकारी खाते में अभ्यर्पण/जमा करने में विलंब

बीटीसी, 2011, के नियम 177 के साथ ही डीएमडी के आबंटन आदेश के अनुसार, आवंटित धनराशि की अप्रयुक्त शेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना था। हालांकि, कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत ट्रेजरी चालान तथा अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि कुल ₹ 5,324.92 करोड़ (वर्ष 2019 और 2021-22 के दौरान व्यपगत ₹ 577.96 करोड़ की राशि सहित) की आवंटित राशि में से विभाग द्वारा ₹ 3,284.83 करोड़ व्यय किया गया, तथा वित्तीय वर्ष 2018-22 से संबंधित कृषि इनपुट सब्सिडी की अप्रयुक्त राशि ₹ 1,462.10[61] करोड़ को सरकार के खाते में 183 से 1,026 दिनों के बीच तक की देरी से ***(परिशिष्ट-2.18)*** अभ्यर्पित /जमा कराया गया, अर्थात संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद भी, जो कृषि विभाग की राजकोषीय अनुशासन की कमी का द्योतक है।

---

[59] *वर्ष 2022-23 के दौरान डीएमडी द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। अतः वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के लिए आबंटन एवं व्यय दर्शाया गया है।*

[60] *इसमें 2019 में बाढ़ के दौरान मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में डीएमडी द्वारा आवंटित ₹ 1.41 करोड़ भी शामिल हैं। हालांकि, पूरी राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित कर दी गई।*

[61] *2021-22 में आवंटित कुल ₹ 1,471.62 करोड़ में से ₹ 576.55 करोड़ व्यय न हो पाने के कारण व्यपगत (लैप्स) हो गए।*

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान बताया कि रोकड़ बही आदि को पूर्ण नहीं किये जाने/ देरी से किये जाने के कारण अव्ययित राशि को जमा करने/अभ्यर्पित करने में देरी हुई थी जिसमें अब सुधार कर लिया गया है।

### 2.10.3 जिलों को कृषि इनपुट सब्सिडी निधि का आबंटन

कृषि इनपुट सब्सिडी के वितरण के लिए डीएमडी द्वारा कृषि विभाग को धनराशि जारी करनी थी। कृषि विभाग के निर्देशानुसार (जनवरी 2018) सभी कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में किये जाने थे।

डीएमडी के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि डीएमडी ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान आपदाओं से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए 13 जिलों के जिलाधिकारियों को ₹ 67.27 करोड़[62] आवंटित किये। इसके साथ ही कृषि विभाग को भी कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए धनराशि जारी की गई। यह केवल डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के भुगतान के सम्बन्ध में कृषि विभाग के उपरोक्त आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप न केवल वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान संबंधित जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के बीच प्रयासों का दोहरापन हुआ, बल्कि डीबीटी का मूल उद्देश्य भी प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, विभिन्न डीएम को इन आवंटित निधियों के सापेक्ष, कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं पाया गया। फलतः, लेखापरीक्षा में जिलाधिकारियों द्वारा आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

### 2.10.4 कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए धनराशि प्राप्त न होना

#### *(i) डीएमडी द्वारा आपदा की अधिसूचना के बावजूद विभाग द्वारा निधि की मांग नहीं करना*

डीएमडी ने अधिसूचना (अक्टूबर 2022) के माध्यम से 2022 के खरीफ मौसम के दौरान सूखे की घोषणा की। कृषि विभाग से प्राप्त इनपुट (अक्टूबर 2022) के आधार पर सूखा घोषित किया गया, जिसमें 11 जिलों[63] के 96 प्रखंडों के 7,841 गांवों को सूखाग्रस्त प्रतिवेदित गया था। डीएमडी की अधिसूचना (अक्टूबर 2022) के अनुसार, कृषि विभाग से वित्तीय प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद ही कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान हेतु विभाग द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी निधि को आवंटित किया जाना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि विभाग ने अधिसूचित आपदा के बावजूद डीएमडी से कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान हेतु निधि प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव (अप्रैल 2023 तक) प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, विभाग की ओर से कार्रवाई न होने के कारण, सूखा प्रभावित 7,841 राजस्व गांवों के किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान करने के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी और वे कृषि इनपुट सब्सिडी के लाभ से वंचित रह गए।

आगे यह देखा गया कि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) ने छः जिलों[64] (खरीफ 2022) में बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के संबंध में डीएमडी के प्रस्ताव (13 अक्टूबर 2022) को मंजूरी दी। यह निर्णय कृषि विभाग के प्रस्ताव (अक्टूबर 2022) पर आधारित था, जिसके माध्यम से छः जिलों के 23 प्रखंडों की 138 पंचायतों के किसान 2022 के खरीफ मौसम के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

---

[62] *औरंगाबाद: ₹ 0.04 करोड़, बेगूसराय : ₹ 0.20 लाख, भागलपुर: ₹ 25.50 करोड़, भोजपुर : ₹ 2.03 करोड़, दरभंगा : ₹ 8.90 करोड़, गोपालगंज : ₹ 0.87 करोड़, खगड़िया : ₹ 5.00 करोड़, किशनगंज : ₹ 0.86 करोड़, मधेपुरा : ₹ 0.27 करोड़, नालंदा : ₹ 0.21 करोड़, नवादा: ₹ 0.26 करोड़, सीतामढी : ₹ 19.69 करोड़ और वैशाली : ₹ 3.63 करोड़।*

[63] *औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा और शेखपुरा।*

[64] *बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय और पश्चिमी चंपारण।*

हालांकि, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कृषि विभाग ने डीएमडी को न तो फसल-क्षति आकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और न ही एसईसी के अनुमोदन के बावजूद अप्रैल 2023 तक डीएमडी को निधि के लिए अनुरोध भेजा।

इस प्रकार कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई के अभाव के कारण बाढ़ प्रभावित 138 पंचायतों के किसान कृषि इनपुट सब्सिडी के लाभ से वंचित रह गये।

***(ii) डीएमडी से निधि की मांग न करना***

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि खरीफ मौसम 2021 के दौरान बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए डीएमडी द्वारा कृषि विभाग (मार्च 2022) को ₹ 576.55 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। ये धनराशि कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत आकलन प्रतिवेदन के आधार पर उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, कृषि विभाग ने 31 मार्च 2022 तक आवंटित राशि का आहरण और व्यय नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में पूरी धनराशि व्यपगत हो गई। इसके बाद, न तो कृषि विभाग ने पुनः धनराशि की मांग की और न ही डीएमडी ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इन धनराशियों को पुनः आवंटित किया।

राजकोषीय अनुशासन की कमी के अलावा, उपरोक्त ने यह भी दर्शाया कि या तो कृषि विभाग की आकलन प्रतिवेदन बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और निधि की आवश्यकता नहीं थी, या फिर कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान प्रभावित किसानों को नहीं किया गया।

### 2.10.5 कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस और कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित डाटा में अंतर

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए कृषि विभाग के डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि इनपुट सब्सिडी के डाटा/संख्या और लेखापरीक्षा द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस के विश्लेषण के बाद तैयार किए गए डाटा में अंतर था। इस विश्लेषण के आधार पर आने वाले अंतरों का विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

**तालिका 2.8: डाटाबेस के अनुसार और विभाग द्वारा प्रतिवेदन किए गए कृषि इनपुट सब्सिडी के डाटा (जून 2023 तक)**

***(₹ करोड़ में)***

| आपदा का नाम (मौसम) | सफल भुगतानों वाले किसानों की संख्या | | सफल किसानों को भुगतान की गई राशि | | विफल भुगतानों वाले किसानों की संख्या | | विफल मामलों में शामिल राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार |
| सूखा (खरीफ) 2018) | 13,35,771 | 12,91,416 | 905 | 872 | 89,984 | 1,35,857 | 35 | 63 |
| बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ 2019) | 14,37,522 | 14,37,504 | 625 | 625 | 1,04,840 | 1,04,839 | 33 | 33 |
| ओलावृष्टि/तूफान/असमय वर्षा (रबी फरवरी 2020) | 1,85,685 | 1,85,685 | 55 | 55 | 13,756 | 13,756 | 3 | 3 |
| ओलावृष्टि/तूफान/असमय अत्यधिक वर्षा (रबी मार्च 2020) | 10,33,329 | 10,33,319 | 364 | 364 | 64,602 | 64,601 | 16 | 16 |

| आपदा का नाम (मौसम) | सफल भुगतानों वाले किसानों की संख्या | | सफल किसानों को भुगतान की गई राशि | | विफल भुगतानों वाले किसानों की संख्या | | विफल मामलों में शामिल राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार | विभाग के अनुसार | लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस विश्लेषण के अनुसार |
| ओलावृष्टि/तूफान/असमय अत्यधिक वर्षा (रबी अप्रैल 2020) | 5,08,801 | 5,08,801 | 129 | 129 | 50,947 | 50,947 | 9 | 9 |
| बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ) 2020) | 14,60,816 | 14,60,629 | 616 | 616 | 1,28,431 | 1,28,415 | 34 | 34 |
| बाढ़/अत्यधिक वर्षा (खरीफ) 2021) | 12,47,835 | 12,47,673 | 514 | 514 | 75,780 | 75,766 | 21 | 21 |
| यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | 3,43,228 | 3,43,174 | 77 | 77 | 30,519 | 30,519 | 5 | 5 |
| **कुल** | **75,52,987** | **75,08,201** | **3,285** | **3,252** | **5,58,859** | **6,04,700** | **156** | **184** |

*(स्रोत: कृषि इनपुट सब्सिडी डाटाबेस और कृषि निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)*

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018-22 के दौरान 75,52,987 लाभार्थियों को ₹ 3,285 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा डाटाबेस के विश्लेषण के अनुसार, 75,08,201 लाभार्थियों को ₹ 3,252 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान किया गया, जिसने लाभार्थियों को भुगतान में 44,786 (संख्या में) और ₹ 33 करोड़ (कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान) के अंतर को दर्शाया।

इसी प्रकार, विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2018-22 के दौरान 5,58,859 लाभार्थियों को ₹ 156 करोड़ का कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान विफल रहा, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए डाटा विश्लेषण के अनुसार, इसी अवधि के दौरान 6,04,700 लाभार्थियों को ₹ 184 करोड़ का कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान विफल रहा, जो 45,841 (विफल मामलों की संख्या) और ₹ 28 करोड़ (विफल मामलों से जुड़ी राशि) के अंतर को दर्शाता था। विभाग द्वारा उपरोक्त अंतरों का विश्लेषण तथा आंकड़ों की शुद्धता के लिए मिलान किया जाना आवश्यक था।

### 2.10.6 कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रतिवेदित फसल क्षति के डाटा में अंतर

बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, नोडल विभाग था। कृषि विभाग के आकलन प्रतिवेदन के अनुसार, बाढ़ से हुई फसल-क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी की धनराशि डीएमडी द्वारा आवंटित की जाती है।

डीएमडी द्वारा भारत सरकार को फॉर्म-IX[65] में भेजे गए वार्षिक बाढ़ प्रतिवेदनों की जांच में, यह पाया गया कि कि 10 जिलों[66] में 2019-2021 के खरीफ मौसम दौरान बाढ़ से बिल्कुल भी फसल क्षति नहीं हुई थी। 2019-2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ से संबंधित फॉर्म-IX में प्रतिवेदनो को संबंधित जिलाधिकारियों से आकलन प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद डीएमडी द्वारा जमा किया गया था। हालांकि,

[65] *बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए जारी एसओपी के पैरा 3.28 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग को बाढ़ से संबंधित विभिन्न डाटा की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित प्रपत्र ।*

[66] *खरीफ 2019 के दौरान तीन जिले (भोजपुर, जहानाबाद और नवादा ), खरीफ 2020 के दौरान छ: जिले (अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल और पश्चिमी चंपारण) और खरीफ 2021 के दौरान एक जिला (सुपौल)।*

कृषि विभाग की आकलन रिपोर्टों के अनुसार इसी अवधि में बाढ़ से 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति हुई थी और तदनुसार कृषि विभाग द्वारा ₹ 219.26 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी का आकलन किया था। डीएमडी ने इस भिन्नता का पता नहीं लगाया और कृषि विभाग को उनकी फसल क्षति प्रतिवेदन के अनुसार निधि आवंटित की। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान डाटा के विश्लेषण से पता चला कि इसी अवधि के दौरान इन जिलों के लाभार्थियों को उनके फसल क्षति के लिए ₹ 117.33 करोड़[67] की कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान किया गया। एक ही सरकार के विभागों द्वारा प्रतिवेदित फसल क्षति के आंकड़ों में यह विसंगति उनके बीच समन्वय और डाटा की मिलान की कमी को दर्शाती है और डाटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है।

डीएमडी ने जवाब दिया (फ़रवरी 2024) कि फ़ॉर्म-IX में अंतरिम सूचना ज़िलों द्वारा भेजी जाती है, जबकि फसल क्षति का आकलन कृषि विभाग द्वारा अपने क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। अतः, कृषि विभाग से प्राप्त डाटा को ही सही माना जाता है।

डीएमडी का उत्तर फ़ॉर्म-IX के अंतिम प्रतिवेदन के विपरीत था, जिसे डीएमडी ने तैयार कर भारत सरकार को भेजा था।

***अनुशंसा 5: आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए धनराशि जारी करने से पहले, भारत सरकार को प्रतिवेदित फसल-क्षति डाटा को कृषि विभाग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के डाटा से मिलान किया जाना चाहिए।***

### 2.10.7 बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करना

बीटीसी के नियम 176 के अनुसार, कोषागार से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता तत्काल भुगतान के लिए न हो। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार, कोषागार से धनराशि अग्रिम मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं की जानी चाहिए। यदि धनराशि अग्रिम रूप से आहरित की जाती है, तो शेष अप्रयुक्त राशि को यथाशीघ्र तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषागार में वापस कर देना चाहिए।

कृषि निदेशालय में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि विभाग को आवंटित धनराशि को भुगतान के लिए कृषि निदेशक को उप-आवंटित किया जाता है। इसलिए कृषि निदेशक ने दिसंबर 2018 से दिसंबर 2021 के बीच कृषि इनपुट सब्सिडी से संबंधित ₹ 4,431.96 करोड़ की राशि सरकारी खाता (सीएफएस) से आहरित की और उसे बिहार राज्य बीज निगम (बीआरबीएन)[68] के पर्सनल लेजर एकाउंट (लोक लेखा) में स्थानांतरित कर दी। इसके बाद, जब भी आवश्यक था, धनराशि बीआरबीएन के पीएल खाते से आहरित की गई और कृषि निदेशालय के बैंक खाते में जमा की गई और वहीं से लाभार्थियों को डीबीटी सेल के नोडल अधिकारी द्वारा पीएनबी को जारी एफटीओ के माध्यम से भुगतान किया गया।

---

[67] *₹ 14.54 करोड़ (खरीफ 2019), ₹ 99.78 करोड़ (खरीफ 2020) और ₹ 3.01 करोड़ (खरीफ 2021)।*

[68] *कृषि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बिहार सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।*

इस संदर्भ में यह पाया गया कि बीआरबीएन न तो योजना का लाभार्थी था और न ही यह कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतानों के निष्पादन में शामिल था। हालांकि, यह धनराशि वर्ष 2018–23 के दौरान राज्य की संचित निधि से आहरण के बाद लाभार्थियों को भुगतान करने से पूर्व 378 दिनों तक बीआरबीएन के पीएल खाते में रखी गई। इससे न केवल सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त चरण जुड़ गया, बल्कि इसने मुख्यालय स्तर पर कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया में भी योगदान दिया हो सकता है ***(संदर्भ - कंडिका 2.9.1)***। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे (पीएल खाता) मे कृषि इनपुट सब्सिडी निधि को जमा करने के कारण सरकार को ₹ 40.03 करोड़[69] की ब्याज की हानि एवं बीआरबीएन को अदेय लाभ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) में बताया कि यह प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है।

### 2.10.8 निर्धारित समय के भीतर लाभार्थियों को कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान न करना तथा अनुपयोगी धनराशि को जमा करने में देरी करना

वित्त विभाग, बिहार सरकार के निर्देश (14 मई 2020) की कंडिका 5 की उप-कंडिका (vii) में प्रावधान है कि यदि लाभार्थियों को डीबीटी करने हेतु पीएल खाते से बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करना अनिवार्य है, तो लाभार्थियों की सूची के आधार पर राशि की निकासी कर मुख्यालय स्तर के बैंक खाते में रखी जाएगी। यह राशि एक सप्ताह के अंदर लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बकाया राशि राज्य की संचित निधि (सीएफएस) में जमा कर दी जाएगी।

कृषि निदेशालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि खरीफ 2019 और रबी 2020 के मौसम के दौरान हुई आपदाओं के कारण 4,49,762 लाभार्थियों को डीबीटी के लिए पीएल खाते से ₹ 145.62 करोड़ की निकासी के लिए बीआरबीएन द्वारा कोषागार में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। कोषागार ने उक्त बिल को यह सलाह देते हुए वापस कर दिया कि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) के माध्यम से किया जाए। हालांकि, विभाग ने कोषागार की उपरोक्त आपत्ति को शिथिल करने हेतु वित्त विभाग से अनुरोध किया। वित्त विभाग ने कृषि विभाग को अपने दिनांक 14 मई 2020 के पत्र की कंडिका 5 की उप-कंडिका (vii) के अनुसार कार्य करने की सलाह दी। अतः कृषि विभाग को निकाली गई राशि को निकासी के एक सप्ताह के भीतर व्यय करना था और अप्रयुक्त राशि को सीएफएस में जमा करना था।

हालांकि, यह देखा गया कि, बीआरबीएन के पीएल खाते से ₹ 145.62 करोड़ की निकासी की गई और 23 दिसंबर 2020 को कृषि निदेशक के बैंक खाते में जमा कर दिए गए। भुगतान अलग-अलग किश्तों में (पहली किश्त ₹ 24.22 करोड़ की 15 जनवरी 2021 को भेजी गई) 15 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच किया गया, अर्थात पीएल खाते से निकासी के 22 से 393 दिनों बाद (निर्धारित एक सप्ताह के स्थान पर)। ₹ 59.74 करोड़ की अप्रयुक्त राशि को 12 अक्टूबर 2022 और 07 फरवरी 2023 को (अर्थात संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद) क्रमशः 658 से 776 दिनों की देरी से सरकारी खाते में जमा किया गया। इस प्रकार, वित्त विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ, जो इस मामले में कृषि विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी को दर्शाता है।

---

[69] *गणना बचत खातों पर लागू तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर की गई।*

### 2.10.9 सब्सिडी हस्तांतरण के दौरान उचित जाँच का अभाव

कृषि निदेशालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान 7,541 लाभार्थियों को ₹ 5.74 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया। प्रायोजक बैंक द्वारा ऐसे दोहरे भुगतान के मामलों का पता लगाया गया जिसमे पाया गया कि 14.01.2021 को 2,20,861 लाभार्थियों को ₹ 87.41 करोड़ का भुगतान करने हेतु जारी 23 एफटीओ[70] में से, ₹ 63.19 करोड़ के भुगतान से जुड़े 15 एफटीओ में 1,65,761 डुप्लीकेट यूनिक आईडी[71] थी। परिणामस्वरूप, इन एफटीओ को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने भी दोहरे भुगतान के मामलों का पता लगाया ***(संदर्भ: कंडिका 2.8.3)***। इस प्रकार के डुप्लीकेशन और दोहरे भुगतान के मामले, विभाग स्तर पर भुगतान के लिए लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देते समय स्थायी कमियों तथा डी-डुप्लीकेशन जांच की कमी को दर्शाते हैं।

### 2.10.10 योजना के लिए एक से अधिक बैंक खाते खोलना

वित्त विभाग, बिहार सरकार, के निर्देशानुसार (मई 2020), प्रत्येक योजना के लिए केवल एक ही बैंक खाता मुख्यालय स्तर पर खोला जाना था।

कृषि विभाग के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन के लिए चार बैंक खाते (एचडीएफसी बैंक[72] की एक ही शाखा में दो और पीएनबी[73] की एक ही शाखा में अन्य दो) खोले गए थे। हालांकि, दिसंबर 2019 में पीएनबी में खोला गया एक बैंक खाता अक्टूबर 2020 में बिना किसी लेन-देन के बंद कर दिया गया था, जिसमें 10 महीने (दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2020) तक ₹ 5.00 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। हालांकि, वित्त विभाग के पूर्वोक्त निर्देश के बाद भी लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2023) तक तीन अन्य बैंक खाते परिचालन में रहे।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान विभाग ने बताया कि बैंक खाते सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद खोले गए थे। पीएनबी में एक बैंक खाता अक्टूबर 2020 में बंद कर दिया गया था और योजना का संचालन पीएनबी में दूसरे खाते से किया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में दो सक्रिय बैंक खाते 2018-19 से संबंधित हैं जिन्हें जिन्हें तकनीकी कारणों से बंद नहीं किया जा सका, हालांकि उन्हें बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।

### 2.10.11 निधियों का विचलन

कृषि विभाग द्वारा नवंबर 2019 से दिसंबर 2021 के बीच कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार, कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की राशि को किसी अन्य मद में विचलित नहीं किया जाना था और इसे केवल निर्धारित मदों पर ही व्यय किया जाना था।

---

[70] *विभाग को लाभार्थियों की सूची बैचों में तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निधि अंतरण आदेश भेजने की आवश्यकता थी, जिन्हें भुगतान की आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा एकत्र किया जाना था।*

[71] *आवेदक का नाम एफटीओ में एक से अधिक बार शामिल किया गया था।*

[72] *एचडीएफसी बैंक, राजा बाजार शाखा (पटना) में खाता संख्या 50100278900518 और 50100261330060*

[73] *पीएनबी, बुद्धा कॉलोनी शाखा (पटना) में खाता संख्या 2920000108171117 और 2920000108171126*

कृषि निदेशालय के अभिलेखों यथा रोकड़ बही, बैंक विवरण और अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान आवंटन आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, कृषि इनपुट सब्सिडी के बैंक खाते से डीज़ल सब्सिडी योजना को अंतरित करते हुए कुल ₹ 160.00[74] करोड़ की राशि का विचलन कर दिया गया। कुल विचलन की गई निधि में से, कृषि इनपुट सब्सिडी से डीज़ल सब्सिडी योजना को ₹ 75.00 करोड़ की राशि का अंतरण कृषि इनपुट सब्सिडी की संबंधित रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया। आगे यह भी पाया गया कि ₹ 60.00 करोड़ की राशि "कृषि इनपुट सब्सिडी फंड" में 28 अक्टूबर 2022 को पुनः जमा कर दी गई, यद्यपि, ₹ 100.00 करोड़ की राशि रोकड़ बही में वापस दर्ज नहीं पाई गई और यह जून 2023 तक कृषि इनपुट सब्सिडी खाते से बाहर ही रही।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान बताया कि डीजल सब्सिडी के भुगतान के लिए धनराशि का अस्थायी रूप से विचलन किया गया था और ऐसी सभी धनराशि अब या तो वापस कर दी गई है या सरकारी खाते में जमा कर दी गई है।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि स्वीकृत आदेशों का उल्लंघन करके निधियों का विचलन किया गया था। इसके अलावा, विचलन की गई धनराशियों को सरकारी खाते में अंतरण/जमा करने के संबध में जवाब किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य से समर्थित नहीं था।

### 2.10.12 विविध मुद्दे

#### 2.10.12.1 राशि का अवरुद्धीकरण

डीएमडी में अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 5.75 करोड़ की निधि डीएम, सीतामढ़ी, को सीतामढ़ी ज़िले के चार प्रखंडों के 11,346 किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई (दिसंबर 2019), जिनकी फसल 2019 में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई थी। यह निधि डीएम के अनुरोध पर उपलब्ध कराई गई थी परंतु इसका वितरण नहीं किया गया और लगभग नौ महीने बाद इसे अभ्यर्पित कर दिया गया (अगस्त 2020)। उक्त निधि के अभ्यर्पण के कारण डीएमडी के अभिलेखों में दर्ज नहीं पाए गए।

इस प्रकार, ₹ 5.75 करोड़ की धनराशि नौ माह तक अवरुद्ध रही और पात्र किसान धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, सब्सिडी के लाभ से वंचित रहे।

#### 2.10.12.2 निधियों पर ब्याज जमा न करना

वित्त विभाग, बिहार सरकार, द्वारा जारी (मई 2020) निर्देशों की कंडिका 4 (iv) के अनुसार, सभी विभागों को राज्य योजनाओं से संबंधित धनराशि से अर्जित ब्याज की राशि, जो बैंक खाते में रखी/जमा की गई थी, बिना देरी के राज्य के खजाने में जमा करनी थी ।

*74*

| *राशि (₹ करोड़ में)* | *बाहरी अंतरण तिथि* | *टिप्पणी* | *आवक अंतरण तिथि/ रोकड़-बही पृष्ठ* |
|---|---|---|---|
| *25.00* | *07/06/2019* | *रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया* | *अनुपलब्ध, रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया* |
| *25.00* | *29/07/2019* | *-वही-* | |
| *25.00* | *09/09/2019* | *-वही-* | |
| *25.00* | *04/11/2022* | *रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 21* | |
| *60.00* | *26/09/2022* | *रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 14* | *28/10/2022/ रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 19* |

- कृषि निदेशालय में रोकड़ बही और बैंक विवरणी जैसे अभिलेख की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान एचडीएफसी और पीएनबी के दो बैंक खातों में रखी गई कृषि इनपुट सब्सिडी राशि पर ₹ 21.94 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। एचडीएफसी बैंक में रखे गए ₹ 6.41 करोड़, 2 मार्च 2022 को सरकारी खजाने में जमा किए गए, जो उपर्युक्त निर्देश जारी होने के एक वर्ष नौ महीने बाद किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 15.53 करोड़ की ब्याज राशि पीएनबी के बैंक खाते में, वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2023) तक पड़ी रही।

- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान, 7,541 लाभार्थियों को ₹ 5.75 करोड़ की राशि की कृषि इनपुट सब्सिडी का दोहरा भुगतान (26 फरवरी 2019) किया गया। इस प्रकार वितरित की गई राशि को विभाग द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 2019) के अनुसार वसूल कर सरकारी खाते में जमा किया जाना था। यद्यपि विभाग ने वसूली तो की, लेकिन उसने वसूल की गई ₹ 4.50 करोड़ (दिसंबर 2019 तक वसूल की गई) और ₹ 1.25 करोड़ (दिसंबर 2019 से जुलाई 2021 के बीच वसूल की गई) की राशि को क्रमशः दिसंबर 2019 और जुलाई 2021 में बीआरबीएन के बैंक खाते में अंतरित कर दिया। ये वसूल की गई राशियां क्रमशः 607 दिन (13 दिसंबर 2019 से 11 अगस्त 2021) और 184 दिन (20 जुलाई 2021 से 20 जनवरी 2022) तक बीआरबीएन के पास पड़ी रहीं और बाद में इन्हें 11 अगस्त 2021 तथा 20 जनवरी 2022 को सरकारी खाते में जमा किया गया। हालांकि, इन अवधियों के दौरान बीआरबीएन के बैंक खाते में रखी गई राशि पर अर्जित होने वाले ₹ 24.33[75] लाख के ब्याज को सरकारी खाते में जमा किए जाने के प्रमाण नहीं मिले।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि लाभार्थियों से वसूल की गई ₹ 5.75 करोड़ की राशि (मार्च 2022 तक) पर अर्जित और कृषि विभाग के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा ₹ 16.94 लाख का ब्याज, किया गया था, भी कोषागार में जमा नहीं किया गया था और बैंक में पड़ा हुआ था (अप्रैल 2023 तक)।

विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान बताया कि अर्जित सभी ब्याज अब सरकारी खाते में जमा कर दिए गए हैं और बीआरबीएन के बैंक खाते में रखे गए कृषि इनपुट सब्सिडी निधि पर उपार्जित ब्याज तथ्यों के सत्यापन के बाद जमा कर दिया जाएगा।

### 2.10.12.3 रोकड़ बही में लेनदेन का लेखा-जोखा न रखना

अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, ने प्रशासनिक विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को रोकड़ बही का मिलान और रखरखाव करने का निर्देश दिया (नवंबर 2018)।

कृषि निदेशालय में अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान ₹ 4,431.96 करोड़ की धनराशि कोषागार से निकाली गई और बीआरबीएन को उसके पीएल खाते में भुगतान की गई। हालांकि, ये लेन-देन कृषि निदेशालय की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाए गए, जो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन है, जो कृषि इनपुट सब्सिडी की वितरण प्रक्रिया में वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, विभाग ने बताया कि कोषागार से निकाली गई और बीआरबीएन के पीएल खाते में अंतरण की गई कृषि इनपुट सब्सिडी राशि का हिसाब रोकड़ बही में रखा जाएगा।

---

[75] *तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर (इस अवधि के दौरान पीएनबी में प्रचलित दर) से गणना की गई।*

# अध्याय-III
# मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन

## अध्याय-III
## विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

### योजना एवं विकास विभाग

## 3. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन

***मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के अपूर्ण होने के कारण काफी मात्रा में धनराशि अव्ययित रह गई । योजना के अंतर्गत गैर-अनुज्ञेय कार्यों की स्वीकृति, मॉडल प्राक्कलनों की तैयारी न होना, आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ, अनियमित खरीद, कार्यों का विभाजन, निष्क्रिय व्यय आदि मुद्दे थे। सृजित परिसंपत्तियों को मरम्मत एवं रखरखाव हेतु उपयुक्त प्राधिकारों को हस्तांतरित नहीं किया गया तथा वे अप्रयुक्त एवं जर्जर अवस्था में पायी गयी। योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए मौजूदा सुविधाओं/संसाधनों का बेंचमार्क सर्वेक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार, योजना के क्रियान्वयन में और सुधार की पर्याप्त गुंजाइश थी, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।***

### 3.1 प्रस्तावना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई) (योजना), बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिहार में 2011-12 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के लिए दिशानिर्देश शुरू में 2011-12 में तैयार किए गए थे और बाद में जुलाई 2014 में संशोधित किए गए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। योजना के तहत, दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट विभिन्न कार्यों को राज्य विधान सभा के निर्वाचित/मनोनीत सदस्यों (विधायक) और विधान परिषद के सदस्यों (विधान पार्षद) की अनुशंसा पर निष्पादित किया जाता है। एमकेवीवाई के तहत प्रत्येक विधायक/विधान पार्षद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष ₹ तीन करोड़ तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं।

### 3.2 संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव (एसीएस)/प्रधान सचिव (पीएस), की अध्यक्षता में योजना एवं विकास विभाग (विभाग), बिहार सरकार, इस योजना के लिए नोडल विभाग है। इसके अतिरिक्त, जून 2014 में बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (बीएलएडीए) (अभिकरण) का गठन विशेष रूप से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) तथा विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया गया। अभिकरण के मुख्य कार्य इस प्रकार थे: (i) विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए डिज़ाइन तैयार करना, लागत का निर्धारण एवं मॉडल डिजाइन तथा प्राक्कलन बनाने में तकनीकी सहायता प्रदान करना (ii) विभिन्न बस्तियों, गाँवों, पंचायतों, प्रखंडों, जिलों तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र योजनाएं तैयार करना (iii) अभिकरण की निधियों का आहरण, संवितरण एवं प्रबंधन करना (iv) स्वतंत्र निरीक्षकों के माध्यम से योजना के तहत निष्पादित कार्यों की देखरेख एवं निरीक्षण करना और (v) कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करना। अभिकरण का संचालन एक कार्यकारी समिति (ईसी)

के माध्यम से होता है, जिसका अध्यक्ष विभाग का एसीएस/पीएस होता है, जबकि बीएलएडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी[1] (सीईओ) समिति के सदस्य-सचिव होते हैं।

विधायक/विधान पार्षद से कार्यों की अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित जिलों के जिला योजना पदाधिकारी (डीपीओ) इन अनुशंसाओं को कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) के संबंधित कार्य प्रमंडलों को अग्रसारित करते हैं। प्राक्कलनों की प्राप्ति के बाद, डीपीओ कार्यों के लिए स्वीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करता है और उन्हें इसके निष्पादन हेतु, एलएईओ के कार्य प्रमंडल को भेज देता है। एमकेवीवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग (बीएलएडीए और एलएईओ सहित) का संगठनात्मक आरेख **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.1: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं विकास विभाग का संगठनात्मक आरेख**

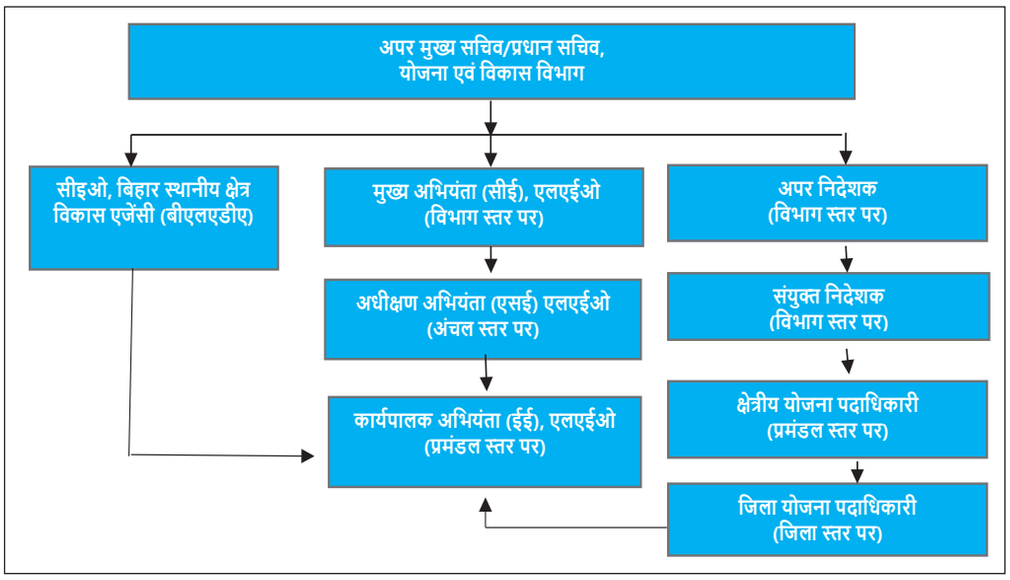


*(स्रोतः योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, द्वारा दी गई जानकारी)*

## 3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई) की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि क्याः

- विकासात्मक कार्यों का आयोजन और चयन योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप था;
- कार्य मौजूदा संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ एवं संपादित किए गए तथा संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, और
- योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए तंत्र विद्यमान था।

[1] *कोई पदाधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या मुख्य अभियंता के पद से नीचे का न हो।*

## 3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

योजना के कार्यान्वयन और उपलब्धि का आकलन करने के लिए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देश, 2014;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005;
- बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता;
- कार्य निष्पादन को नियंत्रित करने वाले समझौतों के प्रावधान;
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, अधिसूचनाएं, निर्देश और परिपत्र; तथा
- बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के उपनियम।

## 3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए की गई और यह मई 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच संपादित की गई। यह लेखापरीक्षा, शीर्ष स्तर पर योजना एवं विकास विभाग (बीएलएडीए सहित) के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा एलएईओ के मुख्य अभियंता के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से की गई। क्षेत्रीय स्तर पर, 38 जिला योजना कार्यालयों (डीपीओ) में से 10[2] चयनित डीपीओ और चयनित जिलों के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) के 13[3] प्रमंडलों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। जिलों का चयन स्तरीकृत नमूनाकरण विधि से किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में लेखापरीक्षित इकाई से मांग पत्रों के माध्यम से मांगी गई सूचना, दस्तावेजों के विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छाओं पर प्रतिक्रिया की प्राप्ति, निर्धारित प्रारूपों के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह करना आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करने के लिए, संपादित कार्यों/क्रय किए गए सामग्रियों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) भी संबंधित कार्य प्रमंडलों/ डीपीओ कार्यालय के अधिकारियों के साथ किया गया था। लेखापरीक्षित इकाइयों के साथ अंतर्गमन बैठकें (मई से सितंबर 2023 के बीच) आयोजित की गई, जिनमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर लेखापरीक्षित इकाइयों के विचारों को प्राप्त करने के लिए, विभाग के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन (अप्रैल 2024) आयोजित किया गया था और विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

## 3.6 वित्तपोषण

योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निधि बीएलएडीए (अभिकरण) को आवंटित की जाती हैं। बीएलएडीए, इन निधियों को आवश्यकतानुसार, एलएईओ के कार्य प्रमंडलों को अंतरित करता है। एमकेवीवाई के अंतर्गत प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु, अभिकरण और एलएईओ के प्रमंडल, पर्सनल

2 *अररिया, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और नालंदा।*

3 *अररिया, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, दरभंगा, बेनीपुर (दरभंगा), गोपालगंज, जमुई, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर-1, मुजफ्फरपुर-2, बिहारशरीफ (नालंदा) और हिलसा (नालंदा)।*

लेजर खातों (पीएल खाता[4]) के माध्यम से संचालित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत विभाग को ₹ 4,652.73 करोड़ आवंटित किये। इस राशि के सापेक्ष, बीएलएडीए ने ₹ 4,623.27 करोड़ एलएईओ के कार्य प्रमंडलों को जारी किये ***(परिशिष्ट3.1)***।

चयनित 10 जिलों में एलएईओ के नमूना-जांचित 13 कार्य प्रमंडलों का वर्ष-वार आबंटन, व्यय और अव्ययित शेष **तालिका 3.1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

**तालिका 3.1: एमकेवीवाई के तहत एलएईओ के 13 कार्य प्रमंडलों का वर्ष-वार आबंटन और व्यय (31 मार्च 2023 तक)**

***(₹ करोड़ में)***

| वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान आबंटन | कुल उपलब्ध निधि | व्यय | अव्ययित शेष (उपलब्ध निधि की प्रतिशतता) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 89.17 | 203.91 | 293.08 | 197.99 | 95.09 (32) |
| 2019-20 | 95.09 | 289.31 | 384.40 | 191.55 | 192.85 (50) |
| 2020-21 | 192.85 | 209.91 | 402.76 | 289.14 | 113.62 (28) |
| 2021-22 | 113.62 | 91.43 | 205.05 | 83.45 | 121.60 (59) |
| 2022-23 | 121.60 | 137.79 | 259.39 | 128.56 | 130.83 (50) |
| **कुल** | | **932.35** | | **890.69** | |

*(स्रोतः चयनित एलएईओ कार्य प्रमंडल)*

**तालिका 3.1** से, यह स्पष्ट है कि इन 13 प्रमंडलों में उपलब्ध कुल राशि का 28 से 59 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित पीएल खातों में अव्ययित राशि पड़ी थी। ये निधियां मुख्य रूप से वर्ष 2018-23 के दौरान, स्वीकृत कार्यों के पूरा न होने के कारण अव्ययित रही थी।

अप्रयुक्त निधियों की यह स्थिति समग्र रूप से राज्य के लिए और भी अधिक गंभीर हो जाती है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में, ₹ 779.85 करोड़ की राशि (अप्रैल 2018 तक ₹ 750.39 करोड़ के प्रारंभिक शेष सहित) अभी तक एलएईओ के कार्य प्रमंडलों को जारी की जानी बाकी थी। इस अवधि के दौरान, अभिकरण के पास जारी न की गई शेष राशि 16 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक थी, जो सतत बचत दर्शाती है ***(परिशिष्ट-3.1)***।

नमूना-जांचित प्रमंडलों की लेखापरीक्षा के आधार पर योजना, क्रियान्वयन, अनुबंध प्रबंधन आदि में कमियाँ पाई गई, जिनका विवरण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

## 3.7 योजना

योजना की प्रक्रिया में कमियों की ओर इंगित करने वाली लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ आगामी कंडिकाओं में दी गई है।

*4 बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 323 के अनुसार, पर्सनल डिपॉज़िट बैंकिंग जमा खातों के स्वरूप होते हैं, जिनकी प्राप्तियां और भुगतान पर्सनल लेजर में दर्ज किए जाते हैं। ये खाते विशेष परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं, जब जनहित में ऐसे त्वरित व्यय की आवश्यकता होती है जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया से संभव नहीं है।*

### 3.7.1 कार्यों के लिए मॉडल डिजाइन तथा प्राक्कलन तैयार न करना

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (बीएलएडीए) (अभिकरण ) का गठन (जुलाई 2014), सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण एक्ट, 1860, के तहत विभिन्न स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं, जिनमें एमकेवीवाई भी शामिल है, के त्वरित एवं सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु किया गया। पूर्ववर्ती **कंडिका 3.1.2** में उल्लिखित अभिकरण के उद्देश्यों एवं कार्यों के अनुसार, अभिकरण द्वारा निम्नलिखित तैयार करना अपेक्षित थाः (i) विभिन्न बस्तियों, गाँवों, पंचायतों, प्रखंडों, जिलों तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय योजनाएं, तथा (ii) योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्यों के मॉडल डिज़ाइन एवं प्राक्कलन।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अभिकरण ने एमकेवीवाई के अंतर्गत उपयोग किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु ऐसे किसी भी मॉडल डिज़ाइन एवं प्राक्कलन को तैयार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, योजना के अंतर्गत संबंधित एलएईओ प्रमंडलों द्वारा संपादित समान प्रकार के कार्यों के डिज़ाइन एवं मूल विशेषताओं में एकरूपता नहीं थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवनों आदि के लिए मॉडल डिजाइन और प्राक्कलनो के अभाव के कारण, इन कार्यो को जलापूर्ति, बिजली और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान किए बिना ही संपादित किया गया, जैसा कि **कंडिका 3.9.2** में उल्लिखित है।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (मई 2024) कि योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः विधायक/विधान पार्षद से प्राप्त अनुशंसाओं पर आधारित है और क्षेत्रीय भिन्नता एवं कार्य स्थलों पर भूमि की उपलब्धता में अंतर के कारण, योजनाओं के लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार करना संभव नहीं था। हालांकि, विभाग का उत्तर बीएलएडीए के उप-नियमों और उसमें उल्लिखित कार्यों के प्रावधान के अनुरूप नहीं था।

***अनुशंसा 1: बीएलएडीए यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का मानक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार कर सकता है कि बनायी जा रही परिसंपत्तियाँ मानकीकृत गुणवत्ता की हों और वांछित लाभार्थियों द्वारा उपयोग की जा सके।***

### 3.7.2 गैर-अनुज्ञेय कार्यों की स्वीकृति

योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 6 में योजना के तहत अनुज्ञेय कार्यों के रूप में 19 श्रेणियों के कार्यों की परिकल्पना की गई थी, जिसे बाद में विभाग द्वारा संशोधित (फरवरी 2023) कर 46 कार्यों को समावेशित किया गया था ***(परिशिष्ट-3.2 ए)***।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, चयनित जिलों के डीपीओ (बांका को छोड़कर) ने ₹ 10.83 करोड़ मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के 158 ***(परिशिष्ट-3.2 बी)*** कार्यों को मंजूरी दी थी । इन कार्यों में श्मशान शेड, गैर-अनुज्ञेय क्षेत्रों में पीसीसी सड़क, तालाबों के चारों ओर चार दीवारी, सामुदायिक भवन में कमरे/फर्श, सत्संग भवन, सीढ़ियाँ आदि का निर्माण शामिल था, जो योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं थे। इन कार्यों को वित्त वर्ष 2018-23 के दौरान एलएईओ के कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादित किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 8.79 करोड़ उन कार्यों पर खर्च किए गए थे जो योजना के तहत अनुज्ञेय नहीं थे।

गैर-अनुज्ञेय कार्यों की स्वीकृति/निष्पादन के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने कहा (मई 2024) कि कार्यों का चयन और कार्यान्वयन केवल दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यों की मंजूरी देते समय, दिशानिर्देशों के अनुसार, उनकी अनुज्ञेयता पर संबंधित डीपीओ द्वारा विचार किया जाना था।

## 3.8 योजना का कार्यान्वयन

माननीय विधायक/विधान पार्षद की अनुशंसाओं के आधार पर, डीपीओ द्वारा कार्यों को मंजूरी दी जाती है और संबंधित एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादन किया जाता है। वर्ष 2018-23 के दौरान 10 चयनित जिलों में अनुशंसित, स्वीकृत, निष्पादित और निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति **तालिका 3.2** में दर्शाई गई है।

**तालिका 3.2: चयनित जिलों में कार्य निष्पादन की स्थिति (2018-23)**

***(₹ करोड़ में)***

| क्रम संख्या | डीपीओ | विधायक/विधान पार्षद द्वारा अनुशंसित कार्य | | संबंधित डीपीओ द्वारा स्वीकृत कार्यों की संख्या और मूल्य | | पूरा किए गए कार्य | अधूरे कार्यों की संख्या (तक) | विभाग द्वारा निरस्त किए गए कार्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | मूल्य (लगभग) | संख्या | मूल्य | | | |
| 1 | अररिया | 488 | अनुपलब्ध | 474 | 79.5 | 426 | 27 (जुलाई 2023) | 21 |
| 2 | औरंगाबाद | 4,739 | 48.21 | 3,245 | 78.82 | 2,843 | 402 (अप्रैल 2023) | 0 |
| 3 | बांका | 1,787 | 62.98 | 1,419 | 58.12 | 1,323 | 80 (मई 2023) | 16 |
| 4 | बक्सर | 1,193 | 60.85 | 875 | 58.45 | 827 | 38 (जून 2023) | 10 |
| 5 | दरभंगा | 9,997 | अनुपलब्ध | 7,624 | 153.74 | 7,188 | 436 (जून 2023) | 0 |
| 6 | गोपालगंज | 1,350 | 86.72 | 1,100 | 74.26 | 999 | 49 (मार्च 2023) | 52 |
| 7 | जमुई | 1,888 | 78.86 | 940 | 49.26 | 814 | 109 (मार्च 2023) | 17 |
| 8 | मधेपुरा | 1,171 | अनुपलब्ध | 1,160 | 57.52 | 1,114 | 39 (अगस्त 2023) | 6 |
| 9 | मुजफ्फरपुर | 4,660 | 157.3 | 4,561 | 154.11 | 4,055 | 153 ( जुलाई 2023) | 353 |
| 10 | नालंदा | 2,829 | 118.53 | 2,153 | 130.18 | 1,873 | 231( मई 2023) | 49 |
| | **कुल** | **30,102** | | **23,551** | **893.96** | **21,462** | **1,565** | **524** |

*(स्रोतः चयनित डीपीओ के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर))*

**तालिका 3.2** से यह स्पष्ट है कि 2018-23 के दौरान स्वीकृत 23,551 कार्यों में से, 21,462 कार्य पूर्ण किए गए, 1,565 कार्य अपूर्ण रहे और 524 कार्य मुख्यत: भूमि विवाद और जन-संबंधी बाधाओं के कारण निरस्त कर दिए गए। लेखापरीक्षा के दौरान कार्यों के निष्पादन जैसे सोलर लाईट, बेंच-डेस्क, पुस्तकों, वाहनों, प्रायोगिक उपकरणों की खरीद में और सिविल कार्यों को पूरा करने में अनियमितताएं देखी गई और ***कंडिकाएं 3.8.1 से 3.10*** में चर्चा की गई है।

### 3.8.1 सोलर लाईट की अधिप्राप्ति/संस्थापन/रखरखाव

एमकेवीवाई दिशानिर्देश, 2014, की कंडिका 7 के साथ पठित कंडिका 6 में यह प्रावधान है कि विधायक/विधान पार्षद की अनुशंसा पर उनके निर्धारित भौगोलिक सीमाओं के भीतर सोलर लाईट का संस्थापन किया जाए। इस योजना के अंतर्गत, विधायक/विधान पार्षद द्वारा 9,664 सोलर लाईट की संस्थापना की

सिफारशों के सापेक्ष, वर्ष 2018-23 के दौरान 10 चयनित जिलों में से छः[5] जिलों में ₹ 111.13 करोड़ के व्यय से 8,983 सोलर लाईट संस्थापित की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान सोलर लाईट की अधिप्राप्ति/स्थापना एवं रखरखाव से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियाँ देखी गई:

### ➢ मात्रा का उल्लेख किए बिना निविदा आमंत्रित करना

बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 126 (i) में प्रावधान किया गया था कि खरीदे जाने वाले माल की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि के संदर्भ में विनिर्देशों को खरीद संगठनों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित डीपीओ[6] (मधेपुरा को छोड़कर) ने इस उद्देश्य के लिए प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में आवश्यक सोलर लाईट की संख्या का उल्लेख किए बिना ही सोलर लाईट की अधिप्राप्ति के लिए निविदाएँ आमंत्रित की थीं (जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक)। इसके अलावा, बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन न होने के परिणामस्वरूप, सोलर लाईट की अनुमानित मात्रा को शामिल न करने से इन वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए बेहतर एवं अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य आकर्षित न होने का जोखिम भी बढ़ गया।

जवाब में, विभाग ने कहा कि इसने सभी डीपीओ/ईई को निविदा प्रकाशन में मात्रा/संख्या का उल्लेख करने हेतु निर्देश जारी किए हैं (मई 2024)।

### ➢ संस्थापित सोलर लाईट का रखरखाव नहीं किया जाना

जिन छ: जिलों में ये सौर लाईट स्थापित की गई (फरवरी 2018 से अगस्त 2021), वहाँ के संबंधित डीपीओ और आपूर्तिकर्ताओं के बीच अनुबंध किए गए। इन अनुबंध के अनुसार, सोलर लाईट की संस्थापना लागत में रखरखाव का खर्च सम्मिलित था तथा संस्थापना की तिथि (नवंबर 2018 से सितंबर 2021) से पाँच वर्षों की अवधि तक संस्थापित सोलर लाईट का रखरखाव करना आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सोलर लाईट के रखरखाव हेतु कोई तंत्र यथा टोल-फ्री नंबर, शिकायत पंजी, सेवा केंद्रों के पते आदि प्रदान करना, या तो अनुबंध में या जारी किए गए कार्यादेशों में परिभाषित नहीं किये गए थे। इस तरह के तंत्र के अभाव में, उपयोगकर्ता संस्थापित सोलर लाईट के कामकाज से संबंधित अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, दर्ज कराने में असमर्थ थे। इसके अलावा, जून से सितंबर 2023 के दौरान, छ: चयनित जिलों में से पाँच में (अररिया को छोड़कर) 310[7] लाईट के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 162[8] (52 प्रतिशत) सोलर लाईट कार्यशील नहीं थीं, जो न केवल रखरखाव की कमी, बल्कि एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के अभाव को भी इंगित करता था।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (मई 2024), कि सभी डीपीओ को इस संबंध में भविष्य में सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी किया गया था।

---

[5] *अररियाः 829 (₹ 18.21 करोड़), बांकाः 664 (₹ 13.39 करोड़), दरभंगाः 1,321 (₹ 26.09 करोड़), जमुईः 287 (₹ 14.60 करोड़), मधेपुराः 830 (₹ 13.94 करोड़) और मुजफ्फरपुरः 5,052 (₹ 24.90 करोड़)।*

[6] *अररिया, बांका, दरभंगा, जमुई और मुजफ्फरपुर।*

[7] *बांकाः 96; दरभंगाः 32; जमुईः 96; मधेपुराः 24 और मुजफ्फरपुरः 62*

[8] *बांकाः 40; दरभंगाः 22; जमुईः 46; मधेपुराः 5 और मुजफ्फरपुरः 49*

### ➢ आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ

डीपीओ, मुजफ्फरपुर ने एक आपूर्तिकर्ता[9] के साथ सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु एक अनुबंध किया (अगस्त 2017)। आपूरित किए गए सामान का भुगतान कार्यपालक अभियंता, एलएईओ-1, मुजफ्फरपुर, द्वारा आपूर्तिकर्ता को किया जाना था।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को सोलर लाईट को इसकी संस्थापन की तिथि से पाँच वर्षों तक रखरखाव करना था। इसके अलावा,आपूर्ति एवं संस्थापन की लागत का 90 प्रतिशत भुगतान सामग्री प्राप्त होने एवं संस्थापन कार्य पूरा होने पर किया जाना था। शेष 10 प्रतिशत को प्रतिभूति जमा (एसडी) के रूप में आपूर्तिकर्ता के विपत्र राशि से काटा जाना था । इस कटौती की गई 10 प्रतिशत की राशि को रखरखाव की पाँच वर्षों की अवधि के संतोषजनक समापन के बाद, आपूर्तिकर्ता को वापस किया जाना था।

₹ 17.36 करोड़ की लागत की सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं संस्थापन के सापेक्ष, ईई, एलएईओ-1, मुजफ्फरपुर, ने अक्टूबर 2017 से नवंबर 2021 (आपूर्ति, प्राप्ति एवं उसके सापेक्ष किए गए भुगतान के अनुसूची के अनुसार) के दौरान एसडी के रूप में ₹ 1.73 करोड़ (अर्थात आपूर्ति की गई कुल राशि का 10 प्रतिशत) कटौती की ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसडी के ₹ 1.73 करोड़ में से, ₹ 1.68 करोड़ दिसंबर 2021 में पाँच वर्षों (सितंबर 2022 से अक्टूबर 2026) की रखरखाव अवधि पूर्ण होने से पहले दो किस्तों में आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिये गये थे। ईई द्वारा एसडी की समयपूर्व वापसी का यह कार्य आपूर्तिकर्ता के लिए अदेय लाभ था क्योंकि इसने संस्थापित सोलर लाईट के गैर/अनुचित रखरखाव की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को किसी भी वित्तीय बोझ या दायित्व से मुक्त कर दिया था । इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित 45 सोलर स्ट्रीट लाईट में से 37 का रख-रखाव अपर्याप्त अथवा नहीं किया गया था, क्योंकि ये प्रमंडल में किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर 2023) के दौरान कार्यरत नहीं पाई गई ।

विभाग ने जवाब में (मई 2024) कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन का संज्ञान लिया गया है और संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

### ➢ अधिप्राप्ति की अनियमित स्वीकृति

योजना दिशा-निर्देशों की कंडिका 11 में योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति देने हेतु विभिन्न वित्तीय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार, ₹ 50 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति डीपीओ द्वारा, ₹ 50 लाख से अधिक और ₹ दो करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी (आरपीओ) द्वारा तथा ₹ दो करोड़ से अधिक के कार्यों की स्वीकृति विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दी जानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा डीपीओ, बांका, के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, ₹ 12.30 करोड़ की लागत से 616 सोलर स्ट्रीट लाईट की अधिप्राप्ति एवं संस्थापन हेतु नौ कार्यों की संस्वीकृति दी गई। इन संस्वीकृत कार्यों के सापेक्ष सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं संस्थापन एलएईओ, बांका के कार्य प्रमंडल में वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान पूरा किया गया।

---

[9] *मेसर्स सन एनर्जी एंड सॉल्यूशन।*

डीपीओ, बांका, द्वारा स्वीकृत प्रत्येक कार्य की लागत ₹ 50 लाख से अधिक थी, अर्थात डीपीओ की प्राधिकार सीमा से बाहर थी और ऐसे कार्यों की स्वीकृति विभाग के सक्षम उच्च प्राधिकारी द्वारा दी जानी अपेक्षित थी। तथापि, डीपीओ ने उपर्युक्त योजना दिशानिर्देशों के उपरोक्त खंड का उल्लंघन करते हुए स्वयं ही नौ विभिन्न अवसरों पर नौ कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अनियमित थी। डीपीओ द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

**तलिका 3.3: डीपीओ द्वारा अनियमित प्रशासनिक स्वीकृति**

***(₹ करोड़ में)***

| क्रम संख्या | स्ट्रीट लाईट की संख्या | प्रशासनिक स्वीकृति संख्या और स्वीकृति की तिथि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 111 एवं 05/02/2019 | 0.72 |
| 2. | 60 | 442 एवं 14/09/2019 | 1.20 |
| 3. | 53 | 444 एवं 16/09/2019 | 1.02 |
| 4. | 45 | 445 एवं 16/09/2019 | 0.86 |
| 5. | 109 | 464 एवं 17/09/2019 | 2.17 |
| 6. | 38 | 534 एवं 05/11/2019 | 0.74 |
| 7. | 145 | 554 एवं 09/11/2019 | 2.89 |
| 8. | 77 | 597 एवं 29/11/2019 | 1.50 |
| 9. | 60 | 64 एवं 29/01/2020 | 1.20 |
| **कुल** | **616** | | **12.30** |

जैसा कि **तालिका 3.3** से देखा जा सकता है, नौ मामलों में, डीपीओ ने कार्यों को स्वीकृति देते समय मानदंडों का उल्लंघन किया। वास्तव में, दो मामलों में, ₹ दो करोड़ से अधिक के कार्य जिन्हें केवल विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकता था, डीपीओ द्वारा अनियमित रूप से स्वीकृत किए गए थे।

यह न केवल योजना के दिशानिर्देशों और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन था, बल्कि इन स्वीकृतियों से सक्षम प्राधिकारी के अपेक्षाकृत अनभिज्ञ रहने का भी सूचक था। अतः इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अनुश्रवण का अभाव रहा।

इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डीपीओ, बांका ने जवाब दिया कि प्रशासनिक स्वीकृति योजना-वार प्रदान की गई थी।

डीपीओ का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 50 लाख से अधिक थी, जो उनकी वित्तीय अधिकारिता से बाहर थी, तथा जिसे विभाग के उच्च सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त,विभाग ने कहा (मई 2024 में) कि इस संबंध में डीपीओ,बांका, से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

### 3.8.2 प्रवासी कुशल श्रमिकों को रोजगार से वंचित रखा जाना

विभाग ने सभी डीपीओ को निर्देश दिया (जून 2020) कि बेंच/डेस्क बनाने का तकनीकी ज्ञान वाले प्रवासी कुशल श्रमिक जो कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण बिहार लौट आये थे, को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की शर्तों में यह अनिवार्य प्रावधान

शामिल किया जाना था कि सफल निविदादाता को संबंधित विद्यालयों में ही बेंच-डेस्क तैयार करने होंगे, जहाँ इनका उपयोग किया जाना था।

सितंबर 2020 से मार्च 2023 के दौरान, 10 चयनित जिलों में से चार जिलों में सरकारी स्कूलों में आपूर्ति हेतु ₹ 29.80[10] करोड़ मूल्य के 53,299 जोड़े लकड़ी के बेंच/डेस्क की खरीद की गई। इन चार डीपीओ के अभिलेखों की नमूना-जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि: (i) मुजफ्फरपुर में, इस आशय का खंड कि सफल निविदादाता को संबंधित विद्यालयों में ही बेंच-डेस्क बनाने होंगे, को न तो एनआईटी में और न ही कार्यादेश में शामिल किया गया था। (ii) औरंगाबाद में, यद्यपि उक्त प्रावधान एनआईटी में शामिल था, लेकिन कार्यादेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया और 53 विद्यालयों को बेंच-डेस्क की आपूर्ति रेडीमेड स्थिति में की गई और (iii) अररिया और दरभंगा में, यद्यपि उक्त प्रावधान एनआईटी और कार्यादेश दोनों में शामिल था, फिर भी संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मई-सितंबर 2023) के दौरान 1,019[11] विद्यालयों में से, 13[12] विद्यालयों में 1,202 जोड़ी बेंच-डेस्क की आपूर्ति रेडीमेड स्थिति में की गई पाई गई।

अतः रेडीमेड बेंच-डेस्क जोड़े की आपूर्ति के कारण, राज्य के प्रवासी कुशल श्रमिकों को रोजगार देने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

जवाब में, विभाग ने कहा (मई 2024) कि उपरोक्त निर्देशों (जून 2020) के आलोक में सभी बेंच/डेस्क स्वयं विद्यालयों में ही बनाए गए थे। हालांकि, विभाग का यह उत्तर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्कूलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, संबंधित प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों ने बताया कि स्कूलों को रेडीमेड बेंच/डेस्क की आपूर्ति की गई थी।

### 3.8.3 पुस्तकों की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं

योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 6 (11) में यह प्रावधान है कि पुस्तकों की खरीद कर इन्हें सरकारी विद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित उच्च/इंटर विद्यालयों/कॉलेजों (जिनकी भूमि माननीय राज्यपाल, बिहार के नाम पंजीकृत है) तथा निचली अदालतों में अधिवक्ताओं के कार्यालय की पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों और पाठकों के बीच वितरण की जाने वाली पुस्तकों की खरीद के लिए विभागीय निर्देशों (नवंबर 2014) की कंडिका-2 की उप-कंडिका (ए), (बी) और (डी) में यह उपबंध किया गया था कि:

- जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) की अध्यक्षता में गठित समिति, माननीय विधायक/विधान पार्षद द्वारा अनुशंसित पुस्तकों की सूची की जांच करने के उपरांत, पुस्तकों की खरीद की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- पात्र संस्थान को उस वर्ष से, जिस वर्ष उन्हें पुस्तकें प्राप्त हुई हों, अगले तीन वर्षों तक पुस्तकों की आपूर्ति हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा।
- पुस्तकों की अधिप्राप्ति पर लागू छूट की दरें एक से 10 प्रतियों, 11 से 25 प्रतियों, 26 से 100 प्रतियों, 101 से 200 प्रतियों, 201 से 500 प्रतियों और 501 से अधिक प्रतियों के लिए क्रमशः 10, 15, 20, 25, 30 और 35 प्रतिशत थी।

---

[10] *अररिया (26,388 जोड़ी; ₹ 13.19 करोड़), औरंगाबाद (1,000 जोड़ी; ₹ 0.49 करोड़), दरभंगा (22,561 जोड़ी; ₹ 14.45 करोड़) और मुजफ्फरपुर (3,350 जोड़ी; ₹ 1.67 करोड़)।*

[11] *अररियाः 616 और दरभंगाः 403।*

[12] *अररियाः 4 विद्यालय (180 जोड़ी) और दरभंगाः 9 विद्यालय (1,022 जोड़ी)।*

- पुस्तकों की खरीद की मौद्रिक सीमा एक वित्तीय वर्ष में उच्च विद्यालय के पुस्तकालय के लिए ₹ पांच लाख और एक कॉलेज के पुस्तकालय के लिए ₹ सात लाख होनी थी।

इस संदर्भ में, 2018-23 के दौरान 10 चयनित जिलों में से छः में लेखापरीक्षा द्वारा संस्थानों को पुस्तकों की स्वीकृति, खरीद और आपूर्ति से संबंधित पाई गई अनियमितताएँ **तालिका 3.4** में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 3.4: पुस्तकों की अधिप्राप्ति/आपूर्ति में अनियमित/अधिक व्यय**

| क्रम संख्या | अनियमितता की प्रकृति | जिला (पुस्तकों का मूल्य) | कुल राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1. | संबंधित विधायक/विधान पार्षद से सिफारिशें प्राप्त किए बिना, 344 (463[13] पात्र संस्थानों में से) को पुस्तकों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति की गई थी। | औरंगाबाद (₹ 0.88 लाख), दरभंगा (₹ 9.69 लाख) और नालंदा (₹ 19.50 लाख) | 30.07 |
| 2. | दरभंगा और नालंदा में क्रमशः 27 और 53 संस्थानों को पहले की आपूर्ति के तीन साल के भीतर पुस्तकों की आपूर्ति की गई थी। | दरभंगा (₹ 15.35 लाख) और नालंदा (₹ 13.50 लाख) | 28.85 |
| 3. | अधिप्राप्ति के दौरान लागू छूट दरों[14] के तरीके से प्रयोग के कारण 694 शैक्षणिक संस्थानों[15] में पुस्तकों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान किया गया था। | औरंगाबाद (₹ 0.67 लाख), मुजफ्फरपुर (₹ 7.99 लाख) और नालंदा (₹ 1.77 लाख) | 10.43 |
| 4. | डीपीओ ने 12 गैर-अनुज्ञेय संस्थानों[16] (यानी, प्राथमिक विद्यालयों और मदरसा) को पुस्तकों की स्वीकृति, अधिप्राप्ति और आपूर्ति की। | अररिया (₹ 3.50 लाख), औरंगाबाद (₹ 0.10 लाख) और दरभंगा (₹ 0.40 लाख) | 4.00 |
| 5. | डीपीओ ने सात संस्थानों को पुस्तकों की स्वीकृति, खरीद और आपूर्ति की, जो संबंधित विधायक द्वारा अनुशंसित संस्थानों से अलग थे। | नालंदा | 2.25 |
| 6. | डीपीओ ने उच्च विद्यालयों और कॉलेजों के लिए क्रमशः पांच लाख और सात लाख के बजाय क्रमशः ₹ छः लाख और ₹ नौ लाख की किताबें अधिप्राप्त की, जो निर्धारित सीमा से अधिक थी। | गोपालगंज | 3.00 |
| **कुल योग** | | | **78.60** |

*(स्रोतः नमूना एलएईओ कार्य प्रमंडलों के अभिलेख)*

इस प्रकार, योजना दिशानिर्देशों और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करके पुस्तकों की खरीद और आपूर्ति की गई, जिसके कारण अधिक (₹ 10.43 लाख) और अनियमित (₹ 68.17 लाख) व्यय हुआ।

विभाग ने जवाब में कहा कि (मई 2024) मामले की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

---

[13] *औरंगाबादः 52, नालंदाः 297 और दरभंगाः 114।*

[14] *छूट दरें: औरंगाबाद में 16 और 21 प्रतिशत के स्थान पर शून्य और 11 प्रतिशत; नालंदा में 15 और 20 प्रतिशत के स्थान पर 11 और 12 प्रतिशत; मुजफ्फरपुर में 16, 21 और 26 प्रतिशत के स्थान पर 11 प्रतिशत।*

[15] *औरंगाबादः 100, मुजफ्फरपुरः 426, नालंदाः 168।*

[16] *औरंगाबादः 1, दरभंगाः 4 और अररियाः 7।*

## 3.9 सिविल कार्यों का निष्पादन

### 3.9.1 कार्यों को विभाजित करना

बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 206 में यह प्रावधान किया गया था कि अनुमोदनों और स्वीकृतियों के उद्देश्य से, किसी परियोजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों के समूह को एक कार्य माना जाएगा। यदि किसी परियोजना में ऐसे कार्यों के समूह शामिल हैं, तो प्रत्येक विशेष कार्य की लागत यदि निचले प्राधिकारी की स्वीकृति या अनुमोदन की सीमा के भीतर हो, तो भी परियोजना के लिए उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता से बचा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निर्देश जारी किया (अगस्त 2014) कि ₹ 15 लाख से कम लागत के कार्यों को विभागीय रूप से एलएईओ के कार्य प्रमंडलों द्वारा संपन्न किया जाएगा । इसके अलावा, बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 (ए) (i) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, ₹ 15 लाख या उससे अधिक अनुमानित लागत वाले सभी कार्यों के लिए दैनिक समाचार पत्रों/इंटरनेट में निविदा प्रकाशित करना आवश्यक था।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 चयनित जिलों में से नौ (बांका को छोड़कर) में, संबंधित माननीय विधायक/विधान पार्षद द्वारा अनुशंसित 29 कार्यों को 64 छोटे कार्यों में विभाजित किया गया, जिनकी कुल लागत ₹ 10.25 करोड़ थी । इन कार्यों को जुलाई 2018 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया, जिसमें 23 कार्यों को दो भागों में और छः कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया गया था। कार्यों को विभाजित या तो: (i) मौद्रिक मान को ₹ 50 लाख से कम रखने के लिए किया गया था ताकि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति उच्च अधिकारियों के बजाय डीपीओ द्वारा स्वयं दी जा सके या (ii) प्रत्येक कार्य के मौद्रिक मान को ₹ 15 लाख से कम रखने के लिए किया गया था ताकि इसे विभागीय रूप से निष्पादित किया जा सके या (iii) मौद्रिक मान को ₹ 15 लाख से कम रखने के लिए किया गया था ताकि व्यापक प्रचार के लिए ई-निविदा की आवश्यकता और समाचार पत्र में निविदा के प्रकाशन से बचा जा सके ***(परिशिष्ट-3.3)*** । परिणामस्वरूप, व्यापक प्रचार के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त नहीं की जा सकीं।

2019-21 के दौरान, डीपीओ, औरंगाबाद द्वारा 13 विभिन्न पक्का सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया था (सितंबर 2019 से जुलाई 2020) और संबंधित एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादित किया गया (जनवरी 2020 से जनवरी 2021) जिनमें कुल ₹ 1.58 करोड़ का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट-3.4)*** ।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि: (i) इन 13 कार्यों में से प्रत्येक का मान ₹ 15 लाख से कम था (ii) इन 13 कार्यों में से नौ कार्य ***(परिशिष्ट-3.4 का क्रं.सं. 1 से 9)*** सड़क के एक ही हिस्से पर निष्पादित किये गये थे और इन नौ मे से छः कार्य को डीपीओ, औरंगाबाद द्वारा एक ही दिन, अर्थात 16 जून 2020 को स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त से पता चला कि डीपीओ, औरंगाबाद, ने इस पीसीसी सड़क कार्य को उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने और कार्यों को विभागीय रूप से निष्पादित करने के लिए विभाजित किया। साथ ही, इन 13 निष्पादित कार्यों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (जून 2023), यह देखा गया कि भोला बीघा गांव से शुरू करके बलवंत बीघा गांव तक सड़क के एक ही हिस्से पर (3.063 किलोमीटर) पर नौ कार्यों को निष्पादित किया गया था,जो यह दर्शाता है कि एक ही कार्य को अनावश्यक रूप से छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाई गई। सड़कों की दरारों में घास/झाड़ियां उगती हुई पाई गई, जो न्यूनतम यातायात प्रवाह को दर्शाता है जो सड़क के खराब गुणवत्ता के कारण हो सकता है, जैसा कि **चित्र 3.1 से 3.4** में दर्शाया गया है।

**चित्र 3.1 (प्रारंभिक बिंदु)**

**चित्र 3.2 (250/20-21)**

**चित्र 3.3 (251/20-21)**
**निरंतर एकल खंड पर निष्पादित नौ विभाजित सड़क कार्य**

**चित्र 3.4 (अंतिम बिंदु)**
**जर्जर हालत में सड़कें**

यदि इन नौ कार्यों को एक ही कार्यादेश के रूप में निष्पादित किया गया होता, तो डीपीओ बेहतर गुणवत्ता वाले कार्य को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सुनिश्चित कर सकते थे, जिससे अंततः वांछित लाभार्थियों को फायदा होता।

विभाग ने कहा (मई 2024) कि माननीय विधायक/विधान पार्षद के अनुशंसा के अनुसार कार्यों को निष्पादित किया गया था, हालांकि, उपरोक्त निर्देशों के आलोक में कार्यों को निष्पादित करने के लिए सभी कार्यकारी एजेंसी को निर्देश जारी किए गए हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस संबंध में बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि आवश्यक था।

### 3.9.2 सामुदायिक भवन तथा पुस्तकालय भवनों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय

#### (i) सामुदायिक भवन के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय

लेखापरीक्षा ने देखा कि दस चयनित जिलों में से पांच जिलों में, वित्तीय वर्ष 2018-23 के दौरान, माननीय विधायक/विधान पार्षद से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर एमकेवीवाई के तहत ₹ 26.21 करोड़ की लागत से 675 सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया था।

एलएईओ के संबंधित कार्य प्रमंडलों के अधिकारियों के साथ पांच जिलों (अररिया, औरंगाबाद, नालंदा, दरभंगा और मधेपुरा) में ₹ 2.13 करोड़ की लागत से में निर्मित 28 सामुदायिक भवनों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) (जून-अगस्त 2023 एवं मई 2024) किया गया ***(परिशिष्ट-3.5)*** । संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि: (i) किसी भी सामुदायिक भवन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं होना पाया गया, जिसके लिए उनका निर्माण किया गया था (ii) 28 में से 27 सामुदायिक भवन गाँव के निजी व्यक्तियों के कब्जे में पाये गये क्योंकि उनका हस्तांतरण पंचायती राज विभाग को नहीं किया गया था तथा एक मामले में कार्य अपूर्ण था (iii) इन सामुदायिक भवनों के प्राक्कलनों की नमूना-जांच से पता चला कि 28 सामुदायिक भवनों में से 14 में बुनियादी सुविधाओं यथा बिजली, पानी, शौचालय आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे उनकी उपयोगिता प्रभावित हुई।

इनमें से कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित स्थितियों को **चित्र 3.5 से 3.8** में दर्शाया गया है।

**चित्र 3.5: परवलपुर, ग्राम पंचायत रेधी (नालंदा) में चारा काटने की मशीन लगाकर सामुदायिक भवन का अतिक्रमण किया गया**

**चित्र 3.6: निजी व्यक्ति के कब्जे में सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत कुर्साकांटा, वार्ड सं. 2 कुर्साकांटा प्रखंड, सिकटी (अररिया)**

**चित्र 3.7: निजी व्यक्ति के कब्जे में पलासमनी गांव के मंडल टोला, कुर्साकांटा (अररिया) में सामुदायिक भवन**

**चित्र 3.8 तारडीह प्रखंड, बेनीपुर (दरभंगा) के तहत तारडीह गांव में जोगेन्द्र यादव के घर के पास सामुदायिक भवन। चहारदीवारी और गेट का निर्माण प्राक्कलन में प्रावधानों के बिना किया गया**

**चित्र 3.5 से 3.7** में यह देखा जा सकता है कि सामुदायिक भवन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए उनका निर्माण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर किया गया ₹ 2.13 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

उत्तर में, विभाग ने बताया (मई 2024) कि छः सामुदायिक भवन अप्रैल 2024 में हस्तांतरित कर दिए गए और शेष सामुदायिक भवनों का हस्तांतरण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, विभाग ने निजी व्यक्तियों के कब्जे वाले सामुदायिक भवन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया।

**(ii) पुस्तकालय भवनों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय**

वर्ष 2018-23 के दौरान, 10 चयनित जिलों में से छः जिलों के डीपीओ ने 14 पुस्तकालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी, जिनकी कुल लागत ₹ 1.07 करोड़ थी। ये पुस्तकालय भवन जुलाई 2019 से जुलाई 2022 के दौरान संबंधित एलएईओ के कार्य प्रमंडलों द्वारा ₹ 1.02 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए ***(परिशिष्ट-3.6)***।

बीएलएडीए का एक प्रमुख कार्य लिए गए कार्यों के लिए मॉडल डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार करना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एमकेवीवाई योजना के तहत निर्मित पुस्तकालय भवनों के लिए डिजाइन और प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। इन भवनों के प्राक्कलनों की नमूना-जांच से पता चला कि पुस्तकालय भवनों के किसी भी प्राक्कलन में बुनियादी आवश्यकताओं यथा पुस्तकों की अलमारी, पुस्तकें, मेज आदि के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे, जिससे इकाइयों की उपयोगिता प्रभावित हुई ***(परिशिष्ट-3.6)***।

इन 14 पुस्तकालयों में से 11 का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया (जून-सितंबर 2023)। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि पुस्तकालय भवन या तो निजी व्यक्तियों के कब्जे में थे या बुनियादी आवश्यकताएं यथा पुस्तक, पुस्तकों की अलमारी, मेज आदि के अभाव में अप्रयुक्त पड़े थे, जैसा कि **चित्र 3.9 से 3.11** में दर्शाया गया है।

**चित्र 3.9: निजी व्यक्ति के कब्जे में कुर्सेंडी, पुरैनी, मधेपुरा का पुस्तकालय**

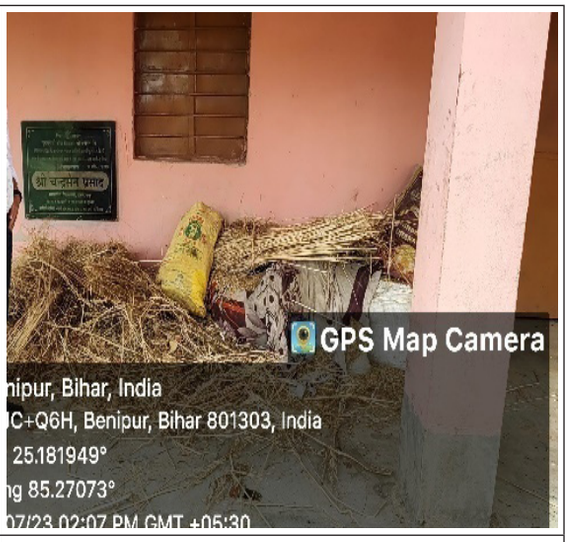


**चित्र 3.10: निजी व्यक्ति के कब्जे में अगौरी, हिलसा, नालंदा का पुस्तकालय**

**चित्र 3.11: गाँव बाशा, हायाघाट प्रखंड, बेनीपुर, दरभंगा, में राम जानकी मंदिर के पास अप्रयुक्त पुस्तकालय भवन**

**चित्र 3.9 से 3.11** से, यह देखा जा सकता है कि पुस्तकालय भवन या तो निजी व्यक्तियों के कब्जे में थे या उपयोग में नहीं लाए गए थे। अतः ₹ 1.02 करोड़ की लागत से इन पुस्तकालय भवनों का निर्माण होने के बावजूद, वे निष्क्रिय रहे क्योंकि वे या तो अधूरे थे या पूर्ण होने के बाद पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गए। इसके अलावा, मॉडल डिजाइन और प्राक्कलन के अभाव में (जो बीएलएडीए द्वारा तैयार किया जाना था), इन भवनों में बुनियादी सुविधाओं और एकरूपता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, इन भवनों के निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

जवाब में, विभाग ने कहा (मई 2024) कि पुस्तकालय भवन के हस्तांतरण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभाग का उत्तर स्वतः इस तथ्य की स्वीकृति थी कि ये पुस्तकालय भवन अब भी निष्क्रिय थे।

### 3.9.3 कार्यों का अनियमित आबंटन

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 15 (ए) (ii) के साथ पठित नियम 159 (ए) (ii) और निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों के अनुसार, अधिकतम तीन कार्य या योजनाएं, जिनकी कुल लागत ₹ 25 लाख से अधिक न हो, किसी भी एक निविदादाता को एक समय में आवंटित/ स्वीकृत किया जा सकता हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रावधान का उल्लंघन कर, 2018-23 के दौरान, एलएईओ[17] के तीन कार्य प्रमंडलों में, 22 निविदादाताओं को एक समय में ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य के तीन से अधिक कार्य या कार्यों को आवंटित किया गया। ₹ 8.42 करोड़ की राशि के ये कार्य मुख्यतः पीसीसी सड़क, ईंट सोलिंग, सामुदायिक भवन, घाट, चबूतरा आदि से संबंधित थे।

विभाग ने जवाब में, कहा कि (मई 2024) एलएईओ, गोपालगंज, के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा, मुख्य अभियंता ने एलएईओ के सभी प्रमंडलों को भविष्य में उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन करने का निर्देश जारी किया।

[17] *अररियाः नौ निविदादाता-₹ 3.30 करोड़, गोपालगंजः चार निविदादाता-₹ 2.60 करोड़ और बांकाः नौ निविदादाता-₹ 2.52 करोड़।*

### 3.9.4 एमकेवीवाई के तहत विभागीय कार्यों के निष्पादन पर अनियमित भुगतान

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 ए (iii) के अनुसार, एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा ₹ 15 लाख से कम मूल्य के कार्यों को विभागीय रूप से निष्पादित किया जा सकता है। संहिता के प्रावधान के अनुसार, विभागीय स्तर पर कार्यों के निष्पादन के लिए मस्टर रॉल[18] के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि छः चयनित जिलों के नौ एलएईओ कार्य प्रमंडलों में उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। इन प्रमंडलों के 149 नमूना-जांचित विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों में, मस्टर रॉल का उपयोग नहीं किया गया था और अभिश्रवों/सादे कागजों/हस्तलिखित रसीदों आदि पर मजदूरों को ₹ 2.54 करोड़ का भुगतान किया गया था जैसा **तालिका 3.5** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

**तालिका 3.5: मस्टर रॉल के बिना मजदूरों को किए गए भुगतान का विवरण**

*(₹ लाख में)*

| क्रम सं. | जिले का नाम | एलएईओ कार्य प्रमंडल | नमूना-जांचित कार्यों की सं. | मस्टर रॉल के बिना श्रम लागत का भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 1. | औरंगाबाद | एलएईओ, औरंगाबाद | 15 | 32.41 |
| 2. | बक्सर | एलएईओ, बक्सर | 25 | 43.02 |
| 3. | दरभंगा | एलएईओ-1, दरभंगा | 9 | 19.00 |
| | | एलएईओ-2 बेनीपुरी | 10 | 17.69 |
| 4. | जमुई | एलएईओ, जमुई | 20 | 26.55 |
| 5. | मुजफ्फरपुर | एलएईओ-1, मुजफ्फरपुर | 25 | 35.58 |
| | | एलएईओ-2, मुजफ्फरपुर | 25 | 40.65 |
| 6. | नालंदा | एलएईओ-1, बिहारशरीफ | 9 | 27.15 |
| | | एलएईओ-2, हिलसा | 11 | 11.56 |
| | | **कुल** | **149** | **253.61** |

*(स्रोतः नमूना एलएईओ कार्य प्रमंडल)*

मस्टर रॉल के अभाव में, कार्य निष्पादन हेतु नियोजित मजदूरों के वास्तविक संख्या एवं उन्हें दिए गए पारिश्रमिक का पता नहीं लगाया जा सका और लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 2.54 करोड़ का भुगतान सत्यापन योग्य नहीं था।

विभाग ने जवाब दिया (मई 2024) कि विभाग के निर्देश (मार्च 2014) के आलोक में मस्टर रॉल का संधारण नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मजदूरों को भुगतान करने के लिए मस्टर रॉल संधारण करने के संशोधित निर्देश जारी किए गए थे (अगस्त 2014)।

## 3.10 अनियमित अधिप्राप्ति

**(i)** विभाग के निर्देशों (मार्च 2021) के अनुसार, योजना अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग हेतु वाहन के क्रय की अनुमति थी। क्रय के बाद, वाहन को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सौंपा जाना आवश्यक था।

[18] *मस्टर रॉल एक कार्य पर हर दिन नियोजित श्रम का प्रारंभिक अभिलेख है और इसे सार्वजनिक कार्य खाता फॉर्म एनके 21 में दैनिक आधार पर संधारित किया जाना आवश्यक है।*

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए, डीपीओ, नालंदा, ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध एक निजी कॉलेज, यानी राजेश्वर लाल कॉलेज के लिए वाहन खरीदने की अनियमित स्वीकृति दी (दिसंबर 2022)। यह वाहन ₹ 10.45 लाख की लागत से खरीदा गया (जनवरी 2023) और लागू निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पास रखने के बजाय निजी कॉलेज को सौंपा गया। वाहन की ₹ 10.45 लाख की खरीद, साथ ही इसे कॉलेज को सौंपना, दोनों ही अनियमित थे।

बहिर्गमन सम्मलेन (अप्रैल 2024) में, प्रधान सचिव ने कहा कि डीपीओ, नालंदा से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद उत्तर दिया जाएगा। हालांकि, विभाग ने वाहन के खरीद (मई 2024) संबंधी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

**(ii)** विभाग ने सभी डीपीओ/ईई को केवल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस[19] (जेम) से वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति का निर्देश दिया (मार्च 2020)। साथ ही, विभागीय निदेशों (मार्च 2021) के अनुसार, तकनीकी/प्रायोगिक उपकरण संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को, संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सूचित करते हुए, मरम्मत और रखरखाव के उद्देश्य से सौंपे जाने थे।

चयनित दस जिलों में से दो के डीपीओ ने (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान) अररिया एवं मधेपुरा जिलों के 24[20] विभिन्न कॉलेजों में आपूर्ति किये जाने वाले तकनीकी/प्रायोगिक उपकरणों के अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी। इन वस्तुओं की अधिप्राप्ति हेतु अररिया एवं मधेपुरा में क्रमशः जुलाई 2020 और जुलाई 2021 में खुली निविदाएं आमंत्रित की गई। जिला क्रय समितियों द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद, ₹ 1.96 करोड़ के व्यय (अररिया: ₹ 0.97 करोड़ और मधेपुरा: ₹ 0.99 करोड़) से उपकरण ख़रीदे गए। हालांकि, यह देखा गया कि इन उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से नहीं कर खुली निविदा के माध्यम से की गई थी।

इसके अलावा लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि उपकरण कॉलेज को आवश्यकतानुसार सौंपे गए, फिर भी संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को इसकी सूचना नहीं दी गई। साथ ही, दो कॉलेजों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (सितंबर 2023), उपकरण को अप्रयुक्त /अच्छी तरह से रखरखाव न किए जाने की स्थिति में पाया गया और अधिकांश आपूरित उपकरण बंद तथा भंडार में रखे पाए गए **(चित्र 3.12 और 3.13),** जो यह इंगित करता है कि, ये उपकरण या तो आवश्यक नहीं थे या फिर दो शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बावजूद वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाए गए।

---

[19] *जेम एक पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजानिक उपक्रमों (पीएसयूएस) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाता है। इसका उद्देश्य ई-बिडिंग, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण जैसे साधनों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना है, ताकि सरकारी उपयोगकर्ता अपने धन का सर्वोतम मूल्य प्राप्त कर सकें I*

[20] *अररिया (12) और मधेपुरा (12) वर्ष 2020-21 के दौरान।*

**चित्र 3.12**
**बाबा विशु रावत इंटर कॉलेज, चौसा, मधेपुरा में अप्रयुक्त एवं ख़राब रखरखाव में रखे गए प्रायोगिक उपकरण**

**चित्र 3.13**
**महिला कॉलेज, अररिया, में अप्रयुक्त एवं ख़राब रखरखाव में रखे गए प्रायोगिक उपकरण**

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन उपकरणों की अधिप्राप्ति में न तो दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया और न ही इन्हें वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

विभाग ने जवाब में, कहा कि (मई 2024) अररिया में, उपकरणों की अधिप्राप्ति, क्रय समिति के निर्णय के आधार पर न्यूनतम निविदादाता से की गई। इसके अलावा, मधेपुरा में, उपकरणों की खरीद जेम के माध्यम से नहीं की गई क्योंकि इनकी बड़ी संख्या में खरीद की जानी थी।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि खरीद जेम के माध्यम से की जानी थी। इसके अलावा, विभाग ने संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को खरीद की सूचना न देने और उपकरण की उपयोगिता के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया।

## 3.11 सृजित परिसंपत्तियों को मरम्मत और रखरखाव हेतु नहीं सौंपना

विभाग के संकल्प (मार्च 2021) के अनुसार योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को योजना एवं विकास विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों को सौंपा जाना था । इन प्रशासनिक विभागों को इसके पश्चात इन सौंपे गए संपत्तियों का रखरखाव और अनुश्रवण करना था।

इसके अतिरिक्त विभाग ने (मार्च 2022) निर्देश दिया कि योजना की परिसम्पत्तियों को निर्माण पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासनिक विभागों को उनके मरम्मत और रखरखाव के लिए हस्तांतरण करने का प्रावधान, स्वीकृति आदेशों में शामिल किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत कार्यों के लिए भी, इस प्रस्ताव (मार्च 2021) के आलोक में निर्मित परिसम्पत्तियों को हस्तांतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 चयनित जिलों में से पाँच जिलों में, एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा 13,444 निष्पादित कार्य[21] संबंधित प्रशासनिक विभागों को पूरा होने के एक से पाँच वर्षों के बाद भी नहीं सौंपे गए। निर्मित परिसम्पत्तियों को नहीं सौंपने के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए ।

[21] *अररियाः 426, औरंगाबादः 2,843, दरभंगाः 7,188 मधेपुराः 1,114 और नालंदा :1,873 ।*

शेष[22] पाँच जिलों में 8,018 कार्य पूर्ण किए गए, लेकिन इनके सौंपने की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। उनकी स्थिति का सत्यापन करने के लिए, इन 8,018 कार्यों में से 151 कार्यों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई, जिसमें यह देखा गया कि 114 परिसम्पत्तियाँ संबंधित विभागों को अब तक नहीं सौंपी गई, जबकि इनके पूर्ण होने के बाद काफी समय बीत चुका था।

परिसम्पत्तियों को न सौंपे जाने के कारण, इनका उचित रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिससे टूट-फूट और अन्य कारणों से उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण नहीं होना उनके निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति में भी विफलता का कारण बना। निर्मित परिसम्पत्तियाँ, जैसे सामुदायिक भवन और पुस्तकालय भवन, या तो निष्क्रिय पड़ी थीं या निजी व्यक्तियों द्वारा कब्जा की गई थीं, जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा गया ***(कंडिका 3.9.2)*** ।

विभाग ने, जवाब में बताया (मई 2024) कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

***अनुशंसा 2: विभाग को योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का उनके रखरखाव के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को हस्तांतरण सुनिश्चित करने की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।***

## 3.12 अनुश्रवण और पर्यवेक्षण

### 3.12.1 बेंचमार्क सर्वेक्षण नहीं किया जाना

योजना दिशानिर्देशों की कंडिका 14 के अनुसार, योजना के बेंचमार्क सर्वेक्षण और अनुश्रवण के लिए विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त संस्थान की पहचान की जानी थी। यह सर्वेक्षण योजना के अनुश्रवण और मध्यावधि मूल्यांकन के लिए किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए पहले चरण में, मौजूदा सुविधाओं/संसाधनों का एक सर्वेक्षण किया जाना था, ताकि भविष्य में मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क उपलब्ध हो और एक एमआईएस भी तैयार किया जाना था जिसमें प्रत्येक तिमाही के लिए योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति दर्शायी जानी थी। प्रत्येक परियोजना के लिए संबंधित आउटपुट संकेतक तिमाही आधार पर निर्दिष्ट किए जाने थे ताकि तदनुसार प्रगति की अनुश्रवण की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो इस कार्य के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान की पहचान की गई थी और न ही योजना के अनुश्रवण एवं मध्यावधि मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क सर्वेक्षण किया गया था। इससे उपलब्ध सुविधाओं/संसाधनों की पहचान नहीं होने का साथ ही इसमें मौजूदा कमियों के बारे में जागरूकता की कमी का जोखिम उत्पन्न हुआ। इन सर्वेक्षणों के अभाव में, संबंधित आउटपुट संकेतकों के सापेक्ष मूल्यांकन और मैपिंग के लिए कोई बेंचमार्क स्थापित नहीं किया जा सका।

विभाग ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया (मई 2024)।

[22] *बांका: 1,323, बक्सर: 827, गोपालगंज: 999, जमुई: 814 और मुजफ्फरपुर: 4,055।*

### 3.12.2 कार्यों का निरीक्षण नहीं करना

योजना दिशानिर्देशों की कंडिका 16(1) एवं (2) के अनुसार, कार्यकारी अभिकरण नियमित रूप से कार्य स्थलों का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि कार्यों की प्रगति निर्धारित विशिष्टताओं और समय सारिणी के अनुसार संतोषजनक थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एलएईओ कार्य प्रमंडलों[23] (कार्यान्वयन अभिकरण) के अभिलेखों में वर्ष 2018-23 के दौरान कार्य स्थलों का निरीक्षण किए जाने का कोई प्रमाण नहीं था। एलएईओ प्रमंडलों द्वारा निरीक्षण नहीं होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कार्य सही तरीके से किए गए हैं, समय पर शुरू और पूरे हुए हैं, और उनकी गुणवत्ता ठीक है।

इस पर लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर, ईई, एलएईओ ने कहा (जून-सितंबर 2023) कि भविष्य में निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि, विभाग ने कहा (मई 2024) कि योजना का स्थल निरीक्षण एसई/ईई/एई और जेई द्वारा किया गया था, निरीक्षण करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।

### 3.12.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना

योजना दिशानिर्देशों की कंडिका 15(2) के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के दौरान बेहतर प्रबंधन और तकनीकी उन्नयन के लिए इंजीनियरों के साथ अभिकरणों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक था। इन प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरे आदि शामिल होने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि (2018-23) के दौरान विभाग द्वारा एमकेवीवाई का कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों और इंजीनियरों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग ने लक्षित समूह को कौशल एवं ज्ञान बढ़ाने और प्रबंधकीय संव्यवहारों के उन्नयन का अवसर प्रदान नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2024) कि प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। हालांकि, विभाग ने अपने जवाब की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया।

### 3.12.4 एलएईओ द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 16 (3) के अनुसार, निष्पादित कार्यों से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र, कार्य के पूरा होने के एक महीने के भीतर एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा संबंधित डीपीओ को प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-23 के दौरान चयनित दस जिलों में 21,462 कार्य पूर्ण किए गए थे। हालांकि, न तो आवश्यक पूर्णता प्रमाण पत्र एलएईओ कार्य प्रमंडलों द्वारा संबंधित डीपीओ को प्रस्तुत किए गए थे और न ही संबंधित डीपीओ द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया था। इससे योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन के प्रति संबंधित डीपीओ के साथ-साथ एलएईओ कार्य प्रमंडलों का उदासीन रवैया दृष्टिगोचर हुआ।

---

[23] *अररिया, औरंगाबाद, दरभंगा, बेनीपुर (दरभंगा), मधेपुरा, बिहारशरीफ (नालंदा) तथा हिलसा (नालंदा)।*

इस पर ध्यान दिलाए जाने पर एलएईओ कार्य प्रमंडलों के ईई ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार करते हुए, जवाब दिया (जून 2023 से सितंबर 2023) कि भविष्य में पूर्णता प्रमाण पत्र डीपीओ को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मई 2024) कि सभी निष्पादन करने वाले अभिकरणों (एलएईओ कार्य प्रमंडल) को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

### 3.12.5 बीएलएडीए की कार्यकारी समिति की बैठकों का नहीं होना

बीएलएडीए के उपनियमों की कंडिका 15 के अनुसार, बीएलएडीए की कार्यकारी समिति को अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने, जैसे कि बीएलएडीए के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना एवं कार्यक्रमों की तैयारी एवं कार्यान्वयन; तैयार वार्षिक योजना की स्वीकृति; कार्यक्रम की गुणवत्ता पर निरीक्षण और प्रतिवेदन तैयार करने हेतु स्वतंत्र निरीक्षकों की नियुक्ति आदि, के लिए जितनी बार आवश्यक हो लेकिन कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करना आवश्यक था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अभिकरण की कार्यकारी समिति की बैठकें 2018-23 के दौरान आयोजित नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप योजना का कार्यान्वयन बिना: (i) किसी योजना के निर्माण, (ii) शीर्ष स्तर पर योजना की प्रगति का अनुश्रवण तथा (iii) योजना की गुणवत्ता पर निरीक्षण एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षकों की नियुक्ति के किया जा रहा था।

इस पर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने स्वीकार किया (अप्रैल 2023) कि 2018-23 के दौरान बीएलएडीए की कार्यकारी समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी तथा आगे कहा गया कि (मई 2024) भविष्य में उक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

***अनुशंसा 3: विभाग योजना के अनुश्रवण और मध्यावधि मूल्यांकन के लिए मानक सर्वेक्षण कर सकता है और बीएलएडीए की कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित कर सकता है।***

### 3.12.6 पूर्ण एवं जारी कार्यों की सूची का प्रदर्शन नहीं होना

योजना दिशा-निर्देशों की कंडिका 13 (6) के अनुसार एमकेवीवाई के अंतर्गत पूर्ण एवं जारी कार्यों की सूचियां जनता की जानकारी हेतु, डीपीओ कार्यालयों में साथ ही वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, 10 चयनित डीपीओ में से किसी में भी पूर्ण एवं जारी कार्यों की सूचियां प्रदर्शित नहीं पाई गई। इसके अलावा, जिला-वार वेबसाइट भी नहीं बनायी गई तथा इस प्रकार पूर्ण एवं जारी कार्यों की स्थिति डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित नहीं की गई थी।

परिणामस्वरूप, वांछित लाभार्थी/उपयोगकर्ता योजना के अंतर्गत किए जाने वाले निष्पादित कार्यों के समापन/कार्यों की भौतिक प्रगति से अनभिज्ञ रहे।

इस पर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि एमकेवीवाई के अंतर्गत पूर्ण एवं जारी कार्यों की सूची जिला स्तर के एमआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एमआईएस पोर्टल जनता के लिए सुलभ नहीं था।

**पटना**
**दिनांक : 18 सितम्बर 2025**

**(डॉ. संदीप रॉय)**
**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली**
**दिनांक : 23 सितम्बर 2025**

**(के. संजय मूर्ति)**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट-1.1
*(सन्दर्भ: कंडिका-1.3.2)*
## लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | कंडिकाओं की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| **2013-14** | 894 | 5,730 | 41,258.27 |
| **2014-15** | 927 | 5,801 | 41,568.34 |
| **2015-16** | 921 | 6,687 | 28,197.82 |
| **2016-17** | 1,002 | 8,087 | 77,492.84 |
| **2017-18** | 764 | 6,772 | 1,28,823.61 |
| **2018-19** | 128 | 1,292 | 15,447.80 |
| **2019-20** | 282 | 3,173 | 1,00,754.84 |
| **2020-21** | 92 | 944 | 99,974.70 |
| **2021-22** | 334 | 3,755 | 2,04,394.41 |
| **2022-23** | 371 | 4,511 | 67,395.72 |
| **कुल** | **5,715** | **46,752** | **8,05,308.35** |

## परिशिष्ट-1.2

***(सन्दर्भ: कंडिका-1.3.2)***

**निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओ में अनियमितताओं के प्रकार**

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या | लेखापरीक्षा में पाए गए धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन/ गबन/हानि | लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले | संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ | परिहार्य/अधिक व्यय | व्यर्थ/निरर्थक व्यय | सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय | एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन | निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण | सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंधित मदों या विशेष प्रकृति की मदों पर व्यय | निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/सामग्री का क्रय | धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरोधन | निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान | उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/ निष्क्रिय उपकरण और संबंधी परिणाम | उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि/निष्फल व्यय | विविध अवलोकन | कुल कंडिकाएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 2013-14 | 894 | 115 | 172 | 100 | 267 | 316 | 38 | 111 | 12 | 73 | 15 | 423 | 19 | 39 | 327 | 3,703 | 5,730 |
| 2014-15 | 927 | 126 | 299 | 197 | 186 | 254 | 28 | 97 | 11 | 4 | 13 | 428 | 9 | 21 | 334 | 3,794 | 5,801 |
| 2015-16 | 921 | 59 | 214 | 162 | 298 | 400 | 88 | 195 | 29 | 13 | 77 | 507 | 19 | 23 | 437 | 4,166 | 6,687 |
| 2016-17 | 1,002 | 72 | 161 | 302 | 346 | 419 | 88 | 175 | 60 | 94 | 68 | 533 | 24 | 35 | 636 | 5,074 | 8,087 |
| 2017-18 | 764 | 81 | 168 | 415 | 243 | 337 | 42 | 30 | 42 | 12 | 27 | 789 | 23 | 18 | 377 | 4,168 | 6,772 |
| 2018-19 | 128 | 19 | 23 | 39 | 74 | 24 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 85 | 3 | 2 | 55 | 940 | 1,292 |
| 2019-20 | 282 | 12 | 14 | 41 | 57 | 79 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 80 | 7 | 5 | 163 | 2,687 | 3,173 |
| 2020-21 | 92 | 8 | 4 | 13 | 41 | 19 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 46 | 784 | 944 |
| 2021-22 | 334 | 31 | 20 | 63 | 173 | 137 | 80 | 29 | 16 | 3 | 13 | 98 | 26 | 14 | 173 | 2879 | 3,755 |
| 2022-23 | 371 | 57 | 60 | 69 | 126 | 41 | 8 | 13 | 3 | 11 | 4 | 103 | 3 | 8 | 63 | 3,942 | 4,511 |
| **कुल** | **5,715** | **580** | **1,135** | **1,401** | **1,811** | **2,026** | **388** | **683** | **183** | **211** | **225** | **3,060** | **134** | **167** | **2,611** | **32,137** | **46,752** |

## परिशिष्ट-1.3

*(संदर्भ कंडिका-1.3.4)*

**मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एसएससीए से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति**

| क्रम संख्या | एसएससीए का नाम | लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या | लेखापरीक्षा के लिए अभिलेखों के गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | इकाइयों की संख्या, जिसने कुछ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए | जारी किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या | लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिस पर पूरा उत्तर प्राप्त हुआ | लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिस पर आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ | लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिस पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ |
| 1 | कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन | 13 | 5 | 200 | 21 | 135 | 44 |
| 2 | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (एमकेवीवाई) का कार्यान्वयन | 18 | 13 | 252 | 232 | 10 | 10 |
| **कुल** | | **31** | **18** | **452** | **253** | **145** | **54** |

**परिशिष्ट-1.4**

***(संदर्भ: कंडिका-1.4)***

**लेखापरीक्षा सौंपने और स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत /जारी करने की स्थिति**

| क्रम संख्या | स्वायत्त निकायों का नाम | वित्तीय वर्ष तक सौपे जाने की स्थिति | लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं का प्रतिपादन | | एसएआर जारी करना | | विधानमंडल में रखे जाने की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लेखाओं का वर्ष | दिनांक | लेखाओं का वर्ष | दिनांक | | |
| 1 | बिहार विद्युत विनियामक आयोग | चूंकि संसद के अधिनियम के तहत गठित है, इसलिए अलग से सौंपने की आवश्यकता नहीं है। | 2022-23 | 15/05/2024 | 2020-21 | 13/04/2023 | अनुपलब्ध | |
| 2 | भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण | | 2018-19 | 07/01/2021 | 2018-19 | 07/01/2022 | अनुपलब्ध | |
| 3 | बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | | 2021-22 | 29/11/2023 | 2019-20 | 12/03/2024 | अनुपलब्ध | |
| 4 | बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड | | 2008-09 से 2021-22 | 26/06/2024 | लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रक्रियाधीन | - | - | |
| 5 | बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग | | खाते प्राप्त नहीं हुए | - | - | - | - | |
| 6 | बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग | | खाते प्राप्त नहीं हुए | - | - | - | - | |
| 7 | बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड | | खाते प्राप्त नहीं हुए | - | | | | |
| 8 | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर | 2021-22 | 2015-16 से 2019-20<br>2020-21<br>2021-22 | 20/04/2022<br>18/06/2024<br>18/06/2024 | प्रक्रियाधीन | - | - | सौंपे जाने का नवीकरण नहीं किया गया है। |
| 9 | बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय | 2022-23 | 2017-18<br>2018-19<br>2019-20 | 22/09/2023<br>22/09/2023<br>22.09.2023 | प्रक्रियाधीन | - | - | |
| 10 | बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड, पटना | 2020-21 | खाते प्राप्त नहीं हुए | - | - | - | - | |
| 11 | बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना | 2015-16 | 2015-16 | 05/07/2019 | 2015-16 | 22/04/2020 | - | |
| 12 | बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 2009-10 | 2009-10 | 29/08/2013 | 2009-10 | 21/04/2014 | - | |

## परिशिष्ट-2.1

*(संदर्भ: कंडिका-2.5.1)*

**महत्वपूर्ण अभिलेखों/डाटा का गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण मांग-पत्र और अनुस्मारकों के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेखों का विवरण:**

| क्रम संख्या. | कृषि विभाग की लेखापरीक्षिती इकाई | उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेखों का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | निदेशालय | डीबीटी के माध्यम से कृषि इनपुट सब्सिडी के प्रसंस्करण और भुगतान के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन और एचडीएफसी बैंक राजा बाजार, पटना में बैंक खाता संख्या 50100261330060 और 50100278900518 खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति। |
| 2. | | पंजाब नेशनल बैंक बुद्ध कॉलोनी, पटना में बैंक खाता संख्या 2920000108171126 खोलने से पहले डीबीटी के माध्यम से कृषि इनपुट सब्सिडी के प्रसंस्करण और भुगतान के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया समझौता ज्ञापन। |
| 3. | | वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना से संबंधित निधि अंतरण आदेश जो मेकर द्वारा संसाधित, चेकर द्वारा जांचे गए तथा अप्रूवर द्वारा अनुमोदित किए गए एवं सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक को निधि अंतरण का प्राधिकार। |
| 4. | | किसानों के पंजीकरण हेतु आवेदन का अनुमोदित प्रारूप तथा कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन का प्रारूप जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण/ कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए भरा जाना आवश्यक था। |
| 5. | | सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 से 2023 के दौरान हुई विभिन्न आपदाओं हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित करने की अवधि का अनुमोदन। |
| 6. | जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर | कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए ओलावृष्टि (फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020) और बाढ़ (खरीफ 2020) के लिए डीएओ द्वारा फसल क्षति के आकलन और डीएम द्वारा विधिवत अनुमोदन से संबंधित संचिकाएं और अभिलेख । |
| 7. | जिला कृषि कार्यालय, सिवान | सूखे (खरीफ 2018) के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए डीएओ द्वारा फसल क्षति के आकलन से संबंधित संचिकाएं/अभिलेख। |
| 8. | जिला कृषि कार्यालय, नवादा | सूखे (खरीफ 2018) के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए डीएओ द्वारा फसल क्षति के आकलन से संबंधित संचिकाएं/अभिलेख। |
| 9. | | सूखा (खरीफ 2018), बाढ़ (खरीफ 2019) एवं ओलावृष्टि (रबी 2019-20) की आपदा हेतु सब्सिडी के भुगतान से संबंधित शिकायत/शिकायत संचिकाएं। |
| 10. | जिला कृषि कार्यालय, पूर्णिया | ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) और बाढ़ (खरीफ 2021) के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के भुगतान के लिए डीएओ द्वारा फसल क्षति के आकलन से संबंधित संचिकाएं/अभिलेख। |

## परिशिष्ट-2.2
### *(संदर्भ:कंडिका-2.5.1)*
### कृषि समन्वयक द्वारा अनुमोदित प्रभावित क्षेत्र में भूमि/फसल के प्रकार का उल्लेख न करना

*(₹ लाख में)*

| जिला | एक से अधिक प्रकार के आवेदन | मामलों की संख्या | एसी द्वारा अनुमोदित रकबा (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| भागलपुर | भूमि | 5,689 | 3,329.98 | 337.33 |
| | फसल | 63 | 34.81 | 4.85 |
| दरभंगा | भूमि | 3,608 | 1,354.66 | 169.61 |
| | फसल | 54 | 17.83 | 2.36 |
| कैमूर | भूमि | 188 | 77.92 | 7.59 |
| | फसल | 1 | 0.36 | 0.04 |
| मधुबनी | भूमि | 2,337 | 586.63 | 80.08 |
| | फसल | 1,922 | 307.23 | 49.14 |
| मुजफ्फरपुर | भूमि | 3,236 | 1,072.30 | 132.00 |
| | फसल | 28 | 12.03 | 1.64 |
| नवादा | भूमि | 3,668 | 1,618.84 | 195.67 |
| | फसल | 0 | 0.00 | 0.00 |
| पूर्णिया | भूमि | 1,611 | 502.34 | 64.10 |
| | फसल | 18 | 5.90 | 0.85 |
| रोहतास | भूमि | 47 | 21.27 | 2.42 |
| | फसल | 0 | 0.00 | 0.00 |
| सिवान | भूमि | 548 | 140.41 | 16.30 |
| | फसल | 0 | 0.00 | 0.00 |
| वैशाली | भूमि | 1,550 | 382.41 | 50.09 |
| | फसल | 33 | 7.08 | 0.97 |
| **कुल भूमि का प्रकार** | | **22,482** | **9,086.76** | **1,055.19** |
| **कुल फसल का प्रकार** | | **2,119** | **385.24** | **59.85** |
| **कुल योग** | | **24,601** | **9,472** | **1,115.04** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट- 2.3 (ए )

*(संदर्भ: कंडिका-2.8.1)*

### एसडीआरएफ मानदंडों से अधिक कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान
### (वर्षा आधारित श्रेणी के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए)

*(₹ लाख में)*

| आपदा (मौसम) | शामिल किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि | भुगतेय राशि | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| बाढ़ (खरीफ 2019) | 2,923 | 219.93 | 29.23 | 14.96 | 14.27 |
| बाढ़ (खरीफ 2020) | 11,327 | 581.69 | 113.27 | 39.55 | 73.72 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | 1,127 | 66.70 | 11.27 | 4.54 | 6.73 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | 4,064 | 239.25 | 40.64 | 16.27 | 24.37 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | 2,106 | 101.34 | 21.06 | 6.89 | 14.17 |
| बाढ़ (खरीफ 2021-22) | 7,898 | 347.30 | 78.98 | 23.62 | 55.36 |
| यास तूफान (रबी मई 2021) | 1,687 | 81.38 | 16.87 | 5.53 | 11.34 |
| **कुल** | **31,132** | **1,637.59** | **311.32** | **111.36** | **199.96** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.3 (बी )
### *(संदर्भ: कंडिका -2.8.1)*
### एसडीआरएफ मानदंडों से अधिक कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान
### (दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए)

*(₹ लाख में)*

| आपदा (मौसम) | भूमि का प्रकार | शामिल किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि | भुगतेय राशि | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाढ़(खरीफ 2019) | सिंचित | 921 | 33.33 | 9.21 | 4.50 | 4.71 |
| | असिंचित | 110 | 8.26 | 1.10 | 0.56 | 0.54 |
| | बारहमासी | 4 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| बाढ़(खरीफ 2020) | सिंचित | 3,679 | 97.56 | 36.79 | 13.17 | 23.62 |
| | असिंचित | 389 | 18.14 | 3.89 | 1.23 | 2.66 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | सिंचित | 1128 | 35.79 | 11.28 | 4.83 | 6.45 |
| | असिंचित | 58 | 3.70 | 0.58 | 0.25 | 0.33 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | सिंचित | 4,217 | 114.49 | 42.17 | 15.46 | 26.71 |
| | असिंचित | 236 | 15.50 | 2.36 | 1.05 | 1.31 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | सिंचित | 2,367 | 74.71 | 23.67 | 10.09 | 13.58 |
| | असिंचित | 70 | 3.84 | 0.70 | 0.26 | 0.44 |
| | बारहमासी | 126 | 2.27 | 1.26 | 0.41 | 0.85 |
| बाढ़ (खरीफ 2021) | सिंचित | 8,407 | 82.06 | 84.49 | 11.08 | 73.41 |
| | असिंचित | 471 | 15.79 | 4.74 | 1.07 | 3.67 |
| | बारहमासी | 4 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| यास तूफान (रबी मई 2021) | सिंचित | 2,941 | 114.20 | 30.17 | 15.42 | 14.75 |
| | असिंचित | 89 | 4.80 | 1.03 | 0.33 | 0.70 |
| | बारहमासी | 4 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| **कुल** | | **25,221** | **624.53** | **253.62** | **79.72** | **173.90** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(ए)** | **31,132** | **1,637.59** | **311.32** | **111.36** | **199.96** |
| **(बी)** | **25,221** | **624.53** | **253.62** | **79.72** | **173.90** |
| **कुल योग** | **56,353** | **2,262.12** | **564.94** | **191.08** | **373.86** |

## परिशिष्ट-2.4
*(संदर्भ: कंडिका-2.8.2 (i))*
## कृषि इनपुट सब्सिडी के अधिक भुगतान का विवरण
## (₹ 1,000/ ₹ 2,000 के न्यूनतम भुगतान के अलावा अन्य मामले)

*(₹ लाख में )*

| आपदा (मौसम) | भूमि का प्रकार | शामिल किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि | भुगतेय राशि | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018) | सिंचित | 1,655 | 883.98 | 126.79 | 119.37 | 7.42 |
| | असिंचित | 25,537 | 13,206.70 | 1777.29 | 898.06 | 879.23 |
| बाढ़ (खरीफ 2019) | सिंचित | 1,786 | 401.38 | 113.90 | 54.19 | 59.71 |
| | असिंचित | 1,263 | 158.40 | 86.58 | 10.77 | 75.81 |
| | बारहमासी | 56 | 3.48 | 5.12 | 0.63 | 4.49 |
| बाढ़ (खरीफ 2020) | सिंचित | 1,911 | 158.94 | 70.84 | 21.53 | 49.31 |
| | असिंचित | 129 | 8.11 | 2.97 | 0.55 | 2.42 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | सिंचित | 193 | 19.91 | 2.94 | 2.72 | 0.22 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | सिंचित | 397 | 118.79 | 16.96 | 16.05 | 0.91 |
| | असिंचित | 52 | 11.51 | 1.18 | 0.78 | 0.40 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | सिंचित | 104 | 15.26 | 2.08 | 2.07 | 0.01 |
| | असिंचित | 1 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | बारहमासी | 6 | 1.24 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| बाढ़ (खरीफ 2021) | सिंचित | 4,717 | 1,705.36 | 280.91 | 230.44 | 50.47 |
| | असिंचित | 526 | 219.15 | 33.30 | 14.90 | 18.40 |
| यास तूफान (रबी मई 2021) | सिंचित | 5,117 | 954.66 | 211.68 | 128.94 | 82.74 |
| | असिंचित | 733 | 189.67 | 30.13 | 12.90 | 17.23 |
| | बारहमासी | 2 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| **कुल** | | **44,185** | **18,056.73** | **2,762.93** | **1,514.13** | **1,248.80** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.5
### *(संदर्भ: कंडिका-2.8.2 (ii))*
### सब्सिडी के कम भुगतान का विवरण
### (₹ 1,000/ ₹ 2,000 के न्यूनतम भुगतान के अलावा अन्य मामले)

*(₹ लाख में)*

| आपदा (मौसम) | भूमि का प्रकार | शामिल किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि | भुगतेय राशि | कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018) | सिंचित | 3,30,949 | 1,93,983.77 | 24,054.08 | 26,187.81 | 2,133.73 |
| | असिंचित | 3,191 | 2,116.44 | 143.10 | 143.92 | 0.82 |
| बाढ़ (खरीफ 2019) | सिंचित | 1,59,644 | 84,982.28 | 11,186.65 | 11,472.61 | 285.96 |
| | असिंचित | 1,21,257 | 75,025.69 | 5,073.00 | 5,101.75 | 28.75 |
| | बारहमासी | 2,397 | 1,002.96 | 177.56 | 182.01 | 4.45 |
| बाढ़ (खरीफ 2020) | सिंचित | 2,82,544 | 1,27,024.75 | 16,969.11 | 17,148.49 | 179.38 |
| | असिंचित | 10,298 | 4,863.08 | 329.60 | 330.69 | 1.09 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | सिंचित | 24,947 | 9,989.22 | 1,333.13 | 1,348.54 | 15.41 |
| | असिंचित | 963 | 587.55 | 39.92 | 39.95 | 0.03 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | सिंचित | 2,23,642 | 94,484.86 | 11,860.51 | 12,755.46 | 894.95 |
| | असिंचित | 7,639 | 3,777.92 | 254.42 | 256.90 | 2.48 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | सिंचित | 42,376 | 17,478.26 | 2,273.09 | 2,359.56 | 86.47 |
| | असिंचित | 939 | 446.08 | 29.71 | 30.33 | 0.62 |
| | बारहमासी | 9,535 | 1,768.22 | 300.74 | 335.40 | 34.66 |
| बाढ़ (खरीफ 2021-22) | सिंचित | 2,14,694 | 97,189.59 | 12,869.91 | 13,120.59 | 250.68 |
| | असिंचित | 20,013 | 10,991.75 | 713.14 | 747.44 | 34.30 |
| | बारहमासी | 94 | 39.57 | 6.28 | 7.12 | 0.84 |
| यास तूफान (रबी मई 2021) | सिंचित | 18,953 | 5,633.53 | 742.36 | 760.54 | 18.18 |
| | असिंचित | 355 | 137.04 | 8.80 | 9.32 | 0.52 |
| | बारहमासी | 10 | 2.10 | 0.22 | 0.39 | 0.17 |
| **कुल** | | **14,74,440** | **7,31,524.66** | **88,365.33** | **92,338.82** | **3,973.49** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

* *देय राशि की गणना सिंचित, असिंचित और बारहमासी भूमि के लिए क्रमशः ₹ 13,500, ₹ 6,800 और ₹ 18,000 की दर से की गई है।*

## परिशिष्ट-2.6

*(संदर्भ: कंडिका-2.8.2 (ii))*

**सब्सिडी के कम भुगतान का विवरण**

**(दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सिंचित भूमि के लिए ₹ 1,000 के न्यूनतम भुगतान के मामले)**

*(₹ लाख में)*

| आपदा (मौसम) | शामिल किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि | भुगतेय राशि | कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018) | 3,982 | 423.85 | 39.82 | 57.22 | 17.40 |
| बाढ़ (खरीफ 2019) | 1,187 | 288.17 | 11.87 | 38.90 | 27.03 |
| बाढ़ (खरीफ 2020) | 117 | 77.28 | 1.17 | 10.43 | 9.26 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | 59 | 6.15 | 0.59 | 0.83 | 0.24 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | 2,376 | 337.81 | 23.76 | 45.60 | 21.84 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | 214 | 77.28 | 2.14 | 10.43 | 8.29 |
| बाढ़ (खरीफ 2021) | 489 | 273.92 | 4.89 | 36.98 | 32.09 |
| यास तूफान (रबी मई 2021) | 162 | 58.04 | 1.62 | 7.84 | 6.22 |
| **कुल** | **8,586** | **1,542.5** | **85.86** | **208.23** | **122.37** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.7

***(संदर्भ: कंडिका-2.8.2 (iii))***

## सब्सिडी के अनियमित भुगतान का विवरण

## (दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाले किसानों को न्यूनतम ₹ 1,000/ ₹ 2,000 भुगतान के मामले)

***(₹ लाख में)***

| आपदा (मौसम) | शामिल किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई राशि | भुगतेय राशि | अनियमित भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018) | 441 | 357.09 | 4.41 | 0 | 4.41 |
| बाढ़ (खरीफ 2019) | 361 | 344.21 | 3.61 | 0 | 3.61 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | 357 | 268.11 | 3.57 | 0 | 3.57 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | 1,461 | 1,669.34 | 14.61 | 0 | 14.61 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | 131 | 92.72 | 1.31 | 0 | 1.31 |
| बाढ़ (खरीफ 2020-21) | 4,663 | 3,014.29 | 46.68 | 0 | 46.68 |
| बाढ़ (खरीफ 2021) | 17,699 | 21,163.17 | 177.48 | 0 | 177.48 |
| यास तूफान (रबी मई 2021) | 1,548 | 1354.72 | 17.10 | 0 | 17.10 |
| **कुल** | **26,661** | **28,263.65** | **268.77** | **0** | **268.77** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.8
*(संदर्भ: कंडिका-2.8.4)*
## बिना बोई भूमि के लिए सब्सिडी के अधिक भुगतान का विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| आपदा (मौसम) | जिला | शामिल किसानों की संख्या | कुल भूमि (हेक्टेयर में) | भुगतेय राशि | भुगतान की गई राशि | अधिक भुगतान | न्यूनतम ₹ 1,000/2,000 पाने वाले किसानों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाढ़ (खरीफ 2019) | भागलपुर | 844 | 211.81 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 529 |
| | दरभंगा | 6 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| | मुजफ्फरपुर | 7,179 | 540.09 | 0.37 | 0.86 | 0.49 | 6,861 |
| | नवादा | 31,946 | 1,728.50 | 1.18 | 3.88 | 2.70 | 30,846 |
| | सिवान | 6 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| | वैशाली | 1,803 | 99.75 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 1,787 |
| बाढ़ (खरीफ 2021) | दरभंगा | 1,849 | 139.29 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 1,779 |
| | मधुबनी | 189 | 10.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 185 |
| | मुजफ्फरपुर | 2,741 | 124.59 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 2,625 |
| | वैशाली | 2,095 | 231.46 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 1,867 |
| **कुल** | | **48,658** | **3,088.88** | **2.10** | **6.05** | **3.95** | **46,484** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.9
### *(संदर्भ: कंडिका-2.8.5)*
### सब्सिडी के अस्वीकार्य भुगतान का विवरण

*(₹ करोड़ में )*

| जिला | 33 प्रतिशत से कम क्षेत्र में फसल क्षति के लिए भुगतान पाने वाले किसानों की संख्या | कुल फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | कुल प्रभवित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | एसी द्वारा अनुमोदित कुल प्रभवित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 33 प्रतिशत से कम क्षेत्र में फसल क्षति के लिए किसानों को दी गई सब्सिडी की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| भागलपुर | 79,071 | 1,23,993.7 | 1,08,060 | 15,333.45 | 22.43 |
| दरभंगा | 60,739 | 62,737.03 | 56,892.1 | 7,971.008 | 11.64 |
| कैमूर | 3,116 | 5,882.559 | 3,499.895 | 802.7571 | 1.00 |
| मधुबनी | 39,761 | 38,491.76 | 34,979.57 | 4,816.814 | 7.54 |
| मुजफ्फरपुर | 2,50,249 | 3,11,045.7 | 2,65,335.4 | 42,780.51 | 61.77 |
| नवादा | 91,651 | 1,39,840.9 | 1,14,206.4 | 21,333.71 | 24.46 |
| पूर्णिया | 44,339 | 39,546.86 | 32,566.3 | 4,923.992 | 8.39 |
| रोहतास | 339 | 484.8016 | 328.4 | 87.14575 | 0.12 |
| सिवान | 42,909 | 44,416.83 | 40,187.79 | 6,148.13 | 8.85 |
| वैशाली | 69,443 | 66,448.64 | 54,715.6 | 8,749.721 | 13.08 |
| **कुल योग** | **6,81,617** | **8,32,888.78** | **7,10,771.46** | **1,12,947.24** | **159.28** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.10
*(संदर्भ: कंडिका-2.8.11)*
## अनिवार्य जानकारी अपलोड किए बिना सब्सिडी के भुगतान का विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| आपदा (मौसम) | जिला | रिक्त या शून्य खेसरा संख्या वाले किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई सब्सिडी की राशि |
|---|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018) | भागलपुर | 47 | 26.47 | 0.03 |
| | दरभंगा | 176 | 99.87 | 0.12 |
| | कैमूर | 926 | 439.7 | 0.32 |
| | मधुबनी | 628 | 209.79 | 0.27 |
| | मुजफ्फरपुर | 1,412 | 708.97 | 0.95 |
| | नवादा | 6,550 | 5,020.13 | 5.89 |
| | सिवान | 10,197 | 4,050.89 | 4.85 |
| | वैशाली | 248 | 81.38 | 0.11 |
| **कुल** | | **20,184** | **10,637.20** | **12.54** |
| सूखा (खरीफ 2019) | भागलपुर | 1,218 | 717.37 | 0.93 |
| | दरभंगा | 722 | 213.1 | 0.23 |
| | कैमूर | 480 | 221.18 | 0.26 |
| | मधुबनी | 1,179 | 307.14 | 0.39 |
| | मुजफ्फरपुर | 2,451 | 898.88 | 0.83 |
| | नवादा | 23,869 | 9,215.15 | 6.74 |
| | पूर्णिया | 1,511 | 508.19 | 0.67 |
| | सिवान | 1,220 | 796.35 | 0.81 |
| | वैशाली | 383 | 130.51 | 0.16 |
| **कुल** | | **33,033** | **13,007.87** | **11.02** |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | कैमूर | 29 | 6.13 | 0.01 |
| | भागलपुर | 0 | 0 | 0.00 |
| | मुजफ्फरपुर | 1,881 | 460.17 | 0.65 |
| **कुल** | | **1,910** | **466.3** | **0.66** |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | भागलपुर | 2,149 | 984.57 | 1.13 |
| | दरभंगा | 3 | 0.2 | 0.00 |
| | कैमूर | 753 | 179.53 | 0.20 |
| | मुजफ्फरपुर | 4,414 | 868.46 | 1.19 |
| | नवादा | 29,807 | 10,256.84 | 13.52 |
| | रोहतास | 1,144 | 436.69 | 0.54 |
| **कुल** | | **38,270** | **12,726.29** | **16.58** |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | भागलपुर | 110 | 66.78 | 0.08 |
| | दरभंगा | 16 | 1 | 0.00 |
| | मधुबनी | 200 | 26.34 | 0.04 |
| | मुजफ्फरपुर | 999 | 241.24 | 0.34 |
| | पूर्णिया | 1,170 | 232.74 | 0.33 |
| **कुल** | | **2,495** | **568.1** | **0.79** |

| आपदा (मौसम) | जिला | रिक्त या शून्य खेसरा संख्या वाले किसानों की संख्या | स्वीकृत प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भुगतान की गई सब्सिडी की राशि |
|---|---|---|---|---|
| बाढ़ (खरीफ 2020) | भागलपुर | 48 | 22.92 | 0.03 |
| | दरभंगा | 888 | 222.73 | 0.31 |
| | मधुबनी | 1,892 | 311.94 | 0.46 |
| | मुजफ्फरपुर | 7,879 | 2,616.63 | 3.59 |
| | पूर्णिया | 1,996 | 684.9 | 0.92 |
| | सिवान | 35,500 | 7,715.79 | 10.26 |
| | वैशाली | 847 | 132.15 | 0.20 |
| **कुल** | | **49,050** | **11,707.06** | **15.77** |
| बाढ़ (खरीफ 2021) | भागलपुर | 579 | 69.64 | 0.12 |
| | दरभंगा | 454 | 157.82 | 0.19 |
| | कैमूर | 628 | 261.51 | 0.32 |
| | मधुबनी | 1,937 | 348.33 | 0.49 |
| | मुजफ्फरपुर | 6,256 | 1,825.16 | 2.46 |
| | पूर्णिया | 108 | 26.94 | 0.04 |
| | सिवान | 618 | 65.77 | 0.09 |
| | वैशाली | 3,279 | 706.19 | 0.97 |
| **कुल** | | **13,859** | **3,461.36** | **4.68** |
| यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | दरभंगा | 102 | 12.32 | 0.02 |
| | मधुबनी | 94 | 13.69 | 0.02 |
| | पूर्णिया | 407 | 82.65 | 0.12 |
| | वैशाली | 1,007 | 98.94 | 0.16 |
| **कुल** | | **1,610** | **207.6** | **0.32** |
| **कुल योग** | | **1,60,411** | **52,781.78** | **62.36** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.11

*(संदर्भ: कंडिका-2.9.1)*

### कृषि इनपुट सब्सिडी आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी का विवरण

| जिला | कुल सफल आवेदन | विलंबित मामलों की संख्या/ एसी स्तर पर विलंब सीमा (दिनों में) | विलंबित मामलों की संख्या/ डीएओ स्तर पर विलंब सीमा (दिनों में) | विलंबित मामलों की संख्या/ एडीएम स्तर पर विलंब सीमा (दिनों में) | विभागीय स्तर पर मामलों की संख्या/ समय-सीमा (दिनों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| वैशाली | 2,46,566 | 76,170/1 से 30 | 5,145/1 से 32 | 65/4 | 1,50,990/8 से 203 |
| मुजफ्फरपुर | 7,25,209 | 3,89,630/1 से 108 | 65,303/1 से 46 | 47,110/1 से 24 | 4,31,374/8 से 489 |
| दरभंगा | 4,41,395 | 2,39,461/1 से 36 | 1,23,066/1 से 54 | 13,269/1 से 13 | 2,67,669/8 से 466 |
| नवादा | 3,41,206 | 2,80,837/1 से 35 | 20,621/1 से 35 | 10,860/1 से 18 | 93,749/8 से 460 |
| मधुबनी | 2,61,847 | 82,443/1 से 32 | 28,877/1 से 68 | 30,615/1 से 28 | 1,04,966/8 से 482 |
| कैमूर | 23,031 | 9,381/1 से 18 | 3,104/1 से 15 | 649/1 | 8,611/8 से 159 |
| रोहतास | 3,959 | 3,091/1 से 15 | 78/1 से 6 | शुन्य | 3,702/12 से 75 |
| पूर्णिया | 2,23,852 | 56,048/1 से 36 | 89,002/1 से 33 | शुन्य | 1,47,036/8 से 322 |
| सिवान | 1,95,775 | 69,905/1 से 27 | 41,662/1 से 22 | 500/4 से 6 | 1,08,195/8 से 180 |
| भागलपुर | 3,43,209 | 2,00,502/1 से 52 | 20,066/1 से 30 | 20,775/1 से 28 | 1,59,238/8 से 480 |
| **कुल योग** | **28,06,049** | **14,07,468/1 से 108** | **3,96,924/1 से 68** | **1,23,843/1 से 28** | **14,75,530/8 से 489** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.12

***(संदर्भ: कंडिका-2.9.2)***

## कुल भूमि जोत से अधिक प्रभावित भूमि के आवेदन का विवरण

***(भूमि का माप हेक्टेयर में)***

| जिला | किसानों की संख्या | कुल भूमि जोत | प्रभावित भूमि | कुल भूमि और प्रभावित भूमि के बीच अंतर |
|---|---|---|---|---|
| **भागलपुर** | 334 | 348.21 | 416.66 | 68.45 |
| **दरभंगा** | 398 | 388.90 | 437.06 | 48.16 |
| **कैमूर** | 10 | 6.44 | 12.19 | 5.75 |
| **मधुबनी** | 142 | 120.13 | 145.12 | 24.99 |
| **मुजफ्फरपुर** | 390 | 316.36 | 395.55 | 79.19 |
| **नवादा** | 157 | 125.76 | 180.71 | 54.95 |
| **पूर्णिया** | 312 | 224.55 | 261.13 | 36.58 |
| **रोहतास** | 14 | 13.09 | 16.00 | 2.91 |
| **सिवान** | 93 | 77.01 | 107.11 | 30.10 |
| **वैशाली** | 290 | 160.45 | 212.75 | 52.30 |
| **कुल** | **2,140** | **1,780.90** | **2,184.28** | **403.38** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.13
*(संदर्भ: कंडिका-2.9.3)*
## आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसानों के आवेदनों की प्राप्ति का विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| जिला | आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने वाले किसानों की संख्या | जिन किसानों को भुगतान किया गया उनकी संख्या | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|
| भागलपुर | 2,42,199 | 1,50,683 | 94.80 |
| दरभंगा | 4,55,922 | 2,99,322 | 166.33 |
| कैमूर | 17,377 | 13,137 | 7.55 |
| मधुबनी | 2,65,059 | 1,90,660 | 99.77 |
| मुजफ्फरपुर | 6,16,896 | 4,72,297 | 238.55 |
| नवादा | 71,028 | 61,003 | 55.94 |
| पूर्णिया | 53,419 | 37,399 | 14.60 |
| रोहतास | 133 | 0 | 0.00 |
| सिवान | 2,51,962 | 1,93,024 | 71.71 |
| वैशाली | 2,39,500 | 1,76,246 | 65.98 |
| **कुल** | **22,13,495** | **15,93,771** | **815.23** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.14
*(संदर्भ: कंडिका-2.9.4)*
### डाटाबेस में रिक्त छोड़े गए महत्वपूर्ण फील्ड का विवरण

| जिला | क्षेत्र | सूखा (खरीफ 2018-19) | बाढ़ (खरीफ 2019-20) | ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | बाढ़ (खरीफ 2020-21) | यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | बाढ़ (खरीफ 2021-22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **भागलपुर** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 39,009 | 67,117 | 3,448 | 89,815 | 29,812 | 8,399 | लागू नहीं | 1,05,559 |
| | खाता संख्या | लागू नहीं | 9,656 | 546 | 17028 | 2158 | 843 | लागू नहीं | 25,390 |
| | खेसरा संख्या | 2 | 0 | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | थाना संख्या | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 0 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | 1 | 286 | 35 | 8,399 | लागू नहीं | 1,03,460 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 39,009 | 67,117 | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | 2,091 |
| | किसके द्वारा भेजा गया | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | एसी की कार्यवाही तिथि | लागू नहीं | 873 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | कुल आवेदनों की संख्या जिसमें भुगतान किया गया | 39,009 | 67,117 | 3,448 | 89,815 | 29,812 | 8,399 | लागू नहीं | 1,05,559 |
| **दरभंगा** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 86,612 | 97,162 | लागू नहीं | 7,931 | 23,167 | 1,15,014 | 40,020 | 71,057 |
| | खाता संख्या | 0 | 5,364 | लागू नहीं | 243 | 113 | 7,926 | 1,161 | 4,660 |
| | खेसरा संख्या | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | थाना संख्या | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | प्रेषण तिथि | 0 | 0 | लागू नहीं | 1,213 | 3,347 | 1,15,014 | 40,020 | 70,768 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 86,612 | 97,162 | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 26,474 | 287 |
| | किसके द्वारा भेजा गया | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | एसी की कार्यवाही तिथि | 0 | 5 | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

| जिला | क्षेत्र | सूखा (खरीफ 2018-19) | बाढ़ (खरीफ 2019-20) | ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | बाढ़ (खरीफ 2020-21) | यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | बाढ़ (खरीफ 2021-22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कैमूर** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 10,361 | 3,596 | 753 | 6,041 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 2,280 |
| | खाता संख्या | 0 | 169 | 10 | 227 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 95 |
| | खेसरा संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 |
| | थाना संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 195 | लागू नहीं | | लागू नहीं | 1,138 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 10,361 | 3,596 | 0 | 0 | लागू नहीं | | लागू नहीं | 1,138 |
| | किसके द्वारा भेजा गया | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 0 | लागू नहीं | | लागू नहीं | 0 |
| **मधुबनी** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 1,09,031 | 24,996 | लागू नहीं | लागू नहीं | 42,248 | 46,593 | 13,900 | 20,943 |
| | खाता संख्या | लागू नहीं | 4,431 | लागू नहीं | | 939 | 9,756 | 662 | 7,902 |
| | खेसरा संख्या | 16 | 0 | लागू नहीं | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | थाना संख्या | 0 | 0 | लागू नहीं | | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | | 9 | 46,593 | 13,899 | 0 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 1,09,031 | 24,996 | लागू नहीं | | लागू नहीं | 0 | 5,561 | 205 |
| | किसके द्वारा भेजा गया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | | 0 | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं |
| | एसी द्वारा अस्वीकृति का कारण | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | | लागू नहीं | 0 | 0 | लागू नहीं |
| | एसी कार्यवाही तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | | लागू नहीं | लागू नहीं | 3,423 | लागू नहीं |
| **मुजफ्फरपुर** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 88399 | 69,579 | 68,658 | 1,06,555 | 15,740 | 1,99,969 | लागू नहीं | 1,76,309 |
| | खाता संख्या | लागू नहीं | 3,911 | 2,438 | 6,123 | 584 | 15,272 | लागू नहीं | 19,617 |
| | खेसरा संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | थाना संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | 220 | 5,303 | 4 | 1,99,969 | लागू नहीं | 1,69,285 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 88,399 | 69,579 | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 6,994 |
| | भूमि पथ | 88,399 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | किसके द्वारा भेजा गया | | | | | | | लागू नहीं | 0 |
| | लेन-देन की तिथि | 88,399 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| जिला | क्षेत्र | सूखा (खरीफ 2018-19) | बाढ़ (खरीफ 2019-20) | ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | बाढ़ (खरीफ 2020-21) | यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | बाढ़ (खरीफ 2021-22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **नवादा** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 55,069 | 1,31,049 | लागू नहीं | 1,54,088 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | खाता संख्या | लागू नहीं | 7,565 | लागू नहीं | 4,327 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | खेसरा संख्या | 150 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | थाना संख्या | 1 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 55,069 | 1,32,049 | लागू नहीं | 7,069 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **पूर्णिया** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | लागू नहीं | 51,767 | लागू नहीं | लागू नहीं | 63,491 | 62,493 | 30,569 | 15,532 |
| | खाता संख्या | लागू नहीं | 1,166 | लागू नहीं | लागू नहीं | 658 | 2,506 | 550 | 267 |
| | खेसरा संख्या | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | थाना संख्या | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 12,867 | 62,493 | 30,569 | 15,532 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | लागू नहीं | 51,767 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 22,442 | लागू नहीं |
| | किसके द्वारा भेजा गया | लागू नहीं | एनए | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 | लागू नहीं |
| | एसी कार्यवाही तिथि | लागू नहीं | 143 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 23 | 33 | लागू नहीं |
| | कुल आवेदनों की संख्या जिसमें भुगतान किया गया | लागू नहीं | 51,767 | लागू नहीं | लागू नहीं | 63,491 | 62,493 | 30,569 | 15,532 |
| **रोहतास** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | खाता संख्या | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 349 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | खेसरा संख्या | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 3,959 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | किसके द्वारा भेजा गया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | एसी द्वारा परिवर्तन का कारण | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | एसी का आईपी पता | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | जिला कृषि पदाधिकारी का आईपी पता | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| जिला | क्षेत्र | सूखा (खरीफ 2018-19) | बाढ़ (खरीफ 2019-20) | ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | बाढ़ (खरीफ 2020-21) | यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | बाढ़ (खरीफ 2021-22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सिवान** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 81,675 | 3,219 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 107,690 | लागू नहीं | 2,752 |
| | खाता संख्या | 0 | 606 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 22,863 | लागू नहीं | 422 |
| | खेसरा संख्या | 1 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | थाना संख्या | 0 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 0 |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 1,07,690 | लागू नहीं | 2,428 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 81,675 | 3,219 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 323 |
| **वैशाली** | सफल आवेदनों की कुल संख्या | 46,299 | 12,753 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 41,118 | 35,003 | 1,11,363 |
| | खाता संख्या | 0 | 1,569 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 2,285 | 1,131 | 6,437 |
| | खेसरा संख्या | 0 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 0 | 0 |
| | प्रेषण तिथि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 41,118 | 34,999 | 99,517 |
| | प्रेषण कार्यवाही तिथि | 46,299 | 12,753 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 19,719 | 11,707 |
| | भूमि पथ | 46,299 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | लेन-देन की तिथि | 46,299 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | विभाग में आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 46,299 | 12,753 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 41,118 | 35,003 | 1,11,363 |
| | एसी की कार्यवाही तिथि | 46,299 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 2,103 | लागू नहीं | 0 |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.15 (ए )

***(संदर्भ: कंडिका -2.9.6)***

**बिना कोई कारण बताए कृषि समन्वयक स्तर पर आवेदनों के अस्वीकृति का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| आपदा (मौसम) | जिला | बिना विशिष्ट कारण वाले मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018) | भागलपुर | 3,735 | 4.97 |
| | दरभंगा | 10,947 | 12.23 |
| | कैमूर | 1,404 | 2.01 |
| | मधुबनी | 5,349 | 6.66 |
| | मुजफ्फरपुर | 6,108 | 7.57 |
| | नवादा | 2,130 | 2.8 |
| | सिवान | 3,107 | 3.29 |
| | वैशाली | 5,881 | 5.93 |
| बाढ़ (खरीफ 2019) | भागलपुर | 17,061 | 21.75 |
| | दरभंगा | 20,852 | 23.85 |
| | कैमूर | 4,946 | 6.07 |
| | मधुबनी | 85,005 | 99.92 |
| | मुजफ्फरपुर | 52,078 | 51.7 |
| | नवादा | 20,625 | 20.04 |
| | पूर्णिया | 5,268 | 4.27 |
| | रोहतास | 1,225 | 1.18 |
| | सिवान | 6,516 | 7.16 |
| | वैशाली | 16,957 | 12.19 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | भागलपुर | 92,282 | 163.96 |
| | कैमूर | 22,574 | 27.36 |
| | मुजफ्फरपुर | 1,08,192 | 141.11 |
| | वैशाली | 49,008 | 53.43 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | भागलपुर | 18,300 | 31.63 |
| | दरभंगा | 489 | 0.42 |
| | कैमूर | 2,933 | 4.33 |
| | मुजफ्फरपुर | 15,148 | 19.44 |
| | नवादा | 5,984 | 8.71 |
| | रोहतास | 5,429 | 5.24 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | भागलपुर | 3,615 | 4.68 |
| | दरभंगा | 39,180 | 48.15 |
| | मधुबनी | 39,619 | 45.21 |
| | मुजफ्फरपुर | 5,318 | 5.53 |
| | पूर्णिया | 7,806 | 6.13 |
| बाढ़ (खरीफ 2020) | भागलपुर | 1,066 | 2.08 |
| | दरभंगा | 11,550 | 16.89 |
| | मधुबनी | 6,668 | 7.1 |
| | मुजफ्फरपुर | 3,136 | 3.65 |
| | पूर्णिया | 1,648 | 1.84 |
| | सिवान | 8,873 | 10.45 |
| | वैशाली | 970 | 0.78 |
| | **कुल योग** | **7,18,982** | **901.71** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.15 (बी )

*(संदर्भ: कंडिका -2.9.6)*

**बिना कोई कारण बताए कृषि समन्वयक स्तर पर दावा की राशि में कटौती का विवरण**

| आपदा (मौसम) | जिला | परिवर्तित राशि | | परिवर्तित रकबा |
|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | लागू राशि/परिवर्तित राशि (₹ लाख में) | लागू रकबा/परिवर्तित रकबा (हेक्टेयर में) |
| सूखा (खरीफ 2018) | दरभंगा | 86 | 12.53/6.57 | 104.42/54.39 |
| | मधुबनी | 37 | 4.02/2.02 | 30.05/14.9 |
| | मुजफ्फरपुर | 11 | 0.84/0.34 | 6.29/3.37 |
| बाढ़ (खरीफ 2019) | भागलपुर | 45,088 | 7,413.13/3,728.63 | 60,514.43/31,150.52 |
| | दरभंगा | 81,704 | 10,983.05/3,935.83 | 82,895.31/29,697.92 |
| | कैमूर | 3,025 | 406.93/182.56 | 3,265.02/1,485.11 |
| | मधुबनी | 8,498 | 1,195.93/284.14 | 9,024.77/2,187.78 |
| | मुजफ्फरपुर | 49,104 | 5,594.98/2,387.13 | 52,790/21,620.58 |
| | नवादा | 1,07,631 | 8,514.1/3,249.02 | 1,24,484.47/44,522.62 |
| | पूर्णिया | 42,186 | 4,484.67/2,084.32 | 33,712.34/15,840.5 |
| | सिवान | 2,072 | 271.04/132.42 | 2,357.56/1,173.16 |
| | वैशाली | 10,539 | 991.03/443.92 | 9,406.5/3,868.42 |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | भागलपुर | 22,601 | 3,093.65/1,223.71 | 22,930.95/9,347.49 |
| | दरभंगा | 21,365 | 2,967.62/292.56 | 22,309.72/1,712.36 |
| | मधुबनी | 37,043 | 4,235.32/847.38 | 28,178.72/5,309.01 |
| | मुजफ्फरपुर | 13,217 | 1,504.13/404.2 | 11,196.29/2,795.04 |
| | पूर्णिया | 57,538 | 5,912.55/1,188.06 | 44,074.19/7,751.56 |
| ओलावृष्टि (रबी फरवरी 2020) | भागलपुर | 2,427 | 378.56/157.88 | 3,038.79/1,409.13 |
| | कैमूर | 751 | 102.48/30.62 | 771.15/229.69 |
| | मुजफ्फरपुर | 60,072 | 7,806.58/1,986.46 | 58,543.55/14,206.1 |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | भागलपुर | 83,465 | 16,065.79/5,014.7 | 1,21,759.34/43,775.79 |
| | दरभंगा | 7,896 | 1,145.47/257.8 | 8,547.21/1,833.43 |
| | कैमूर | 5,726 | 783.42/164.62 | 6,165.3/1,442.13 |
| | मुजफ्फरपुर | 85,576 | 11,294.26/2,786.08 | 84,402.86/20,555.95 |
| | नवादा | 1,31,579 | 20,220.35/6,797.42 | 1,52,936.69/51,379.62 |
| | रोहतास | 3,466 | 407.68/189.24 | 3,124.84/1,447.63 |
| बाढ़ (खरीफ 2020) | भागलपुर | 6,535 | 964.44/381.13 | 7,208.2/3,041.94 |
| | दरभंगा | 1,05,300 | 14,672.54/5,781.2 | 1,10,308.99/42,758.58 |
| | मधुबनी | 39,648 | 5,164.75/1,131.41 | 39,703.04/8,334.86 |
| | मुजफ्फरपुर | 1,65,459 | 23,195.25/8,488.89 | 1,73,595.13/62,290.33 |
| | पूर्णिया | 56,613 | 6,077.37/2,264.66 | 45,421.65/16,548.85 |
| | सिवान | 1,00,640 | 1,1582.82/2,878.8 | 90,243.37/21,640.34 |
| | वैशाली | 40,456 | 4,016.29/1,117.98 | 30,635.19/7,601.33 |

| आपदा (मौसम) | जिला | परिवर्तित राशि | | परिवर्तित रकबा |
|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | लागू राशि/परिवर्तित राशि (₹ लाख में) | लागू रकबा/परिवर्तित रकबा (हेक्टेयर में) |
| **बाढ़ (खरीफ 2021)** | भागलपुर | 1,01,808 | 17,304.17/4,348.96 | 1,29,354.28/31,473.05 |
| | दरभंगा | 68,009 | 9,683.47/3,318.8 | 77,285.61/26,004.47 |
| | कैमूर | 2,110 | 273.02/118.19 | 2,230.28/979.06 |
| | मधुबनी | 17,948 | 2,216.46/580.94 | 16,951.72/4,399.74 |
| | मुजफ्फरपुर | 1,49,342 | 21,040.81/5,944.86 | 1,63,180.98/44,914.75 |
| | पूर्णिया | 14,941 | 1,570.69/626.08 | 11,594.8/4,229.49 |
| | सिवान | 2,748 | 288.99/40.55 | 2,247.05/282.91 |
| | वैशाली | 1,04,937 | 10,555.12/3,840.33 | 81,469.85/28,758.44 |
| **यास तूफ़ान (रबी मई 2021)** | दरभंगा | 39,084 | 4,990.33/484.66 | 37,271.49/3,066.21 |
| | मधुबनी | 13,219 | 1,738.39/384.36 | 11,925.94/2,030.7 |
| | पूर्णिया | 27,609 | 2,791.18/628.38 | 20,686.37/3,942.55 |
| | वैशाली | 34,673 | 3,307.48/663.51 | 24,232.35/4,213.17 |
| **कुल योग** | | **19,73,782** | **2,57,223.68/80,801.32** | **20,22,117.05/6,31,324.97** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट-2.16
*(संदर्भ: कंडिका-2.9.11)*
## विफल भुगतानों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता का अभाव

*(₹ करोड़ में)*

| | आपदा वर्ष | सूखा (खरीफ 2018) | बाढ़ (खरीफ 2019) | ओलावृष्टि (फरवरी 2020) | ओलावृष्टि (मार्च 2020) | ओलावृष्टि (अप्रैल 2020) | बाढ़ (खरीफ2020) | यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | बाढ़ (खरीफ 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पहला प्रयास** | लेन-देन की संख्या | 18 | 163 | 30 | 154 | 58 | 161 | 39 | 138 |
| | तिथि सीमा | 14/12/2018 से 26/11/2019 | 03/01/2020 से 07/08/2020 | 02/03/2020 से 21/09/2020 | 04/05/2020 से 21/08/2020 | 09/06/2020 से 21/08/2020 | 08/01/2021 से 04/06/2021 | 15/11/2021 से 24/12/2021 | 27/12/2021 से 25/02/2022 |
| | शामिल राशि (₹ ) | 941.07 | 653.08 | 57.71 | 379.3 | 138.14 | 650.39 | 82.51 | 534.89 |
| | असफल लेन-देन की संख्या | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | शामिल राशि (₹ ) | 34.90 | 85.58 | 3.54 | 38.43 | 18.06 | 60.89 | 7.34 | 36.50 |
| **दूसरा प्रयास** | लेन-देन की संख्या | 2 | 23 | 3 | 12 | 9 | 20 | 4 | 12 |
| | तिथि सीमा | 23/10/2020 (401 दिनों) | 13/01/2021 | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 27/09/2021 | 03/11/2021 | 22/02/2022 | 14/03/2022 (16 दिनों) से 15/03/2022 |
| | शामिल राशि (₹ ) | 4.53 | 24.22 | 6.38 | 33.66 | 18.16 | 60.89 | 7.34 | 40.67 |
| | असफल लेन-देन की संख्या | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | शामिल राशि (₹ ) | 0.18 | 9.49 | 0 | 15.58 | 8.96 | 34.38 | 5.19 | 24.69 |
| **तीसरा प्रयास** | लेन-देन की संख्या | तीसरा प्रयास नहीं किया गया | 21 | तीसरा प्रयास नहीं किया गया | तीसरा प्रयास नहीं किया गया | तीसरा प्रयास नहीं किया गया | तीसरा प्रयास नहीं किया गया | तीसरा प्रयास नहीं किया गया | 9 |
| | तिथि सीमा | | 04/09/2021 | | | | | | 06/05/2022 |
| | शामिल राशि (₹ ) | | 72.67 | | | | | | 24.69 |
| | असफल लेन-देन की संख्या | | अनुपलब्ध | | | | | | अनुपलब्ध |
| | शामिल राशि (₹ ) | | 36.11 | | | | | | 20.85 |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.17
### *(सन्दर्भ: कंडिका-2.9.12)*
### बैंक स्तर पर भुगतान में देरी का विवरण

| जिला | सफल आवेदनों की संख्या | शामिल राशि (₹ करोड़ में) | बिलंबित मामलों की संख्या | बिलंब की सीमा (दिन में) |
|---|---|---|---|---|
| भागलपुर | 3,04,150 | 46.08 | 85,290 | 1 से 608 |
| दरभंगा | 3,54,351 | 47.06 | 93,302 | 1 से 589 |
| कैमूर | 12,670 | 1.65 | 3,706 | 1 से 599 |
| मधुबनी | 1,48,680 | 20.42 | 66,283 | 1 से 608 |
| मुजफ्फरपुर | 6,36,810 | 90.44 | 2,26,847 | 1 से 608 |
| नवादा | 2,86,137 | 45.55 | 98,165 | 2 से 608 |
| पूर्णिया | 2,23,852 | 14.07 | 32,449 | 2 से 608 |
| रोहतास | 3,959 | 0.24 | 285 | 2 से 462 |
| सिवान | 1,13,661 | 14.01 | 44,251 | 1 से 608 |
| वैशाली | 2,00,237 | 28.49 | 76,952 | 1 से 600 |
| **कुल योग** | **22,84,507** | **308.01** | **7,27,530** | **1 से 608** |

*(स्रोत: डीबीटी सेल द्वारा उपलब्ध कराया गया कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान से सम्बंधित डाटा)*

## परिशिष्ट–2.18

*(संदर्भ: कंडिका -2.10.2)*

**अव्ययित धनराशि का सरकारी खाते में अभ्यर्पण/जमा करने में विलंब का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष/ आपदा (मौसम) | आबंटन | आबंटन की तिथि | व्यय | सरकारी खाते में जमा/ अभ्यर्पित की गई राशि | टिप्पणी | कोषागार में जमा करने की नियत तिथि | कोषागार में जमा करने की तिथि | विलंब (दिनों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूखा (खरीफ 2018-19) | 1430.00 | 29/11/2018 | 904.77 | 315.00 | अभ्यर्पित | 31-03-2019 | 26-03-2020 | 361 |
| | | | | 128.81 | जमा | 31-03-2019 | 06-02-2020 | 312 |
| | | | | 75.00 | जमा | 31-03-2019 | 23-10-2020 | 572 |
| | | | | 0.67 | जमा | 31-03-2019 | 05-12-2020 | 615 |
| | | | | 1.25 | जमा | 31-03-2019 | 20-01-2022 | 1,026 |
| | | | | 4.50 | जमा | 31-03-2019 | 11-08-2021 | 864 |
| **कुल** | **1430.00** | | **904.77** | **525.23** | | | | |
| बाढ़ (खरीफ 2019-20) | 507.89 | 05-12-2019 | 454.24 | 53.64 | जमा | 31/03/2020 | 06/10/2022 | 919 |
| | 264.59 | 05/12/2019 | 225.56 | 39.03 | जमा | 31/03/2020 | 06/10/2022 | 919 |
| **कुल** | **772.48** | | **679.80** | **92.67** | | | | |
| ओलावृष्टि (रबी मार्च 2020) | 259.17 | 29/04/2020 | 363.72 | 113.08 | अभ्यर्पित | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 548 |
| | 233.20 | 26/03/2020 | | 15.57 | जमा | 31/03/2021 | 06/02/2023 | 677 |
| **कुल** | **492.37** | | **363.72** | **128.65** | | | | |
| ओलावृष्टि (रबी अप्रैल 2020) | 151.53 | 03/06/2020 | 129.17 | 5.91 | अभ्यर्पित | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 548 |
| | | | | 16.44 | जमा | 31/03/2021 | 06/02/2023 | 677 |
| **कुल** | **151.53** | | **129.17** | **22.35** | | | | |
| बाढ़ (खरीफ 2020-21) | 945.92 | 19/01/2021 | 556.84 | 359.27 | अभ्यर्पित | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 548 |
| | 59.58 | 04/03/2021 | 59.17 | 25.00 | अभ्यर्पित | 31/03/2021 | 21/02/2023 | 692 |
| | | | | 4.81 | जमा | 31/03/2021 | 06/02/2023 | 677 |
| | | | | 0.41 | जमा | 31/03/2021 | 06/02/2023 | 677 |
| **कुल** | **1,005.50** | | **616.01** | **389.49** | | | | |

| वर्ष/ आपदा (मौसम) | आबंटन | आबंटन की तिथि | व्यय | सरकारी खाते में जमा/ अभ्यर्पित की गई राशि | टिप्पणी | कोषागार में जमा करने की नियत तिथि | कोषागार में जमा करने की तिथि | विलंब (दिनों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यास तूफ़ान (रबी मई 2021) | 99.07 | 18/11/2021 | 77.32 | 21.75 | समर्पित | 31/03/2022 | 30/09/2022 | 183 |
| **कुल** | **99.07** | | **77.32** | **21.75** | | | | |
| बाढ़ (खरीफ 2021-22) | 796.00 | 07/12/2021 | 493.29 | 206.71 | जमा | 31/03/2022 | 06/10/2022 | 189 |
| | | | 20.75 | 75.25 | जमा | 31/03/2022 | 06/10/2022 | 189 |
| **कुल** | **796.00** | | **514.04** | **281.96** | | | | |
| **कुल योग** | **4,746.95** | | **3,284.83** | **1,462.10** | | | | |

*(स्रोत: कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया अभिलेख एवं जानकारी)*

## परिशिष्ट-3.1
*(सन्दर्भ : कंडिका-3.6)*
## बीएलएडीए के तहत वर्ष-वार प्राप्त आबंटन एवं विमुक्त निधि

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त आबंटन | कुल उपलब्ध निधि | एलएईओ के कार्य प्रमंडलों को जारी की गई निधियां | अविमुक्त शेष | अविमुक्त शेष का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 750.39 | 970.28 | 1,720.67 | 809.02 | 911.65 | 53 |
| 2019-20 | 911.65 | 810.90 | 1,722.55 | 1,301.83 | 420.72 | 24 |
| 2020-21 | 420.72 | 639.18 | 1,059.90 | 894.53 | 165.37 | 16 |
| 2021-22 | 165.37 | 1,277.87 | 1,443.24 | 1,018.19 | 425.05 | 29 |
| 2022-23 | 425.05 | 954.50 | 1,379.55 | 599.70 | 779.85 | 57 |
| **कुल** | | **4,652.73** | | **4,623.27** | | |

*(स्रोत: योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.2(ए)

*(सन्दर्भ : कंडिका-3.7.2)*

### एमकेवीवाई दिशा-निर्देशों और इनमें संशोधन के अनुसार अनुज्ञेय कार्यों की सूची

| क्रम संख्या | अनुज्ञेय कार्यों की सूची | पत्र संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | भवन विहीन पंचायतों में सरकारी भवनों का निर्माण | संख्या 3210 दिनांक 22/06/2016 |
| 2 | भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में भवनों का निर्माण | |
| 3 | गोदाम का निर्माण | |
| 4 | सामुदायिक भवन, सार्वजनिक बस स्टैंड, यात्री शेड, सार्वजनिक पुस्तकालय, वकालतखाना आदि का निर्माण | |
| 5 | नदियों और सार्वजनिक तालाबों पर घाटों का निर्माण | |
| 6 | हाट और मेला स्थलों का विकास | |
| 7 | कला मंच/खेल का मैदान और स्टेडियम का निर्माण | |
| 8 | सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण | |
| 9 | सरकारी विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त ऐसे उच्च/इंटर विद्यालयों में बेंच डेस्क की व्यवस्था तथा साइकिल शेड का निर्माण करना, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम पर पंजीकृत है। | |
| 10 | सरकारी विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घटक कॉलेजों और सहायता प्राप्त उच्च/इंटर विद्यालयों/कॉलेजों, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम पर पंजीकृत है, के पुस्तकालय भवनों (फर्नीचर सहित) का निर्माण यदि पुस्तकालय का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित हो तो उपरोक्त पुस्तकालय और वकालतखाना के लिए पुस्तकों की खरीद करना | |
| 11 | राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों तथा अनुदानित उच्च/इंटर विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण करना, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम से पंजीकृत है। | |
| 12 | सरकारी मदरसों में चहारदीवारी का निर्माण, बेंच डेस्क की व्यवस्था तथा साइकिल शेड का निर्माण, जो पूर्णतः सरकारी एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के नियंत्रण में हों, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम पर पंजीकृत हो। | |
| 13 | दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर (हैंडहेल्ड/बैटरी चालित)। | |
| 14 | ब्रेडा/निर्माता के अधिकृत एवं प्रतिष्ठित विक्रेता से निविदा के माध्यम से सौर लाईट की स्थापना। | |
| 15 | सरकारी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस/शव वाहन की खरीद | |
| 16 | सार्वजनिक स्थानों पर नए हैंडपंप जलापूर्ति योजना की स्थापना।<br>संशोधित: नए हैंडपंप की स्थापना (सार्वजनिक स्थानों जलापूर्ति योजना पर मानक इंडिया मार्क-एल)। | |
| 17 | अनुमंडल/प्रखंड में बैठक भवन का निर्माण | |
| 18 | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्मित पुस्तकालयों एवं सामुदायिक भवनों में उपकरण एवं पुस्तकों की खरीद। | |
| 19 | सरकारी भूमि पर पार्क का निर्माण/विकास। | |
| 20 | सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के भवनों और छात्रावासों का निर्माण | |
| 21 | स्कूलों में पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए पुस्तक अलमारियों का निर्माण। | |
| 22 | स्टेडियम में जिम, खेल उपकरण (₹ 1 लाख से कम) खरीदने की योजना | |
| 23 | उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कमरों एवं शौचालयों के निर्माण की योजना। | |
| 24 | प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कमरे एवं शौचालय का निर्माण जहां कमरे एवं शौचालय की कमी है तथा किसी भी मद से संबंधित कोई योजना पूर्व से स्वीकृत नहीं है। | |
| 25 | सरकारी अस्पतालों, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों, वकालतखाना भवनों में सार्वजनिक सुविधाओं के साथ प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण। | |
| 26 | बोरिंग और हाइड्रेंट सहित अथवा बोरिंग और हाइड्रेंट रहित अग्निशमन वाहनों की खरीद की योजना। | |
| 27 | सार्वजनिक चैराहों का सौंदर्यीकरण (प्रतिमा स्थापना सहित) | |
| 28 | सरकारी भूमि पर बने शौचालय विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र में पेयजल सहित शौचालय का निर्माण। | |
| 29 | सामुदायिक भवन में चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण। | |
| 30 | विद्युत शवदाह गृह का निर्माण। | |

| क्रम संख्या | अनुज्ञेय कार्यों की सूची | पत्र संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 31 | अन्य योजनाएं जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित की जाएंगी। | |
| 32 | शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी:<br>क) चहारदीवारी का निर्माण<br>ख) साइकिल शेड का निर्माण<br>ग) बेंच-डेस्क की खरीद<br>घ) पुस्तकालय भवन का निर्माण (फर्नीचर सहित), पुस्तकालय में पुस्तक खरीद (यदि पुस्तकालय का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित किया जाता है)<br>ङ) कमरे एवं शौचालय का निर्माण | संख्या 5321 दिनांक 14/09/2016 |
| 33 | राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी:<br>क) पुस्तकालय के लिए पुस्तक/पत्रिका/पुस्तकालय बुकशेल्फ/अलमारी की खरीद<br>ख) बेंच-डेस्क/सी टेबल/अन्य फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद<br>ग) परीक्षा भवन का निर्माण<br>घ) चहारदीवारी निर्माण<br>ङ) साइकिल शेड का निर्माण<br>च) विश्वविद्यालय में भवन एवं शौचालय का निर्माण<br>छ) छात्रावास का निर्माण<br>ज) अध्ययन/शैक्षणिक केंद्र का निर्माण<br>झ) तकनीकी/प्रायोगिक उपकरणों की खरीद<br>ञ) खेल के मैदान का विकास<br>ट) व्यायामशाला का निर्माण (उपकरण सहित)<br>ठ) व्यायामशाला के लिए उपकरणों की खरीद<br>ड) शैक्षिक कार्यक्रमों में उपयोग के लिए वाहन की खरीद (बिना आवर्ती व्यय के)<br>ढ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की खरीद (बिना आवर्ती व्यय के) | |
| 34 | कब्रिस्तान की चहारदीवारी | संख्या 553 दिनांक 09/02/2017 |
| 35 | मंदिर की चहारदीवारी का निर्माण | |
| 36 | राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चहारदीवारी का निर्माण | |
| 37 | राज्य के सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त घटक कॉलेजों के लिए निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:<br>क) पुस्तक/जर्नल/पुस्तकालय बुक शेल्फ/अलमारी की खरीद<br>ख) बेंच-डेस्क/कुर्सी टेबल/अन्य फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद<br>ग) परीक्षा भवन का निर्माण<br>घ) चहारदीवारी निर्माण<br>ङ) साइकिल शेड का निर्माण<br>च) कॉलेज में भवन एवं पेयजल सहित शौचालयों का निर्माण<br>छ) छात्रावास का निर्माण<br>ज) अध्ययन/शैक्षणिक केंद्र का निर्माण<br>झ) तकनीकी/प्रायोगिक उपकरण/स्थापना की खरीद<br>ञ ) खेल के मैदान का विकास<br>ट) व्यायामशाला का निर्माण<br>ठ) व्यायामशाला के लिए उपकरण की खरीद | संख्या 2892 दिनांक 01/06/2017 संख्या 3772 दिनांक 13/07/2017 |
| 38 | सामान्य हैंडपंपों की स्थापना (क्षेत्र विशेष आवश्यकता के अनुसार) | संख्या 3439 दिनांक 30/06/2017 |
| 39 | ''चिल्का'', ''फॉल'', ''चेक डैम'', ''चेक वॉल'' का निर्माण। | |
| 40 | सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण। | |

| क्रम संख्या | अनुज्ञेय कार्यों की सूची | पत्र संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 41 | गली-नाली/संपर्क पथ योजना | संख्या 6737 दिनांक 19/12/2017 |
| 42 | जलापूर्ति योजना | |
| 43 | नाव की खरीद | |
| 44 | माननीय विधायकों के प्रतिवर्ष स्वीकार्य राशि के 15 प्रतिशत अर्थात अधिकतम ₹ 45.00 लाख से एमकेवीवाई के अंतर्गत आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित अनुज्ञेय योजनाओं की सूची के साथ आच्छादित राज्य सरकार के सभी विभागों की योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत। | संख्या 300 दिनांक 17/01/2019 |
| 45 | ''कोरोना महामारी के रोकथाम एवं फैलाव की रोकथाम से संबंधित सामग्री एवं उपकरण'' | संख्या 1484 दिनांक 03/05/2021 |
| 46 | ''छोटे पुलों और पुलियों का निर्माण'' | संख्या 927 दिनांक 14/02/2023 |

*(स्रोत: योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.2(बी)
*(सन्दर्भ: कंडिका-3.7.2)*
## गैर-अनुज्ञेय कार्यों के निष्पादन का विवरण

*(₹ लाख में)*

| जिला | एलएईओ कार्य प्रमंडल | स्वीकृत/निष्पादित गैर-अनुज्ञेय कार्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि | किया गया व्यय |
| अररिया | अररिया | 11 | 76.82 | 69.81 |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | 10 | 50.86 | 41.22 |
| बक्सर | बक्सर | 5 | 60.09 | 55.78 |
| दरभंगा | दरभंगा -1 | 10 | 78.24 | 75.00 |
| | बेनीपुर -2 | 20 | 103.96 | 99.70 |
| गोपालगंज | गोपालगंज | 25 | 167.23 | 100.21 |
| जमुई | जमुई | 13 | 99.80 | 71.97 |
| मधेपुरा | मधेपुरा | 5 | 62.17 | 13.22 |
| मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर -1 | 10 | 94.04 | 91.41 |
| नालंदा | बिहारशरीफ -1 | 17 | 131.95 | 104.14 |
| | हिलसा -2 | 32 | 158.33 | 156.29 |
| **कुल** | | **158** | **1,083.49** | **878.75** |

## परिशिष्ट-3.3
***(सन्दर्भ : कंडिका-3.9.1)***
### कार्यों के विभाजन का विवरण

| डीपीओ/ एलएईओ | क्रम संख्या | कार्य का नाम | राशि (₹ लाख में) | कार्यों में विभाजन की संख्या | डीपीओ द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डीपीओ, गोपालगंज | 1 | बैकुंठपुर और सिंहवालिया प्रखंड में कोरोना से बचाव और उपचार के लिए सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए एक कार्य | 59.99 | दो कार्य | 23/08/2021 | कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया ताकि धनराशि ₹ 50 लाख रुपये से कम रखी जा सके, ताकि इसका एए उच्च प्राधिकारी से प्राप्त करने के बजाय डीपीओ द्वारा ही प्रदान किया जा सके। |
| एलएईओ, गोपालगंज | 2 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 20.93 | दो कार्य | 30/06/2021 एवं 07/07/2021 | ई-टेंडरिंग और समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन की आवश्यकता से बचने के लिए कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया। |
| डीपीओ, जमुई | 3 | छठ घाट और सीढ़ियों का निर्माण | 29.98 | दो कार्य | 04/02/2019 | प्रत्येक कार्य का धनराशि ₹ 15 लाख रुपये से कम रखने के लिए कार्य को विभाजित किया गया ताकि इसे विभागीय रूप से निष्पादित किया जा सके। |
| डीपीओ, बक्सर | 4 | ईंट सोलिंग और पीसीसी सड़क का निर्माण | 22.93 | दो कार्य | 13/02/2020 | |
| एलएईओ - 1, मुजफ्फरपुर | 5 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 44.76 | तीन कार्य | 23/12/2022 | |
| डीपीओ, मुजफ्फरपुर | 6 | सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति और स्थापना | 144.91 | तीन कार्य | 15/12/2018, 29/12/2018 एवं 14/01/2019 | उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए कार्य को इस प्रकार विभाजित किया गया कि धनराशि ₹ 50 लाख रुपये से कम रहे। |
| | 7 | सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति और स्थापना | 54.71 | तीन कार्य | 19/01/2019, 22/01/2019 एवं 22/01/2019 | |
| | 8 | सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति और स्थापना | 115.84 | तीन कार्य | 31/12/2018, 03/01/2019, एवं 05/01/2019 | |

| डीपीओ/ एलएईओ | क्रम संख्या | कार्य का नाम | राशि (₹ लाख में) | कार्यों में विभाजन की संख्या | डीपीओ द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एलएईओ , औरंगाबाद | 9 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 17.97 | दो कार्य | 19/09/2018 | प्रत्येक कार्य का धनराशि ₹ 15 लाख रुपये से कम रखने के लिए कार्य को विभाजित किया गया ताकि इसे विभागीय रूप से निष्पादित किया जा सके। |
| | 10 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 24.89 | दो कार्य | 27/10/2018 | |
| | 11 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 17.31 | दो कार्य | 04/10/2018 एवं 29/12/2018 | |
| एलएईओ-2, हिलसा (नालंदा) | 12 | चहारदीवारी एवं सीढ़ियों का निर्माण (सिद्धि) | 15.04 | दो कार्य | 15/06/2018 | |
| | 13 | सीढ़ियों का निर्माण एवं घाट का सौंदर्यीकरण | 17.00 | दो कार्य | 17/07/2018 एवं 24/09/2018 | |
| एलएईओ-2, बेनीपुर (दरभंगा) | 14 | मेला परिसर का क्षेत्र विकास | 30.00 | दो कार्य | 27/10/2018 | |
| | 15 | हाई स्कूल में दो शौचालय, बरामदा और चार फीट सीढ़ियों के साथ दो कमरों का निर्माण | 21.64 | दो कार्य | 16/03/2020 | प्रत्येक कार्य का धनराशि ₹ 15 लाख रुपये से कम रखने के लिए कार्य को विभाजित किया गया ताकि इसे विभागीय रूप से निष्पादित किया जा सके। |
| | 16 | मेला परिसर का क्षेत्र विकास | 25.87 | दो कार्य | 23/01/2020 | |
| | 17 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 16.23 | दो कार्य | 26/03/2020 एवं 27/04/2020 | |
| | 18 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 27.26 | दो कार्य | 12/08/2020 | |
| | 19 | पोखर में सीढीघाट का निर्माण | 21.76 | दो कार्य | 22/07/2022 | |
| | 20 | नाली का निर्माण | 39.52 | तीन कार्य | 02/12/2022 | |

| डीपीओ/ एलएईओ | क्रम संख्या | कार्य का नाम | राशि (₹ लाख में) | कार्यों में विभाजन की संख्या | डीपीओ द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एलएईओ, अररिया | 21 | प्रतीक्षा कक्ष, महिलाओं एवं पुरुषो के शौचालयों का निर्माण | 23.74 | दो कार्य | 06/09/2019 | ई-टेंडरिंग की आवश्यकता तथा व्यापक प्रचार के लिए समाचार-पत्रों में निविदा प्रकाशित करने से बचने के लिए कार्य को विभाजित किया गया। |
| | 22 | नाली का निर्माण | 22.47 | दो कार्य | 20/06/2020 | |
| | 23 | मरम्मत कार्य और जल आपूर्ति कार्य | 17.88 | दो कार्य | 29/02/2020 | |
| एलएईओ, मधेपुरा | 24 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 29.07 | दो कार्य | 11/01/2019 | |
| | 25 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 29.99 | दो कार्य | 02/07/2020 | ई-टेंडरिंग की आवश्यकता तथा व्यापक प्रचार के लिए समाचार-पत्रों में निविदा प्रकाशित करने से बचने के लिए कार्य को विभाजित किया गया। |
| | 26 | पीसीसी सड़क का निर्माण और भूमि कार्य | 45.00 | तीन कार्य | 18/06/2022 एवं 21/05/2022 | |
| | 27 | तालाब की निगरानी और सौंदर्यीकरण के लिए रूफटॉप मंच का निर्माण | 38.75 | दो कार्य | 28/09/2022 | |
| | 28 | पीसीसी सड़क का निर्माण | 29.55 | दो कार्य | 12/12/2022 | |
| | 29 | पीसीसी सड़क का निर्माण और भूमि कार्य | 20.28 | दो कार्य | 24/03/2021 एवं 25/03/2021 | |
| | | **कुल** | **1,025.27** | **64 कार्य** | | |

*(स्रोत: डीपीओ और एलएईओ कार्य प्रमंडलों के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.4

*(सन्दर्भ: कंडिका-3.9.1)*

**एलएईओ, औरंगाबाद में कार्यों के विभाजन को दर्शाने वाली विवरणी**

*(₹ लाख में)*

| क्रम संख्या | योजना संख्या/वर्ष | कार्य का नाम | सड़क की लंबाई (फीट में) | स्वीकृति की तिथि | व्यय | समाप्ति की वास्तविक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253/2020-21 | रफीगंज प्रखंड के अंतर्गत पंचायत-भदवा में राजू साव के ट्यूबवेल बोरिंग से पीपल के वृक्ष तक पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1200 | 16/06/2020 | 13.79 | 08/08/2020 |
| 2 | 123/2020-21 | रफीगंज प्रखंड के अंतर्गत पंचायत-भदवा के दरमिया गांव में तालाब से वीरकुंवर तक पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 850 | 11/05/2020 | 9.65 | 13/06/2020 |
| 3 | 250/2020-21 | रफीगंज प्रखंड के अंतर्गत पंचायत-भदवा के बालूगंज गांव में पाइन पुलिया से पीपल के वृक्ष तक पीसीसी सड़क का निर्माण तथा ईंट सोलिंग | 1,000 | 16/06/2020 | 11.99 | 24/07/2020 |
| 4 | 251/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के बलवंतबीघा गांव के सामने पीपल के वृक्ष से नरेश सिंह के बोरिंग तक पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1,200 | 16/06/2020 | 14.25 | 24/07/2020 |
| 5 | 252/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के बलवंतबीघा गांव के सामने इलेक्ट्रिक पोल से बोरिंग तक पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1,000 | 16/06/2020 | 10.14 | 24/07/2020 |
| 6 | 257/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत उमेश सिंह से पंचायत भदवा के पीपल पेड़ तक 1200 फीट में पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1,200 | 16/06/2020 | 13.79 | 08/08/2020 |
| 7 | 259/2020-21 | रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के भोलाबीघा दरमिया सड़क में अलाहू के पोखर से 1200 फीट की दूरी पर पीपल के वृक्ष तक पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1,200 | 16/06/2020 | 13.79 | 08/08/2020 |
| 8 | 412/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के किशन मिस्त्री के बोरिंग से तार के वृक्ष तक 1200 फीट में पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1,200 | 06/07/2020 | 13.78 | 13/01/2021 |
| 9 | 414/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत- भदवा मे रवीन्द्र शर्मा के बोरिंग से नीम के वृक्ष तक 1200 फीट में पीसीसी सड़क तथा ईंट सोलिंग का निर्माण | 1,200 | 06/07/2020 | 13.78 | 13/01/2021 |
| | | | **10,050 (3.063 किमी)** | | | |

| क्रम संख्या | योजना संख्या/वर्ष | कार्य का नाम | सड़क की लंबाई (फीट में) | स्वीकृति की तिथि | व्यय | समाप्ति की वास्तविक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 59/2019-20 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत- भदवा मे शैलोपुर भोलाबीघा मुख्य सड़क से पीपल के वृक्ष तक पीसीसी सड़क का निर्माण | 450 | 13/09/2019 | 3.52 | 07/01/2020 |
| 11 | 255/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के बलीगांव सड़क से जयबीघा चबुतरा से पाईन तक 1200 फीट में ईंट सोलिंग के साथ पीसीसी सड़क का निर्माण | 1,200 | 16/06/2020 | 13.77 | 08/08/2020 |
| 12 | 258/2020-21 | प्रखंड रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के भोलाबीघा -दरमिया सड़क से हाफिज मुखिया (शैलोपुर) के तालाब तक 1200 फीट में ईंट सोलिंग के साथ पीसीसी सड़क का निर्माण | 1,200 | 16/06/2020 | 13.78 | 07/09/2020 |
| 13 | 410/2020-21 | रफीगंज के अंतर्गत पंचायत-भदवा के दरमिया - भोलाबीघा सड़क से शैलोपुर क्षेत्र तक 950 फुट में ईंट सोलिंग के साथ पीसीसी सड़क का निर्माण | 950 | 06/07/2020 | 11.49 | 07/09/2020 |
| | | **कुल** | | | **157.52** | |

*(स्रोत: एलएईओ कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, के अभिलेख,)*

## परिशिष्ट-3.5
*(सन्दर्भ : कंडिका-3.9.2(i))*
## सामुदायिक भवनों के निर्माण में निष्क्रिय व्यय

*(₹ लाख में)*

| क्रम संख्या | एलएईओ कार्य प्रमंडल का नाम | कार्य का नाम | वर्ष | अनुमानित लागत/करार मूल्य | व्यय | संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अररिया | कुर्साकांटा प्रखंड, सिकटी में अरविंद मंडल के दरवाजे पर सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 7.72 | 7.29 | सामुदायिक भवन एक निजी घर का विस्तार था और एक निजी व्यक्ति के कब्जे में था। |
| 2 | | कुर्साकांटा प्रखंड, सिकटी में भगवान लाल साह के कामत में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 14.96 | 14.93 | सामुदायिक भवन श्री भगवान लाल के निजी परिसर (कामत अर्थात फ़ार्महाउस) में निर्मित तथा उनके निजी कब्जे में था।<br>सामुदायिक भवन की सामने की दीवारों का खराब रख-रखाव किया गया था। |
| 3 | | सिकटिया पंचायत, कुर्साकांटा , सिकटी में गंगई टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 7.72 | 7.68 | सामुदायिक भवन एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। |
| 4 | | कुर्साकांटा, सिकटी में धर्मेंद्र सिंह के दरवाजे पर सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 7.74 | 7.69 | सामुदायिक भवन एक स्थानीय ग्रामीण के निजी कब्जे में पाया गया।<br>अतिरिक्त कार्य जैसे छत पर पीओपी आदि किया हुआ पाया गया।<br>सामुदायिक भवन के बरामदे में चारे का ढेर पाया गया। |
| 5 | | कुर्साकांटा, सिक्टी में जागीरपारसी के पलासमनी गांव के मंडल टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 7.72 | 7.63 | सामुदायिक भवन एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। |
| 6 | | कुर्साकांटा, सिकटी के पलासमनी गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 7.72 | 7.36 | सामुदायिक भवन एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। |
| 7 | | संजीत सिंह के घर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण, वार्ड नं 13 लक्ष्मीपुर पंचायत, कुर्साकांटा प्रखंड में। | 2020-21 | 8.17 | 5.42 | निर्माण कार्य पलस्तर स्तर तक ही पूर्ण पाया गया।<br>सामुदायिक भवन एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। |

| क्रम संख्या | एलएईओ कार्य प्रमंडल का नाम | कार्य का नाम | वर्ष | अनुमानित लागत/करार मूल्य | व्यय | संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | औरंगाबाद | प्रखंड देव, ग्राम पंचायत बढ़ेनी के ग्राम बनिया में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 5.20 | 5.17 | पानी, बिजली आदि की सुविधा नहीं पाई गई। |
| 9 | | देव प्रखंड में ग्राम भैरोपुर, ग्राम पंचायत पवई में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2019-20 | 5.12 | 5.12 | पानी, बिजली आदि की सुविधा नहीं पाई गई।<br>छत का पलस्तर नहीं किया गया था, फर्श का फिनिशिंग कार्य सही ढंग से नहीं किया गया तथा खिड़कियों में ग्रिल नहीं पाई गई। |
| 10 | | ओबरा प्रखंड के महथा गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2018-19 | 4.95 | 4.86 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया। पानी, शौचालय, बिजली आदि की सुविधा नहीं पाई गई। छत का पलस्तर नहीं किया गया था और फर्श व दीवारों का फिनिशिंग कार्य सही ढंग से नहीं किया गया। सामुदायिक भवन को संबंधित सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित नहीं किया गया। |
| 11 | | कुर्साकांटा शैलोपुर, ग्राम पंचायत- भदवा, प्रखंड- रफीगंज में मत्स्य बिभाग के पोखर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2018-19 | 4.48 | 4.40 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>यह एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित नहीं किया गया। |
| 12 | एलएईओ, मधेपुरा | ग्राम पंचायत गणेशपुर के बधवादियारा गांव में महंत बाबा स्थान के पास सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2018-19 | 14.59 | 14.57 | भवन एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। |
| 13 | | ग्राम- औरई गोथ, ग्राम पंचायत- औरई में काली मंदिर के परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2018-19 | 14.86 | 14.81 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>यह काली मंदिर के प्रांगण में स्थित था। |
| 14 | | प्रखंड पुरैनी ग्राम पंचायत औरई के पूरब में ग्राम औरई में राजस्व कचहरी की भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2018-19 | 14.86 | 14.79 | भवन को ग्राम कचहरी कार्यालय, औराई के रूप में चिह्नित किया गया था। भवन बंद पाया गया और चाबी उपलब्ध नहीं थी। |
| 15 | दरभंगा | पंचायत तारालाही, बहादुपुर के अंतर्गत ग्राम धरनीपट्टी में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2019-20 | 7.95 | 2.96 | भवन निर्मित पाया गया। सीढ़ी बिना प्रावधान के बनाई गई थी। भवन के बीचोंबीच लोहे की छड़ें गड़ी हुई पाई गई। भवन एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। |

| क्रम संख्या | एलएईओ कार्य प्रमंडल का नाम | कार्य का नाम | वर्ष | अनुमानित लागत/करार मूल्य | व्यय | संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | बेनीपुर, दरभंगा | बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम सजनपुरा पंचायत सजनपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2019-20 | 5.50 | 5.43 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया। इसे उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया गया था। भवन के अंदर बर्तन रखे पाए गए।<br>सामुदायिक भवन का रख-रखाव खराब स्थिति में था और छत से वर्षा का पानी पीछे की दीवार पर बहता पाया गया। |
| 17 | | बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायत सजनपुरा में रामजानकी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2021-22 | 6.50 | 6.42 | सामुदायिक भवन मंदिर परिसर में निर्मित पाया गया। |
| 18 | | बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम टेंगराही पंचायत सजनपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2018-19 | 5.00 | 4.73 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया। इसे उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया गया था। यह खराब स्थिति में था और भवन में चारा रखा हुआ पाया गया। |
| 19 | | तारडीह प्रखंड के अंतर्गत धुनियाटोला गांव काठरा में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2019-20 | 10.17 | 9.97 | एक सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>यह एक स्थानीय ग्रामीण के निजी कब्जे में था। पानी चलाने हेतु मोटर और बिजली की सुविधा पाई गई। |
| 20 | | तारडीह प्रखंड के अंतर्गत लगमा पंचायत में मुसहरी में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 10.17 | 9.93 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया। निर्माण के बाद इसे हस्तांतरित नहीं किया गया और यह एक निजी व्यक्ति के निजी कब्जे में पाया गया। |
| 21 | | अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत हरसिंह चौपाल टोली, उत्तरवारी टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 10.17 | 10.05 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया। यह एक निजी व्यक्ति के कब्जे में पाया गया। शौचालय उपयोग में नहीं था। एक कमरे में मोटरसाइकिल रखी हुई थी। |
| 22 | | तारडीह प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत- बैनका के तारडीह गांव में जोगेन्द्र यादव के घर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2020-21 | 10.17 | 10.01 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>सामुदायिक भवन के चारों ओर की दीवार और बड़ा लोहे का मुख्य द्वार बिना आकलन में प्रावधान के निर्मित पाए गए। भवन और कमरे में खाद्यान्न की बोरियाँ तथा गेहूँ के भूसे का ढेर पाया गया। |

| क्रम संख्या | एलएईओ कार्य प्रमंडल का नाम | कार्य का नाम | वर्ष | अनुमानित लागत/करार मूल्य | व्यय | संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | हिलसा, नालंदा | ग्राम पंचायत रेधी में ग्राम परवलपुर में सामुदायिक भवन। | 2019-20 | 5.00 | 4.99 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>भवन में चारा काटने की मशीन रखी हुई थी। भवन में टीएमटी बार भी रखा पाया गया। फर्श क्षतिग्रस्त थी। |
| 24 | | ग्राम सिपारा, ग्राम पंचायत रेधी, प्रखंड- हिलसा के बिंद टोली में सामुदायिक भवन का निर्माण। | 2019-20 | 5.00 | 5.00 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>सामुदायिक भवन के ठीक सामने जलापूर्ति योजना हेतु जल टंकी टावर पाया गया। टावर का कुछ हिस्सा समुदायिक भवन के अंदर पाया गया। सामुदायिक भवन उपयोग में नहीं था। भवन में सीमेंट की बोरियाँ, कार्टून आदि तथा अलमारी अंदर रखी हुई थी। |
| 25 | | ग्राम एकंगरडीह, ग्राम पंचायत एकंगरडीह, प्रखंड- एकंगरडीह में सामुदायिक भवन का निर्माण (खाता संख्या 523 खेसरा संख्या. 997) | 2018-19 | 4.50 | 4.45 | सामुदायिक भवन निर्मित पाया गया।<br>भवन में पंचायत कार्यालय संचालित हो रहा था, किंतु कार्यालय चलाने की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई। |
| 26 | | ग्राम मोबारकपुर बीघा, ग्राम पंचायत तुलसीगढ़, प्रखंड- चंडी में सामुदायिक भवन का निर्माण (योजना सं 06/ एचएस/20-21) | 2020-21 | 7.00 | 6.98 | भवन निर्मित पाया गया।<br>सामुदायिक भवन तक पहुँचने हेतु सीढ़ी निर्मित नहीं थी। भवन तक पहुँच का मार्ग सुगम नहीं था।<br>सामुदायिक भवन संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हस्तांतरित नहीं किया गया।<br>भवन में मक्के का ढेर पाया गया। |
| 27 | | ग्राम पंचायत कपसियावां प्रखंड हिलसा गांव मनपुरवा के पश्चिम दिशा में सामुदायिक भवन का निर्माण (खाता संख्या 423 खेसरा संख्या 3100) | 2019-10 | 5.00 | 4.95 | सामुदायिक भवन हस्तांतरित नहीं किया गया तथा उपयोग में नहीं पाया गया।<br>छत एक स्थान पर क्षतिग्रस्त थी।<br>फर्श क्षतिग्रस्त हो रही थी। |
| 28 | | ग्राम पंचायत कपसियावां प्रखंड हिलसा गांव मनपुरवा के पूर्व दिशा में सामुदायिक भवन का निर्माण (खाता संख्या 423, खेसरा संख्या 3135) | 2019-20 | 5.00 | 4.95 | सामुदायिक भवन उपयोग में नहीं पाया गया।<br>फर्श क्षतिग्रस्त हो रही थी। |
| **कुल** | | | | | **212.54** | |

*(स्रोत: एलएईओ कार्य प्रमंडल के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.6
*(सन्दर्भ : कंडिका-3.9.2(ii))*
## पुस्तकालय भवनों के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय

*(₹ लाख में)*

| क्रम संख्या | एलएईओ कार्य प्रमंडल का नाम | कार्य का नाम | एए की राशि | व्यय | कार्य पूरा होने की तिथि | संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एलएईओ 2, बेनीपुर | हायाघाट प्रखंड, बेनीपुर के तहत ग्राम पतरू में सूर्यदेव नारायण मेमोरियल पुस्तकालय भूमि पर एक पुस्तकालय भवन का निर्माण | 9.33 | 9.23 | 16/12/2020 | निर्मित पुस्तकालय भवन बंद पाया गया, उपयोग में नहीं था तथा उसका रख-रखाव भी खराब स्थिति में था। |
| 2 | एलएईओ-2, बेनीपुर | हायाघाट प्रखंड, बेनीपुर के तहत ग्राम पंचायत राज बाशा मिर्जापुर ग्राम बाशा में रामजानकी मंदिर के पास पुस्तकालय का निर्माण | 7.95 | 7.05 | 19/12/2020 | निर्मित पुस्तकालय भवन उपयोग में नहीं पाया गया। यह बंद पाया गया तथा उसका रख-रखाव भी खराब स्थिति में था। फोटोग्राफ खुली खिड़की से लिया गया। |
| 3 | एलएईओ, बक्सर | डुमरांव बक्सर में पुस्तकालय भवन का निर्माण | 14.77 | 13 | 09/07/2022 | पुस्तकालय भवन का निर्माण पूरा हो गया था, परंतु यह कार्यशील नहीं था। |
| 4 | एलएईओ-2, हिलसा | एकंगरसराय प्रखंड की ग्राम पंचायत ज्ञासपुर ग्राम कोठारी में पुस्तकालय भवन का निर्माण, (खाता संख्या 98, खेसरा संख्या 91), हिलसा | 4.50 | 4.45 | 03/02/2021 | निर्मित पुस्तकालय भवन को उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया गया और यह कार्यशील नहीं था। |
| 5 | एलएईओ-2, हिलसा | उत्क्रमित मध्य विद्यालय से सटे पुस्तकालय भवन का निर्माण, ग्राम बेनीपुर, एकंगरसराय प्रखंड का ग्राम पंचायत आगौरी, (खाता संख्या 287, खेसरा संख्या 1648) , हिलसा। | 5.50 | 4.81 | 04/02/2021 | भवन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर के प्रांगण से सटा हुआ पाया गया। इसे उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया गया तथा यह अकार्यशील पाया गया। बरामदे में कूड़े का ढेर पाया गया और पुस्तकालय भवन के कमरे में निर्माण सामग्री रखी हुई थी। |
| 6 | एलएईओ-2, हिलसा | ग्राम पंचायत आगौरी प्रखंड एकंगरसराय गांव चकदह हिलसा में पुस्तकालय भवन का निर्माण (खाता संख्या 96 खेसरा संख्या 365) | 5.00 | 4.82 | 26/02/2021 | निर्मित पुस्तकालय भवन उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया गया और यह कार्यशील नहीं था। पुस्तकालय भवन का मुख्य द्वार बंद था और मुख्य द्वार की चाबी उपलब्ध नहीं थी। |

| क्रम संख्या | एलएईओ कार्य प्रमंडल का नाम | कार्य का नाम | एए की राशि | व्यय | कार्य पूरा होने की तिथि | संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | एलएईओ, जमुई | नगरपरिषद जमुई वार्ड संख्या 25 उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पुस्तकालय भवन का निर्माण | 7.50 | 7.46 | 03/02/2021 | निर्मित भवन का उपयोग पुस्तकालय के रूप में नहीं किया जा रहा था क्योंकि पुस्तकें, पुस्तकालय अलमारी, डेस्क और बेंच आदि नहीं पाए गए। |
| 8 | एलएईओ, जमुई | जमुई प्रखंड के लोहरा गांव में पुस्तकालय भवन का निर्माण | 7.50 | 7.42 | 18/03/2021 | निर्मित भवन का उपयोग पुस्तकालय के रूप में नहीं किया जा रहा था क्योंकि पुस्तकें, पुस्तकालय अलमारी, डेस्क और बेंच आदि नहीं पाए गए। भवन के अंदर फर्श पर गेहूं और अनाज भंडारण के बोरे पड़े हुए पाए गए। |
| 9 | एलएईओ, मधेपुरा | सीएम साइंस कॉलेज, मधेपुरा में एक कमरे के पुस्तकालय भवन का निर्माण | 5.50 | 5.46 | 29/03/2021 | संयुक्त भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया। |
| 10 | एलएईओ, मधेपुरा | राज नंदन प्रसाद उच्च मध्यमिक विद्यालय, प्रतापनगर, मुरलीगंज में एक कमरे के पुस्तकालय भवन का निर्माण। | 5.18 | 5.17 | 15/12/2020 | |
| 11 | एलएईओ, मधेपुरा | गोखुल भगत माध्यमिक विद्यालय, भटगामा चौसा, मधेपुरा में एक कमरे के पुस्तकालय भवन का निर्माण | 5.25 | 5.25 | 17/05/2021 | |
| 12 | एलएईओ, मधेपुरा | ग्राम पंचायत कुरसंडी दीरा वार्ड संख्या 04, आनंदी पासवान टोला अंडर पुरैनी प्रखंड, मधेपुरा में एक शौचालय और ट्यूबवेल के साथ पुस्तकालय भवन का निर्माण। | 14.56 | 14.43 | 06/07/2019 | निर्मित पुस्तकालय भवन निजी व्यक्ति के कब्जे में था। |
| 13 | एलएईओ-2, मुजफ्फरपुर | सरकारी हाई स्कूल, कांति में पुस्तकालय भवन का निर्माण | 7.00 | 6.80 | 17/10/2021 | निर्मित भवन का उपयोग पुस्तकालय के रूप में नहीं किया जा रहा था क्योंकि पुस्तकें, पुस्तकालय अलमारी, डेस्क और बेंच आदि नहीं पाए गए। पुस्तकालय भवन को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। भवन में सीमेंट की बोरियाँ और लोहे की छड़ें रखी हुई थीं। |
| 14 | एलएईओ-2, मुजफ्फरपुर | सरकारी हाई स्कूल, कुढनी में पुस्तकालय भवन का निर्माण | 7.00 | 6.87 | 10/06/2020 | निर्मित भवन का उपयोग पुस्तकालय के रूप में नहीं किया जा रहा था क्योंकि पुस्तकें, पुस्तकालय अलमारी, डेस्क और बेंच आदि नहीं पाए गए। पुस्तकालय भवन को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुस्तकालय के कमरे में बेंच और डेस्क फेंके हुए पाए गए। |
| | | **कुल** | **106.54** | **102.22** | | |

*(स्रोत: एलएईओ कार्य प्रमंडल के अभिलेख)*